



# ग्राम्य-शिक्षा का इतिहास

लेखक—

श्रीनारायण चतुर्वेदी, एम० ए० (लन्दन)

यू० पी० एजुकेशनल मगिस्ट्र



प्रकाशक—

सरस्वती पब्लिशिंग हाउस,

इलाहाबाद



१९३३

प्रकाशक—

सरस्वती पब्लिशिंग हाउस,

जार्ज टाउन, इलाहाबाद

मुद्रक—

परशोत्तम सहाय,

सरस्वती प्रिण्टिंग प्रेस,

जार्ज टाउन, इलाहाबाद

## भूमिका

जिस समय मैंने अपने प्रांत की शिक्षा के माध्यमिक विभाग को छोड़ कर प्राइमरी विभाग को अपना कार्य क्षेत्र बनाया, उस समय मुझे अनुभव हुआ कि मैं ब्रिज क्षेत्र में उतर रहा था, मुझे उसके इतिहास का ज्ञान प्रायः बिलकुल नहीं था। इसलिए मैं इस प्रान्त की प्राइमरी शिक्षा को अपना अध्ययन-विषय बना लिया। मुदियानुसार मैं ने अपने अध्ययन को तीन चरणों में विभक्त किया। सन् १८४० से १९२६ तक के प्राथम्य-शिक्षा के इतिहास की क्रमागत त्रियशर प्रगति के वर्णन को मैंने प्रथम स्थान दिया। फिर मैंने उसी को वर्तमान समय तक, उद्यति के क्रम में अध्ययन कर दूसरा विषय बनाया और तीसरे को प्राथम्य-शिक्षा का समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से अपना सम्मति प्रकट करने का आधार बनाया। इस प्रकार प्रस्तुत पुस्तक मेरे अध्ययन के प्रथम अंश का परिचय है।

समुक्त-प्रान्त की प्राथम्य शिक्षा के इतिहास की बातें अनुक्रम से देने हुए, उसके मुख्य अंश को पाठकों के सामने रख देना ही इस ग्रन्थ का ध्येय है। यद्यपि सन् १९२१ में २९ के काज की धारणाएँ इतिहास की दृष्टि से बिलकुल नवान हैं, तो भी, चूँकि सन् १९२९ में ही अनिर्धार्य शिक्षा का सिद्धान्त स्थापित हुआ, उस समय तक का बातों का समावेश कर देना आवश्यक था।

पाठकों को इस पुस्तक में सयुक्त-प्राप्त की शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं पर कुछ निश्चयात्मक विचार, उसके भविष्य की रूपरेखा या या तत् विषयक किसी प्रकार की सुधार-योजनाएँ न मिलेंगी। मेरा विचार इन सब बातों को इसी विषय पर लिखा जाने वाली अन्य दो पुस्तकों में विशद रूप में देने का है।

इस विषय के अध्ययन में मुझे डा० जे० डोवर विल्सन, एम० ए०, सी० लिट्०, सर क्लाड डि ला फ्रोस, नाइट, सी० ग्राह्म० ई०, और मिस्टर ए० ई० ट्वेन्टीमैन, एम० ए०, आदि ने अनेक सत् परामर्श दिये हैं, जिसके लिए मैं उन सज्जनों का बड़ा अभारी हूँ।

श्रीगणेश चतुर्दशी



## विषय सूची

पृष्ठ-संख्या

प्रस्तावना	७
पहला अध्याय—ग्रामनियामों	१
उमर तापन—उमर का आग्रहकर्तार	
दूसरा अध्याय—शिक्षा का प्राचीन ढंग	१३
उर्दू और फारसी के स्कूल—ऊँचे दरजे के स्कूल—विधायी— शिक्षा का विस्तार—दमा स्कूलों की शिक्षा—प्राचीन शिक्षा प्रणाली के प्रधान लक्षणों पर एक दृष्टि—अनुरागमन— समालोचना—	
तीसरा अध्याय—प्रारम्भिक उद्योग—	७७
प्रारम्भिक भाषा का महत्ता—जमीन बन्दोबस्त का शिक्षा प्रकार में सम्बन्ध—शिक्षा प्रकार के विस्तार की लक्ष्य— देशी पाठ्य-ग्रन्थों का उपयोगिता का महत्त्व—पत्रा के उपक्रम का प्रयोग—१८४२ ई० की शिक्षा-सम्बन्धी धरणा—शिक्षा-सम्बन्धी नयी योजना—योजना की अस्वी- कृति—दूसरी योजना—योजना की स्वीकृति—	

चौथा अध्याय—व्यवस्थापन और एकीकरण ( १८५०  
८२ ई० )

६६

अधिकारी वर्ग का शिक्षा पद्धति पर प्रभाव—प्रारम्भिक  
कठिनाइयाँ—उच्च जातियाँ और उनके भाष में परिवर्तन—  
शिक्षा प्रसार पर इस परिस्थिति का प्रभाव—देसी भाषाओं  
के विरुद्ध भावना—तीन लिपियों से कठिनाइयाँ और  
शालोपयोगी पुस्तकों का अभाव—योग्य अध्यापकों और  
इन्स्पेक्टरों के अभाव की कठिनाइयाँ—रीड साहय का  
कार्य—तहसीली स्कूल—हलशायदी स्कूल—देसी मदरसों  
की अवस्था—सन् १८५४ का खराता—शिक्षा-कर—शिक्षा  
कर का पूर्व रूप—शिक्षा-कर का मालगुजारी में जोड़ा  
जाना—इस्तमरारी बंदोबस्त के जिलों में शिक्षा कर—  
शिक्षा-कर के नियंत्रण के लिए जमींदारों का माँग—  
सरकार का दाय—स्कूल कमिटियों की स्थापना—स्कूल  
कमिटियों की असफलता—नयी कमिटियों का रत्न—सन्  
१८८२ की अवस्था—

पाँचवाँ अध्याय—सन् १८८२ ८३ का शिक्षा-कमीशन १३३

१८५४ ई० के खरीते पर कितना असल हुआ—शिक्षा प्रचार  
की मद्द उन्नति—कमीशन की सिफारिशें—हमारे प्रांत  
के सम्बन्ध में विशेष सिफारिशें—

छठा अध्याय—सन् १८८० जाने कमीशन के याद की  
उन्नति १५०

ज़िला बोर्डों के अधिकार में गाँवों की प्रारम्भिक अवस्था—  
बोर्डों का घनाम व मन्व-धी फठिनाहूयाँ—देहात में प्राइवेट  
स्कूलों की असफलता के कारण—१९वीं शताब्दी के अन्त  
में प्राइमरी हलत्राव-दी स्कूलों की अवस्था—अन साधारण  
सक शिक्षा का न पहुँचना—अन की आवश्यकता—

सातवाँ अध्याय—उन्नति का युग १६८

१९वीं सदी के अन्त में देहातों में होने वाले सामाजिक  
तथा आर्थिक-परिवर्तन—हमारे प्रांत में शिक्षा का मन्द  
गति—अनाभाव—शिक्षा विभाग और हमदादा मदरस—  
हमदादी स्कूलों की शिक्षा की आलोचना—देहात स्कूलों  
के पाठ्य-क्रम में उन्नति करने की चेष्टा—सन् १९०४ में  
लाट्टे कज़न का शिक्षा-सम्बन्धी प्रस्ताव—

आठवाँ अध्याय—अनियमितता का सूत्रपात १६९

शिक्षा पर राजनाति का प्रभाव—विरोधी मतमन—शिक्षा  
को प्रामाण्य रूप देने की चेष्टाएँ—महासमर का प्रभाव—  
नया शासन-सुधार—

नया अध्याय—प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति की प्रगति  
पर शुद्ध विचार २०४



	पृष्ठ संख्या
पहला परिशिष्ट	२२०
लड़कियों की शिक्षा—	
दूसरा परिशिष्ट	२३१
अध्यापकों का शिक्षण—	
तीसरा परिशिष्ट	२४१
ग्राम्य शिक्षा का नियंत्रण—	
चौथा परिशिष्ट	२४५
पाठशाला जान योग्य बालकों की अवस्था—	
पाचवाँ परिशिष्ट	२५०
प्राथमिक डाइरेक्टर और शिक्षा मंत्रा—	
छठा परिशिष्ट	२५१
कुछ आवश्यक तालिकाएँ—	

---

## प्रस्तावना

हमारे देश के गाँवों में रहने वाले जन समुदाय की शिक्षा की समस्या केवल स्थानीय ही नहीं है, बल्कि उसका सम्बन्ध सारे ब्रिटिश साम्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सभी है। भारतवर्ष में सारे सभ्यता की जनसंख्या का आठवाँ भाग मौजूद है और ब्रिटिश-साम्राज्य की जनसंख्या का दो तिहाई। फिर इस जनसंख्या में प्रायः १०० में से ६० मनुष्य गाँवों में रहने वाले हैं। यद्यपि हमारा देशवासी सुसंस्कृत हैं और हमारी सभ्यता पर हजार वर्षों का पुर्णता हाँ गयी है, फिर भी हमारे यहाँ इस समय निरक्षरता और घोर अज्ञान का साम्राज्य है—यहाँ तक कि वर्ष १९३१ में हमारे यहाँ की साक्षरता का अनुमान (स्त्री और पुरुष दोनों मिला कर) ८ प्रतिशत से अधिक नहीं था। यह निरक्षरता हमारे लिए स-जावनक ही नहीं है, बल्कि बड़ी विनाशक भी है, क्योंकि हमारे यहाँ के अन्न, रुद्धि प्रसूत और सीधे-सादे किसानों में हर प्रकार का आन्दोलन प्रचार हो सकता है और ऐसा परिस्थिति में इनकी अज्ञानता न केवल राज्य के ही लिए, बल्कि सारे सभ्यता की शान्ति के लिए भयावह समस्या हाँ सकती है। स्वदेश का विद्युत् २० वर्षों का इतिहास हमारे इस कर्म का प्रमाण है।

जनसंख्या के विचार से, भारतवर्ष में हमारे प्रांत का दूसरा नम्बर है और हमारे यहाँ की जनसंख्या में १०० पीछे ८६ मनुष्य गाँव के निवासी हैं। इस कारण से हमारे यहाँ की ग्रामीण जनता की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। और चूँकि हमारे यहाँ की जनता बहुत कम साक्षर है, इसलिए सार्वजनिक शिक्षा की समस्या वास्तव में प्रारम्भिक शिक्षा की समस्या ही है।

अंगरेजों के अधिकार होने के पूर्व ही से हमारे प्रान्त में जन-साधारण की शिक्षा की बड़ी अधोगति थी, परन्तु पिछली शताब्दी के अन्तिम ५० वर्षों से अथवा ब्रिटिश सरकार ने साम्य-क्षेत्रों में शिक्षा प्रचार की बहुत कुछ चेष्टा की है। हमारे यहाँ की देसी पाठशालाएँ, यद्यपि उस समय भी, बहुत कुछ अवनत हो गयी थी, फिर भी वे उन लोगों की शिक्षा के लिए मुद्रिधा प्रदान करने के लिए काफी थीं, जो उस समय पढ़ने के अभिलाषी थे। इनमें से कुछ तो अवश्य ही ऊँचे दर्जे की थीं, लेकिन अधिकाँश छोट्टी छोट्टी ग्रामीण पाठशालाएँ ही थीं, जिनमें नित्य प्रति की साधारण परन्तु व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। इन पाठशालाओं की शिक्षा का विद्याभ्यास के आचरण पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था।

ब्रिटिश-सरकार की शुरु में यह नीति रही कि इन्हीं पाठशालाओं द्वारा नयी शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया जाय, ताकि गाँव की जनता नये कानूनों को और उनसे द्वारा प्राप्त होने वाले अपने अधिकारों और अपने उत्तरदायित्व को समझ सके। परन्तु थोड़े ही समय बाद सरकारी पाठशालाएँ स्थापित करने की नीति जारी हो गयी, जिनमें

निगुलक शिक्षा दिये जाने के कारण लोग बड़ी उत्सुकता से पहुँचने लगे ।  
 य दो तरह की पाठशालाएँ एक साथ जारी न रह सकती थीं और परियान  
 यह हुआ कि देखी पाठशालाएँ अधिकाधिक सम्पत्ता न हान लगी ।  
 इसका प्रमाण यहाँ तक पैला कि इन सरकारा पाठशालाओं की तरह  
 ही, सरकारा सहायता से चलने वाली पाठशालाएँ भी न बन सकीं ।  
 इसका कारण यह था कि हमार प्रान्त न जन-साधारण न उद्योग से  
 शिक्षा की वैसी उच्चन व्यवस्था न हा सकी, वैसी सरकार द्वारा हाती थी  
 और चूँकि पाठशालाओं न सार-क्रम न सारानयुक्तता का हा सन से  
 अधिक विचार रखा जाना है, इसलिये देखी न सरकार न सहायता प्राप्त  
 स्कूल बहुत अधिक न चल सक ।

सारा शिक्षा अरु सरकार का दायरे में हाती थी, परन्तु सरकार  
 भी जनसाधारण का सहायता प्राप्त करने न लिये उत्सुक थी और इसी  
 उद्देश्य से पहले स्कूल समितियाँ और निर निता समितियाँ आदि  
 बनाकर इस प्रयाग क्रिय गय । इसन बाद जन स्वयंसेवा शासन  
 का विद्वान्त स्वीकृत हुआ, साम्य शिक्षा का प्रत्येक अधिकाधिक रूप में  
 जनता द्वारा निराचत सदस्यों का दायरे में हान लगा । यहाँ तक कि  
 अरु सामाज्य शिक्षा का समस्त शासन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोर्डों क हाथ में  
 आ गया है न अरु पूज रूप से जनसाधारण द्वारा निराचित मर्यादों  
 हैं और निर १९२१ ई० न शासन सुधार क समन ने ता शिक्षा की  
 नाति और उद्योग प्रवर्धन का साथ अधिकाधिक नालान शिक्षा नती क  
 अधिकाधिक न आ गया है, जो अरु अरुन कार्यों न लिये जनता द्वारा  
 नानार्थक व्यवस्थापिका बना क प्रति उत्तरदायी है ।

अगर जरा गौर से देखा जाय तो हमारे प्रान्त के अधिकारियों ने शिक्षा को जनसाधारण में अधिनाधिक प्रसार करने की अपेक्षा उसके लक्षण-गुण पर अधिक ध्यान दिया है, यद्यपि हमारे यहाँ के पाठ्यक्रम में यत्नर उन्नति होती रही है और उसे जनसाधारण की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोगी बनाने का प्रयत्न भी किया जाता रहा है। इसी उद्देश्य से प्रेरित हो कर देसी स्कूला के अध्यापकों के शिक्षण, उनके वेतन और उनकी भविष्यान्नति की ओर भी शिक्षा विभाग का यत्नर ध्यान रहा है। स्कूला की इमारतों, उनका साधन-सामान और उनमें पढ़ने वालों मित्राधिया के लिए उपयुक्त पाठ्य पुस्तकों तैयार कराने की ओर भी उन्नतिमारी चेष्टाएँ हाती रही हैं और इस प्रकार अन्श्य ही ग्राम्य-शिक्षा प्रसार की नांव यत्नर सुदृढ़ और सुसंगठित बनायी गयी है। परन्तु इस शिक्षा प्रसार का पारणाम हमारे यहाँ की शिक्षा प्राप्त लागा की सख्या ना देखते हुए कुछ अधिक उत्साहमदक नहा है।

हमारी सरकार लाफारकारी शिक्षा ना ही प्रबन्ध कर सक्ती थी और यह उसने कर ही दिया, परन्तु वह लागा का इसना उपयोग करने के लिए बाध्य नहा कर सक्ता। हमारे प्रान्त की शिक्षा कुछ विशेष जातियों तथा कुछ विशेष वृत्तियां न लागा तक ही परिमित थी और जब तक इन लागा की माँग पूरी नहा हा गयी, तितनी बार शिक्षा प्रसार के लिए अधिनाधिक व्यय की माँग परा की गयी, शिक्षा प्राप्त करने वालों मित्राधिया की सख्या भी बढ़ती गयी, परन्तु ग्राम्य शिक्षा निस्तार के लिए जा नयी याजनाएँ उपस्थित की गयीं, उन्हाने नयी माँग उत्पन्न करने के विपरीत पूर्ति ही बढ़ाने का काम किया और इसलिए इतना सब कुछ

होते हुए भी अभी तक वह दिन निम्न नहीं आ पाया, पर हमारे देश में साक्षरता देशव्यापी हो जाय ।

इन नये स्कूलों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, उसका आराम्य जनता में बहुत अधिक आकर्षण न होने का अधिक और सामाजिक कारण है, क्योंकि वे लोग भी जो अपने बालकों में इन स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजते रहे हैं, इहाँ कारणों से राध्य हो कर उन्हें बहुत अधिक समय तक नहीं पढ़ा सके और इस कारण इन स्कूलों की शिक्षा से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा सके । इस प्रकार जल अपनी प्रवृत्ति हो के कारण शिक्षा ग्रहण करने की लोभा की निरलता प्रकट हो गयी और ऐसी परिस्थिति में शिक्षा को अनिर्वास्य कर देने के विराय कोई दूसरा उपाय न रह गया ।

इस प्रकार हमारे प्रान्त में ग्राम्य शिक्षा का इतिहास वास्तव में देशी भाषाओं की शिक्षा की नींव का मुहृद करने का सफल प्रयास का ही लेगा कहा जा सकता है । हमारे यहाँ के प्रारम्भिक और मिडिल स्कूल, दूसरे प्रान्तों के अधिकार ऐसे ही स्कूलों से, अपने विद्याधारा की सग्न्या का छाड़ कर, और किसी बात में कम नहीं हैं और इस सग्न्या वृद्धि की मन्दावृत्ति के लिए हमारे यहाँ का शिक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि किसी भी देश में अनिर्वास्यता के बिना विद्या का प्रचार जनसाधारण में नहीं हो सका है । हमारी सरकार सिद्धान्त रूप से अनिर्वास्य शिक्षा के विराय में नहीं थी, लेकिन अधिक खर्च और लागत पर दबाव और जोर चुल्स के भय से इसका एकरात करन से हिचकती थी । दूसरे, सरकार का यह भी निरास था कि अनिर्वास्यता का समय अभी नहीं आया ।

१९२६ इ० म अन्ततागत्वा इस अनिवायता का भी श्रीगणेश हो गया और अब जिला बोर्ड और म्युनिस्पल बोर्ड सथाओं को इस बात का अधिकार प्राप्त हो गया है कि वे जहाँ चाहे, अनिवार्य शिक्षा का प्रसार करें।

इस प्रकार १९२६ इ० म हमारे प्रान्त के ग्राम्य क्षेत्रों में, लोगों की प्रवृत्ति के अनुसार ही शिक्षा प्रसार के लिए उद्योग करने का कार्य समाप्त हो कर, अनिवायता की नाँव पर शिक्षा प्रसार का नवयुग शुरू होता है। पिछले ७५ वर्षों में सरकार ने शिक्षा की उन्नति के लिए जितने प्रयत्न किये हैं, उनके कारण इसकी नाँव बड़ी सुदृढ़ हो गयी है और उसे सुसंगठित और सुचारु रूप से चलाने की परम्परा स्थायी हो गयी है। इसलिए अब हमारे यहाँ की शिक्षा के अनिवार्य कर देने में इस बात का भय नहीं रहेगा कि उसका कारण हमारी शिक्षा कृत्रिम या दिखावटी हो जाय और उसका फायदा स्थायी मूल्य ही न हो।

---

# ग्राम्य शिक्षा का इतिहास

## पहला अध्याय

### ग्रामवासी

#### ( १ ) उसके साधन

सयुक्त प्रान्त आगरा व अवध में नगर कम और गाँव अधिक हैं। सन् १९३१ की गणना के अनुसार इस प्रान्त की जन-संख्या ४,९६,१४,८३३ है। किन्तु उसमें से केवल १०६ फी सदी व्यक्ति ही नगरों में रहते हैं, शेष ८९४ फी सदी मनुष्य अपना जीवन गाँवों में बिताते हैं। इस प्रान्त में, ६७७ व्यक्ति एक वर्गनाज़ कृषि भूमि पर जायिदाद के लिए निर्भर हैं, अर्थात् प्रत्येक व्यक्ति के गाँव में कठिनता से एक एकड़ भूमि आती है। अगर मय जिला में यह औसत भा नहीं पड़ता। किसी-किसी जिन में तो १॥ एकड़ प्रति व्यक्ति तक का औसत बैठ जाता है। अतएव अथ स्वता के लिए और भूमि का मिलना अत्यन्त कठिन हो गया है।



भूमि पर जनता की आजीविका का अत्यधिक भार है। चूँकि खेती ही देश का एकमात्र प्रधान उद्यम है, इसलिए किसानों में खेत पाने के लिए बड़ी लागूबाँट रहती है। फिर, भूमि अधिस्तर जमींदारों के पास है, इससे किसानों की आपस की बड़ाबड़ी के कारण भूमि का लगान बहुत बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त खेत करने के ढंग भी पुगाने हैं और यह होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि खेत प्रायः इतने छोटे होते हैं कि उनमें नये ढंग से खेती करना असम्भव सा है। इसमें उपन भी अनेकाकृत कम ही होती है।

इस ग्रामन के गाँव भिन्न भिन्न आकार के हैं। एक साधारण आकार के ग्राम में औसतन १०० या इससे कुछ अधिक घर होते हैं। वहीं कहीं जमींदार गाँव में ही रहते हैं। जमींदार प्रायः ऊँची जाति के होते हैं। गाँव के अधिकांश घर कच्चे होते हैं। गाँव में साधारणतया एक मन्दिर अथवा एक मस्जिद होती ही है। एक "चौपाल" भी होती है, जहाँ गाँव वाले घट्टुधा एकत्रित हुआ करते हैं।

इन गाँवों की जनता का वर्गीकरण कई तरह से—जातिवार, धन्येवार या वन-सचय की स्त्री पेशी के अनुसार—किया जा सकता है। यह सम्भव है कि ऐसे वर्गीकरण करने में जो चग वनते हैं वे कभी कभी एक दूसरे से मिलते-जुलते हों, फिर भी यह आवश्यक नहीं है कि जा जाति में बड़ा हा यह धन में भी बड़ा हो। वस्तुतः धन की दृष्टि से गाँव की जनता का ठीक-

ठीक वर्गीकरण करना बड़ा कठिन कार्य है। हाँ, यदि गाँव के जमींदार और बौद्धों को एक वर्ग में रख दिया जाय तो गाँव के शेष निवासी दूसरे वर्ग में रख जा सकते हैं।

हिन्दुओं में तो चार जातियाँ हैं और यद्यपि इस्लाम जाति पति का शायल नहीं, फिर भी मैयट का जुलाह क प्रति अपना उच्चता का इतना विचार ता स्वभावतः ( और विशेषतः जहाँ विवाहादिक सम्बन्ध की बात हा ) बना ही रहता है नितना कि ब्राह्मण में अपना जाति स नाच का जाति क प्रति रहता है। हिन्दुओं में ब्राह्मण, क्षत्रिय ( ठाकुर ), वैश्य रनिया और शूद्र चार मुख्य जातियाँ हैं। इनके अलावा एक पाँचवीं जाति और भी है जा अछूत कहलाती है। मरम गया बीता काम करक य अपनी जीविता चलाते हैं। प्रथम त न जातियाँ उच्च जात क नाम स पुकारी जाती हैं और ताको 'नीच रौम' माना जाती है।

इनमें ब्राह्मण, शायस्थ और वैश्य साहित्य मया जातियाँ हैं, स्याकि इनकी आजीविता बिना कुछ पढ़ लिख चल नहीं सकता। जमींदार वर्ग तो प्रायः क्षत्रिय हैं। वीर भाग्या वसुन्धरा का पुरानी ससृष्ट लोकाक्त क अनुमात्र प्राचान काल म तलवार क तल पर हा नूनि का अधिकार भाग जाता था। अतः शस्त्र चिन्ता में पढ़ कर शास्त्र चिन्ता का आर म क्षत्रिय-नाग किनारा करी कर गय। अर मुसलमाना में नैयद, राज और मुगल ऊँचा रौम क मान जात है। इनम न पहल था था क नाग साहित्य सयी है। लेकिन साहित्य-मयी नागों का नन्दा गाँवों म रात

योद्धी है। अतः जिन गाँवों में केवल ऊँचो ही जाति के लोग बसते हैं, उनको छोड़ कर गाँवों की अधिकांश जनता में साहित्य प्रेम की परम्परा का अभाव ही है।

अब यदि हम ग्रामीण जनता का वर्गीकरण उपजीविका की दृष्टि से करें तो यह जनता—कृषोपजीवी और शिल्पजीवी—दो वर्गों में बँट जाती है। कृषोपजीवी समाज परिभाषा में ८० का सदी और शिल्पजीवी समाज २० की सदी ही होगा। गाँवों में अब तक जिस गति से कृषि उर्म और गृह शिल्प प्रणाली चल रही हैं, उसके सीखने में तथा उसके द्वारा आजीविका चलाने में भी नवीन शिक्षाक्रम के अनुसार पढ़ने लिखने या हिसाब सीखने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है।

प्रायः ग्रामीण जनता का पञ्चमांश जमींदार वर्ग है, जो सामान्यतः साधन सम्पन्न है। लेकिन विवाह की शान शौकत तथा अदालत के खर्च का इन पर इतना अधिक जोर रहता है कि ये लोग सदा से ही कर्ज में दबे हुए हैं। सौभाग्यवश कर्ज का नाम न हो तो भी इन खर्चों के कारण उचित तो बढ़ाचिन्त ही होगी। कुछ किसान, जिन्हें भूमि पर कानूनी अधिकार प्राप्त हैं, जरूर चुशहाल हैं, लेकिन अधिकांश कृषोपजीवी समाज 'शिकमी' ही हैं—यानी भूमि भाड़ पर लेकर 'फारत' करते हैं। गूदर या पञ्चम वर्ग का इस वर्ग में अधिकता है। गाँव के शिल्पजीवी लोग भी अपनी आय की कमी पूरी करने के अभिप्राय से थोड़ी बहुत भूमि जोत-थो लेंते हैं। इन वर्गों में रैखत वर्ग का

सबसे गया जाता, निधन और साथ ही मरने अधिक परिश्रम प्राप्त समुदाय है। मर्याम भी यह तरहसे बढ़ बढ़ कर है। कसल समाप्त हुई और गरमी में जहाँ कृषि कार्य बन्द हुआ कि इनको बेकारी बढ़ जाती है। माराश यह कि य लोग कठिनाई से अपना पट भर पाते हैं।

ग्रामाण जनता का २० फी सदी अवशिष्ट वर्ग शिल्पजायी, व्यापारी, समाज सजी, स्वतन्त्र आजीविमानुयाया, और भिक्षा पर जीवन यापन करने वालों का है। इन ग्रामों में शिल्परक्षारों द्वारा अपनी जीविका चलाने वाले कुम्हार, ठठरे, लुहार, मुनार, दर्जी, सटपुने, जुलाहे, पटव, चुड़िहार, रगरेज और माना आदि हैं। लेकिन बाजारों में मशीन के बने सामानों का रल पल होने से इनको अपना व्यवसाय जीवित रखना कठिन हो गया है। मुनार, लुहार और कहीं कहीं दर्जी को धाड़ कर अन्य सभी ग्राम्य शिल्पियों की दैनिक आय इतनी कम होती है कि उन्हें अपना निर्वाह करने के लिए थोड़ी खेती भी करना पड़ती है। इस लिए कुछ श्रम में उनके निर्वाह का भार भी भूमि पर ही पड़ता है।

ग्राम के व्यापारों में अनाज के अद्वितीय, तेल, दल-चाई, तनाला, कुंजड़, कलवार, पसाटा, बजाज और गल्ले के व्यापारों हैं। अपने प्रादिक वर्ग के अधिक सम्यग्र न हान के कारण ये भी अधिक सम्यग्र दशा में नहाई।

माराश यह है कि 'रैयत' वर्ग अत्यन्त दरिद्र है। यह अपना मन्तान से छुटपन में ही मेहनत मजदूरी कराने के लिए मजदूर

है और उनके पढ़ाने लिखाने में नाम मात्र खर्च को भी वह सहन नहीं कर सकता। पाठ्य पुस्तक आदि चीजों का खर्च तो उसकी शक्ति से पर की बात है।

## ( २ ) उसकी आवश्यकताएँ

'रैयत' वग की, जो इस देश का सर्वस्व है, यह दुर्दशा है। उसका सारा जीवन नीरव और नीरस है। शताब्दियों के क्रूरों ने उस को जजरित कर दिया है। चौहरे के तमाजों को, जमींदारों की बगारों को, और कभी-कभी पुलिस की ज्यादतियों को वह उम्मी बेगमा के साथ सहन कर लेता है जिस बेवम्मी के साथ वह इन्फ्लुएन्जा, प्लेग, या हैजा आदि को दैवी कोप समझ कर सहता है। जमींदार को प्रायः कृषकों की इन कठिनाइयों का कोई आभास नहीं होता।

भारत में कृषक वग के अयकारों के समय के लिए मनोरञ्जक-साधन प्रस्तुत करना और उससे जीवन में सुखमय विकास की सामग्री प्रस्तुत करना एक विकट प्रश्न और आवश्यक प्रश्न है। गाँव वालों में सस्कृति की कमी हो, सा बात नहीं है परन्तु उनके बीच में अब कोई आश्रयदायिनी और प्रास्ताहनार्थक समस्या नहीं रही है। इंग्लैंड के गाँवों में तो गिरजाघर का पादरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके द्वारा गाँव भर में सस्कृति का प्रसार होता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई साधन अब नहीं रहा है। ग्राम्य-जीवन का एक-रसता में परिवर्तन करने

क यदि कोई अरुचर हैं तो कवल जिवाह, भोज, मेला या धार्मिक यात्रा आदि हैं। परन्तु प्रायः य भा उसरु ऊपर श्रेण का भार लानन का कारण बनत हैं। आरुम साहय क विचार मे प्रति वष हैजा से मरन वाले 100 में ५० मनुष्य इन भोजों के कारण अरुना जान गंराते हैं। रान्तय मे इन कुप्रया की जड़ उनरु नित्यप्रति क जावन का रुरापन है, जिससे ऊर कर यह किमी भी अरुचर का गतामन मान कर मनो-विनाश मे लग जाते हैं और अपनी इस प्रवृत्ति को धार्मिक या सामाजिक रूढियों की आड़ मे छिपान का प्रयत्न करत हैं। इस प्रसार प्राम्यजन क जावन सुधार क लिए केवल आर्थिक शक्ति-वृद्धि को हा आरुचरुता नही है, शक्ति बुद्धि ण्मी भी सामग्री उपस्थित करन का आरुचरुता है जिससे उसरु जीवन मे समुग्गलता भा आ जाय।

यह बात सभा रुराकार करते हैं कि प्राम्य जनता मे विद्याभ्यास क प्रति भद्रा हाता है, लेकिन उमठी आर्थिक अरुचया इतनी शाबनीय है कि रिन किमी अरुचन्त आरुचरु एरम् प्रभारा-त्वादक कारण के यह अपने उच्च का शिक्षा क लिए नारी स नारी आरुम-त्याग नही कर सकती। विद्याभ्यास मे लोगों की प्रवृत्ति करान का बात परम्परा, ज्ञान सन्पादन करन को उत्कृष्ट इच्छा, तथा आजीविका का आरुचरुता आर रुरावे न इच्छा यदान क निमित्त शिक्षा—य हा पार कारण हा सकते हैं, जिनसे प्रति हाकर सारा शिक्षा प्राप्त करन की आकांक्षा करते हैं।

विद्याभ्यास का परम्परागत प्रवृत्ति ब्राह्मण, कायस्थ, खत्री, और वैश्यों आदि साहित्य-सेवी जातियों में वर्तमान है। इनके अलावा ऊँची जाति के मुसलमानों में भी विद्या प्राप्त करने की रुचि है। इनके साथ केवल परम्परा का ही प्रश्न नहीं, बल्कि रोटी कमान का भी प्रश्न रहता है। सरकारी नौकरी करके ही अपना निर्वाह करना इनकी आनीविका है। ये ही साहित्य-सेवी जातियाँ भारतीय जनसमुदाय में मध्यम जातियाँ हैं। ये जसते भले ही ग्रामों में हों, परन्तु इनको आनीविका बरा नगरों में ही रहना पड़ता है। राज की आरसे कोई प्रबन्ध न हा तो भी अपनी सन्तान को शिक्षित बनाना इनके जीवन का परम प्रयोजनीय और आवश्यक कार्य है।

सधन समाज में—जिन्हें जीविका के लिए नौकरी आदि करने की आवश्यकता नहीं—विद्याभ्यास की जो प्रवृत्ति पैदा होती है, उसका एक मात्र कारण ज्ञान सम्पादन करना हो सकता है। लेकिन यह बात तो प्रसिद्ध है कि अब तक कोई भी ऐसी प्रवृत्ति इनमें जागरित नहीं हुई। केवल ब्राह्मण या मौलवी समुदाय के कुछ लोग इस आस्तिक प्रवृत्ति से ज्ञान सम्पादन के लिए विद्याभ्यास की ओर मुझे हों तो मुझे हों। आजकल जमींदार लोग अपनी सन्तानों को इस अभिप्राय से शिक्षित बनाने का प्रयास करने लगे हैं कि अपने घराने की सम्मान-वृद्धि के लिए, डिप्टी कमिश्नरी, पुलिस सुपरिटेण्डेण्ट आदि सरकारी पदों की प्राप्ति के अपनी सन्तानों को तैयार करने

नहीं करा करते । जमीन्दार लोग प्राय गाँवों में रहते हैं । अतः इनमें शिक्षा का प्रचार होना स प्राण्य शिक्षा क्रम में सुधार होना आवश्यक है ।

लेकिन रैयत अपना सन्तान को किस उद्देश से विद्याभ्यास कराने के लिए वैठारे ? यदि उसका पुर पढ़ना लिखना सीख भी लेता किस काम का ? उसका ज्ञान रहचान का क्षेत्र सङ्कुचित है । उसका संग सम्बन्धी उमो गाँव में या पाम-पड़ोस में रहते हैं । वह पत्र व्यवहार का शौक नहीं रखता । फिर गाँव में भी तो कोई एसी बात नहीं जिसमें उस लिखने पढ़ने की आवश्यकता पड़े ? उसका लिए कोई ऐसा उपयोगी और सस्ता साहित्य भी उपलब्ध नहीं जिसे वह सरलतया प्राप्त कर सक । गाँवों में पुस्तकालय, कृषकवास अथवा रात्रि-पाठशालाएँ भी नहीं हैं । फिर पढ़े लिखे लोगों से मिलन भेटन का अवसर या सुयाग ही उस कहीं और कर मिल पाता है ? जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वे गाँव छोड़ कर शहरों में चले जाते हैं और फिर उनके लिए गाँव में जाने के बहुत कम अवसर रह जाते हैं ।

देशी भाषाओं में निरालन वाले समाद-पत्रों का पहले तो मूल्य ही उसके लिए इतना अधिक है कि वह उन्हें मोल नहीं ले सकता और रुदाचिन् ऐसा सम्भव है तो इन पत्रों का भाषा विन्यास और उनकी शैली ऐसी है कि उसकी समझ में आना दुर्लभ है । इन पत्रों में विनोदात्मक या मनोरजनात्मक साहित्य, कथानक, सामयिक चुटबुने आदि का तो अभाव सदा रहता ही है । इसलिए



विद्याभ्यास का परम्परागत प्रवृत्ति ब्राह्मण, कायस्थ, खत्री, और वैश्यों आदि साहित्य-सेवी जातियां म वर्त्तमान है। इनके अलावा ऊँची जाति क मुसलमाना मे भी विद्या प्राप्त करने की रुचि है। इनके साथ केवल परम्परा का ही प्रश्न नहीं, बल्कि रोटी कमान का भी प्रश्न रहता है। सरकारी नौकरी करके ही अपना निर्वाह करना इनकी आनीबिका है। ये ही साहित्य-सेवी जातियाँ भारतीय जनसमुदाय म मध्य उग जातियाँ हैं। ये बसते भले ही ग्रामों मे हों, परन्तु इनको आनी बिका बश नगरों म ही रहना पड़ता है। राज की आर से कोई प्रग्रन्ध न हो तो भी अपनी सन्तान को शिक्षित बनाना इनके जीवन का परम प्रयोजनीय ओर आवश्यक कार्य है।

सधन समाज में—जिन्हे जीविका के लिए नौकरी आदि करने की आवश्यकता नहीं—विद्याभ्यास की जो प्रवृत्ति पैदा होती है, उसका एक मात्र कारण ज्ञान सम्पादन करना हो सकता है। लेकिन यह ध्यान तो प्रसिद्ध है कि अब तक कोई भी ऐसी प्रवृत्ति इनमें जागरित नहीं हुई। केवल ब्राह्मण या मौलवी समुदाय के कुछ लोग इस आस्तिक प्रवृत्ति से ज्ञान सम्पादन के लिए विद्याभ्यास की ओर झुकते हों तो झुकते हों। आजकल जमींदार लोग अपनी सन्तानों को इस अभिप्राय से शिक्षित बनाने का प्रयास करन लगे हैं कि अपने घराने को सम्मान-वृद्धि क लिए, डिप्टी कलक्टरी, पुलिस सुपरिटेन्डेन्टो आदि सरकारी पदों की प्राप्ति के अपनी सन्तानों को बिना पढ़ाये

नहीं करा सकते। जमींदार लोग प्राय गाँवों में रहते हैं। अतः इनमें शिक्षा का प्रचार होना से ग्राम्य शिक्षा क्रम में सुधार होना आवश्यकभावी है।

लेकिन रैयत अपनी सन्तान को किस उद्देश से विद्याभ्यास कराने के लिए बैठावे ? यदि उसका पुत्र पढ़ना लिखना सीख भी ले तो किस काम का ? उसका जान-बूझान का क्षेत्र सङ्कुचित है। उसका सग सम्बन्धी उसी गाँव में या पास पड़ोस में रहते हैं। वह पत्र व्यवहार का शौक नहीं रखता। फिर गाँव में भी तो कोई ऐसी बात नहीं जिसमें उसे लिखन पढ़ने की आवश्यकता रहे ? उसके लिए कोई ऐसा उपयोगी और सस्ता साहित्य भी उपलब्ध नहीं जिसे वह सरलतया प्राप्त कर सके। गाँवों में पुस्तकालय, कृपावास अथवा रात्रि पाठशालाएँ भी नहीं हैं। फिर पढ़े लिखे लोगों से मिलन भेटने का अवसर या सुयोग ही उस कहीं और कत्र मिल पाता है ? जो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं वे गात्र छोड़ कर शहरों में चले जाते हैं और फिर उनके लिए गाँव में जाने के बहुत कम अवसर रह जाते हैं।

देशी भाषाओं में निकलन वाले समाद पत्रों का पहले तो मूल्य ही उसके लिए इतना अधिक है कि वह उन्हें मोल नहीं ले सकते और कदाचित् ऐसा सम्भव ही तो इन पत्रों का भाषा विन्यास और उनकी शैली ऐसी है कि उसकी समझ में आना दुर्लभ है। इन पत्रों में विनोदात्मक या मनोरजनात्मक साहित्य, कथानक, सामयिक चुटकुले आदि का तो अभाव सदा रहता ही है। इसलिए

उस उदाचित ही कभी इनक पढ़ने का काम पडता होगा। गाँव म तो दुकाओं पर उनके नाम की तखनी या अन्य कोई विज्ञापन भी नहीं होता, जिस कभा काइ निगाह उठा कर पढ़ ले। गाँव वाल रामायण और आल्हा क प्रेमो होते हँ चरुह, परन्तु इन्ह व दूसरों स मुनकर ही अपना मनोविनोद पूरा कर लेते है। इन पुस्तका को मोल लेकर रखने और पढने क लिए उनके पास पैस नहीं होते हे ? रही लेन देन की रसीद पुर्जों को पढने का बात, सा पदल ता ये पुर्जे ऐसी लिपि म लिग्ने जाते हँ कि इनक पढ़न वाले भी कठिनता से पढ़ सकते हँ और दूसरे अगर वह पड भा लें ता उसका लाभ उठाने के लिए जमींदार या मुशाजो स लड़ाई माल लेन की ठिठाई करना उनकी शक्ति से परे की बात हँ।

तब यह प्रश्न भी उसक सामने आता है कि क्या यह शिक्षा-क्रम उसक व्यवसाय म उपादेय बन सकता है ? विचार करन पर मालूम हाता है कि प्रस्तुत स्वरूप म कृपिवग का किसी प्रकार की शिक्षा अपचित नही, क्योंकि कृपि नारी क तरातों में उत्तति की बहुत कम गुञ्जाइश है। उनका कहना है कि आन कल की शिक्षा कृषका का सन्तान में खेत म खड़ हाकर काम करने में अरुचि पैदा कर दती है। कुछ कृपक तो यह भी कहते हँ कि यह शिक्षा उन्हें निधन बनाने का कारण बनता है। एक नाई ने मुझ स कहा कि उसन अपन लडके का नाहक अङ्गरेजी पढ़ा कर अपना सत्यानाश किया। उसन कइ बार ९वीं कक्षा में फेल

हकर अन्त में २० रुपये की नौकरा कर ली और शहर में रहने लगा है। अगर वह अपना काम करता तो उस इससे नहीं अधिक आय होती और इतना खर्च भी न पड़ता। इसी प्रकार मुझसे एक देहाती स्कूल के एक मुदरिस ने कहा कि उसने जितना रुपया अपना पढ़ाई में खर्च किया था यदि उतने रुपये इकट्ठे करके वह इका माल लेकर भाड़े पर हाँफता तो आर्थिक दृष्टि से वह इन मुदरिसी की अपेक्षा वहीं अच्छा रहता। अतः यह बात मिलजुल स्पष्ट है कि ग्राम्य जन के सामने ऐसी कोई आवश्यकता नहीं जिसके कारण वह अपना धन और समय लगा कर शिक्षा से किसी भारी लाभ की आशा कर सकें।

कुछ लोगों का विचार है कि शासन सुधार के युग का प्रारम्भ होने पर कृषकों का वोट देने में जा वृद्धत अधिकार मिले हैं उससे उनमें विद्याभ्यास की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पर भारतीय जनता चुनाव के परचों को पढ़ कर किस वोट देना चाहिए, यह निश्चय नहीं कर पाती। दूसरे चुनाव के परचे गाँवों तक शायद ही पहुँच पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में वोट देने के अधिकार की वृद्धि के कारण विद्याभ्यास के प्रचार में अधिक सहायता नहीं मिल सकती।

यह तो ग्राम्य जन की दृष्टि से विचार करने पर वस्तुस्थिति का दर्शन हुआ, जिससे प्रकट है कि यदि उसकी इच्छा पर जोड़ दिया जाय, तो उसके पास कोई ऐसा कारण नहीं है जिससे वह अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए समय और धन का मोह छोड़ दे।

लेकिन यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वह विद्याभ्यास के विपक्ष में भी कदापि नहीं है। जब तक उसका बालक चार पैसे कमाने लायक नहीं बनता तब तक, यदि स्कूल पास में है और पढ़ाई के खर्च में उसकी गाँठ के पैसे अधिक खर्च नहीं होते, तो वह अपने दूबे को प्रसन्नता से स्कूल में बैठा सकता है। लेकिन जहाँ वह बच्चा काम में हाथ बँटाने लायक हुआ कि उसे स्कूल से विदाई लेनी ही पड़ेगी।

---

## दूसरा अध्याय

### शिक्षा का प्राचीन क्रम

भारत के जो प्रदेश अब आगरा व अवध के संयुक्तप्रान्त के नाम से पुकार जाते हैं वे इतिहास में पहले हिन्दुस्तान के नाम से प्रसिद्ध थे। शताब्दियों तक ये प्रान्त धन और सुख की गोद में फूले फूले और इसी सुख समृद्धि के लोभ से प्रेरित होकर परिचमात्तर के आक्रमणकारियों द्वारा ये प्रान्त इन चीजाँ से वंचित भी किये गये। १६वीं शताब्दी में मुगलों ने यहाँ अपनी सत्ता अच्छी तरह जमा ली थी। लेकिन उनका पतन होने के साथ ही ये प्रान्त शक्तिशाली प्रतिस्पर्धियों की मुठभेड़ का अखाड़ बन गये। सन् १७०७ में औरङ्गजेब की मृत्यु के बाद उस लगा कर, पद्माल के अहाते में मिलाने के समय तक, ये प्रान्त अशान्ति और विषम के घर बन रहे। उस विपन्नक समय में जावन रक्षा में व्यग्र रहने के कारण, इन प्रान्तों के निवासी शिक्षा दीक्षा की ओर आवश्यक ध्यान न दे पाये। जब अङ्गरेजों ने लाग इस प्रान्त में पहुँच तो उन्होंने देखा कि इन प्रान्तों के निवासी शिक्षा विहीन हैं। परन्तु उस समय भी, प्राचीन

परिपाटी की स्मारक, एक प्रकार की शिक्षा प्रदान की परम्परा यहाँ फिर भी मौजूद थी। अतः अङ्गरेजी शिक्षा के प्रादुर्भाव काल से पहले की इसी शिक्षा प्रदान शैली का वर्णन हम करेंगे।

डाक्टर एफ० डब्लू० टॉमस ने इन प्राचीन शैली की पाठशालाओं को हिन्दू प्रारम्भिक और हिन्दू शास्त्रीय पाठशालाएँ, मुस्लिम प्रारम्भिक स्कूल तथा मुस्लिम मक़तब इन चार भागों में विभक्त किया है। हिन्दुओं में छोटे-बड़े दोनों प्रकार के विद्यालय पाठशाला के नाम से पुकारे जाते थे, वैसे ही मुसलमान अपने छोटे-बड़े विद्यालयों का मक़तब के नाम से पुकारते थे। लेकिन यस्तुत ये दोनों नाम केवल ऊँचे दर्जे की पढाई की सस्थाओं का दिये गये थे। गड साहब ने अपनी प्रथम रिपोर्ट में प्राचीन पद्धति पर शिक्षा प्रदान करने वाली सस्थाओं का १० विभागों में विभक्त किया है। उन्होंने ये विभाग उनमें सिग्यायी ज्ञान वाली भाषाओं की विभिन्नता के अनुसार निर्धारित किये थे। लेकिन अपने उद्देशानुसार हम यहाँ पर केवल दा, यानी प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने वाले तथा उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालय के विभागों को मान लेते हैं और उनमें साथ हिन्दू और मुस्लिम इस प्रकार दो उपविभाग मानने से हमारा काम चल जायगा।

सब से पहली बात जो हम यहाँ बतला देना चाहते हैं वह यह है कि आज दिन दिन अर्थ में 'स्कूल' शब्द व्यवहार में आता है एक शताब्दी पहले उसके यह अर्थ नहीं था। उन दिनों

एक शिक्षक के निरोक्षण में किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर कम से कम दो चार या अधिक पन्द्रह बीस लड़के जहाँ पढ़ते थे, उस स्थान का पाठशाला या स्कूल कहते थे। ऐसे स्कूलों में न तो कोई कक्षाएँ या ब्रेणियाँ थीं और न चटाई के सिवाय किसी प्रकार का सामान। इन स्कूलों में पढ़नवाले लड़कों के पास लकड़ी के तख्तों की बनी हुई 'पट्टी' या 'तखती' होती थी। इसका हरी घास या पत्ता से मलकर हरा रंग दिया जाता था और गोटे से रगड़ कर चिकना किया जाता था। पास हा के खतों की कृसा नाड़ी में से वाड़कर सरकड की कलम बनाया जाता थी और मट्टी की छोटा सी कुलिया न सड़िया मट्टी बोलकर दयात तैयार हा जाती थी। पुस्तकें पढ़ने का मुखोपभोग उन्हें कहीं नहीं था।

१८७१ ई० में लखनऊ में एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी हुई थी। इसमें एकत्रित शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकें, अन्य सामग्री तथा उपकरणों के विषय में डाक्टर स्मिथ ने एक रिपोर्ट पेश की थी। उनमें भारतवर्ष का एक प्राचीन चटसाल ( पाठशाला ) का उल्लेख इतना भाति किया गया है। 'भिन्न भिन्न देशों में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों पर प्रकाश डालने के लिए इस अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसमें युरोपियन शिक्षा विभाग में जहाँ लम्बे चौड़े आडम्बरयुक्त बहुमूल्य साज सामान का प्रदर्शन है, वहाँ दुस्खिना कैम्बिगटन के अनायवधर में भारतवर्ष का प्राचीन पद्धति के अनुसार शिक्षा प्रदान करने वाली पाठशाला के



माडल में हमें क्या दिखायी देता है ? ताड़ के पत्तों से स्वयम् पढ़नेवाले बालकों द्वारा बनायी हुई हलकी सी चटाई, जिसे उठाने और रखने में कोई कठिनाई नहीं होती और जिसका मूल्य भी एक आना मात्र है ! इस चटाई के अनुरूप ही उनके पढ़ने का स्थान है । इसे बड़े आदर सूचक शब्दों में हम 'विद्यालय का भवन' कह सकते हैं । यह भी इसी सादगी का नमूना था । कहीं कहीं अध्यापक का कच्चा भोंपड़ा ही स्कूल के काम आता था । कहीं गाँव के मुखिया के घर के दालान में स्कूल लगता था और कहीं किसी महानन के द्वार पर खुले चबूतरे पर ही पठन पाठन हाता था । अगर कहीं इस काम के लिए मन्दिर, मसजिद या थाना आदि सार्वजनिक स्थान मिल गया, तब तो विद्यार्थियों का भाग्य ही उदय हुए जानना चाहिए । अगर इन सब में से किसी बात की सुविधा न हुई तो फिर किसी सायेंदार पेड़ के नीचे ही चटसाल लगती थी ।

सन १८६८ ई० में एस० लॉग साहब ने ऐडम साहब की रिपोर्ट का सम्पादन किया । 'मुमलमानी शासन के आरम्भ हाने के पूर्व बङ्गाल में देशी शिक्षा' इस रिपोर्ट का विषय था । इसके अनुसार गाँवों में हिन्दुआ का प्राचीन प्राम-सध ( Old Municipal System ) प्रचलित था । इसके अनुसार हर गाँव में एक मुखिया, पुरोहित, बड़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, धोत्री, भाट, वैद्य और अध्यापक, जिस 'गुरु महाशय' कहते थे, रहता था । यह प्राम्य सङ्गठन अनेक राजनीतिक आन्दोलना और

विप्लवों के वेग को सहन करता हुआ सैकड़ों घरों से ज्यों का त्यों बना रहा। मेटकाफ साइन के शब्दों में 'यद्यपि इस देश में हिन्दू, पठान, मुगल, मराठे, सिक्ख और अङ्गरेज धारी-धारी से अधिपति बनते गये परन्तु यहाँ के ग्राम्य समुदाय का स्वरूप पृथक् ही बना रहा"।

फिर भी यह कहना सत्य ही है कि मुसलमान शासकों की उदासीनता का प्रभाव इस अपरिवर्तनशील ग्राम्य जनता की संस्कृति के प्रादुर्भाव पर बिना पडे न रह सका। इस दीर्घकालीन उदासीनता के बाद, बड़ा विलम्ब समय उपस्थित हुआ। इसका कारण प्रजा के जान माल तक पर बन आया। ऐसी स्थिति परिस्थिति में जन ग्राम समुदाय को लाचार हो अपना ध्यान केवल उन्हीं बातों की रक्षा करने में परिमित करना पडा, जो तत्कालीन समाज का स्वरूप स्थिर रखने के लिए परमावश्यक थीं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ऐसे महान संकट के समय में शिक्षा की अग्रहेलना हुई। डॉक्टर लोवर ने पञ्जाब की देशी शिक्षा पद्धति का वर्णन करते हुए अपने लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि कम से कम पञ्जाब में तो ये प्राचीन शैली की पाठशालाएँ वस्तुतः अपने प्राचीन स्वरूप की कङ्काल मात्र रह गयीं थीं।

मुगल साम्राज्य के अन्त पतन के बाद गाँव के कार्यकर्ताओं में 'गुरु महाशय' की तो सब से अधिक गयी बीती अवस्था थी। इस समय के अध्यापक या तो वयोवृद्ध कार्यक्षमताहीन प्रा० शि० ३०—२

कायस्थ होते थे या कोई वेकारी के मारे घर बैठे हुए ब्राह्मण, जिनके लिए अपनी ऊँची जाति के गर्व के कारण और कोई काम धन्धा करना असम्भव होता था। इन अध्यापकों का वतन भी बहुत कम होता था। जब गाँववालों के यहाँ फसल कट जाने पर नाज खलिहान में आ जाता था तो प्रचलित प्रथा के अनुसार इन अध्यापक जी को भी हर घर से एक अढ़ैया ( २॥ सेर ) से लेकर दो पसेरी ( १० सेर ) तक नाज मिल जाता था। हिन्दुओं के लड़के हर एकादशी को एक धेले से लेकर दो पैसे तक अध्यापक की भेंट करते थे। इसके अतिरिक्त हर तिथि त्यौहार के अवसर पर मिठाई, फल, कपड़-लत्ते, रुपये पैस आदि की भेंट पूना भी बालकों से मिल जाती थी। पाठशाला में प्रवेश, या विवाह आदि सस्कार के अवसर पर भी बालकों की ओर से अध्यापक को भेंट विदायी या अन्य पुरस्कार मिलते थे। अगर गुरुजी ब्राह्मण हुए तो तिथि-त्यौहार पर उनको विद्याधियों के यहाँ से 'सीधा' भी मिल जाता था।

उच्च स्कूलों में यह भेंट नियमित रूप से भी मिलता था। प्रत्येक पढ़ाई ( पाठ ) समाप्त करने और उसे अपने माता पिता को कठस्थ कर मुना दान पर अध्यापक को दो आना प्रति पढ़ाई ( पाठ ) के हिसाब से पारश्रमिक मिलता था। इसी भेंट पूना और पारश्रमिक की आयोजना हान पर भी हमारे प्रान्त में सन् १८५० ई० में अध्यापक का आय का मासिक आसत ४ रुपये मात्र था।

गाँवों में किसी क़िता के यहाँ अपने घर पर पढ़ाने के लिए निज़ के अध्यापक मा रहते थे। लोग अपने बालकों को पढ़ाने के लिए अध्यापक का नौकर रख लेते थे। ऐसा करना उनके सम्मान और उच्च पद का साधक था। आज कल भी हमारे प्रान्त में 'घर पर पढ़ाने के लिए अध्यापक' रखने की जो कुप्रथा प्रचलित है उसका कारण केवल आधुनिक शिक्षा प्रणाली का दोष ही नहीं है बल्कि इस प्राचीन परम्परा की प्रेरणा भी है।

मुसलमान अमीरा के यहाँ घर पर पढ़ावाले अध्यापक प्रायः इसलिए रहते थे कि वे उनके यहाँ भोजन भी कर सकते थे। वे अध्यापक अपने गाँववाले सहोद्योगी की अपेक्षा कहीं अच्छी अवस्था में रहते थे। वेतन और भोजन के अतिरिक्त उनको जाड़ा में गरम कपड़े भी मिल जाते थे और वे अपने मालिक के काम पड़ास में रहने वाले लड़कों को पढ़ाकर उनसे नकद रुपये भी प्राप्त करते थे। कुछ अध्यापक ऐसे भी होते थे जो बिना शुल्क लिये अपने घर पर ही बालकों को पढ़ाया करते थे परन्तु प्रारम्भिक शिक्षा की चटसालों और विद्यालयों में ऐसे अध्यापकों का मर्यादा प्रायः नाम मात्र ही थी।

इस प्रकार जिस पक्ष में ( उस ज़माने में भी ) घसियारे से भी कम वेतन मिलता था, भला यह कब सम्भव हो सकता था कि उसमें ज्ञान के लिए मुशिक्षित लोग आकर्षित हों। फिर गाँववाले तो शिक्षा के नाम से कोरे ही थे। इसलिए जो भी चार अच्छे पढ़ा हुआ उन पर प्रभाव जमाना चाहता वह सहज

ही उस क रुआर म आ जाते ये । इस पर भी गाँव म उन लोगों के छोड़कर जो स्वयम् पढित ये साधारण लोगों म न तो सृष्टा थी और न वे ऐसे अपूर्ण विद्यानुरागी ही ये कि अपन बालकों को पढित बनाना उनका वेय हो । जो लोग अपने बालकों को पढित या मौलवी बनाना चाहते थे वे उन्हें किसी सरकृत पाठशाला या फारसी के मकतब में पढने के लिए भेज देते थे अथवा घर पर ही अध्यापक रख कर उनके पढान की ज्यरस्वा करते थे । साधारणत मध्यम भेणी के ऐसे ग्राम निवासी जिनके पास थोड़ा बहुत धन होता था अपन बालका का अक्षर ज्ञान करान के लिए पाठशाला में पढ़ाते थे ।

इन पाठशालाआ में यह साधारण शिक्षा भी बिना किसी उपकरण के दी जाता थी । और यह कुछ कम कौतूहल की बात नहीं है कि ऐसी अवस्था में भी स्वयम् कुछ अधिक शिक्षित होते हुए भी ये अध्यापक अपना काम खूब चला लेते थे ।

सन् १८५२ ई० में एच० एस० रीड साहब ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की । इसमें 'आगरे में देशी शिक्षा और वर्नाक्युलर स्कूलों' के सम्बन्ध में लिखा है कि 'हिन्दी के अध्यापक पढ़न में प्राय असमर्थ होते थे । वे किसी कितान का उपयोग न करते थे, परन्तु गिन्ती और पहाड़ बनानी रटा दिया करते थे । बहुत स ऐसे शिक्षक जो कुछ टूटा-भूटा पढ़ लेते थे एक एक अक्षर को जोड़ कर पढ़ पाते थे । कोई विरला फायस्थ शिक्षक नागरी पढ़ पाता था और बहुत स ब्राह्मण अध्यापकों की भी यही दशा थी ।

जिस किसी ने इन ग्रामीण पाठशालाओं के विद्यार्थियों को परीक्षा ला हागी उस यह दरकर अरुध्य आरुच्य हुआ होगा कि इनम पढ़ने वाले ञालकों का उनक शिक्क कितना कम पढ़ात ये । परन्तु इस सन्बन्ध में यह बात भी यात् रखने योग्य है कि शिक्कों का जैसा वेतन दिया जाता था उसके विचार से इसम अधिक अन्धी शिक्का प्राप्त होना असम्भव था । किसी सखा की मफलता या पिफलता क सन्बन्ध में निर्णय करते नमय उसक शिक्का विस्तार पर ही अधिक ध्यान न देकर यह भी वेगना आरुश्यक है कि उसका नैतिक प्रभाव और अनुशासन कितना लाभकारक था । इस अन्तिम बात का विचार हम बाद म करेंगे ।

अत हम गावा का इन प्रारम्भिक पाठशालाओं के पाठ्यक्रम पर विचार करेंगे । बहुत सी एसी पाठशालाओं म हिन्दी, महाजनी या कैथी का वर्णमाला सिखाया जाता था । महाजनी का व्यवहार साहूकार महाजनों में पहले का भाति अत भी हाता है और इसी कारण इस लिपि का नाम भी महाजनी पड़ गया है । कैथी कायस्थों क नाम से प्रचलित हुई । कायस्थ हमेशा से लिखने-पढ़ने के काम करते रहे हैं । अतएव इन्हें सरलता से शीघ्र लिखी जाने वाली कैथी लिपि का प्रयोग करना पडा । इन स्कूलों में लिखन की भाति पढ़ने में भी बड़ी विभिन्नता थी । नागरी या हिन्दी स्कूलों में साधारण विषयों की शिक्का होती थी, किन्तु महाजनी और कैथी स्कूलों में व्यापार और खेती-बारी के

हिसाब कितान की शिक्षा विशेष प्रकार से दी जाती थी। इन स्कूलों में पढ़ने लिखने के साथ मौखिक गणित और साधारण हिसाब भी सिखाया जाता था। इन सब विषयों की पढाई कुछ तो शिक्षक की योग्यता पर, कुछ विद्यार्थियों के मातापिताओं के भुकाव पर और कुछ उस काल पर निर्भर करती थी जिस समय के लिए विद्यार्थी पाठशाला में रह सकते थे।

यह तो प्रत्यक्ष ही है कि गाँव के विद्यार्थी का पाठशाला में पढ़ने के लिए रहना सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर था। इस प्रकार इन पाठशालाओं को अपने चारों ओर की परिस्थिति के अनुसार अपना कार्यक्रम रखना पड़ता था और जिस प्रकार पानी की धार अपने उद्गमस्थान की ऊँचाई से अधिक ऊँची नहीं चढ़ सकती, उसी प्रकार ये पाठशालाएँ उतनी ही शिक्षा देती थीं जितनी उस जाति के लोगों की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त होती थी। यह बात हम पहले ही बतला चुके हैं। जो लोग अपने बालकों को उच्च शिक्षा देना चाहते थे वे उन्हें उड़ी पाठशालाओं में भेजते थे और इसलिए चटसालों में केवल उन्हीं लोगों के बालक पढ़ते थे जिनको थोड़ी सी कामचलाऊ शिक्षा दिलानी होता थी। इससे प्रकट है कि चटसालों में लड़कों को उतनी ही शिक्षा दी जाती थी जिससे उन्हें साधारण बातों के समझने और चिट्ठी इत्यादि लिखने पढ़ने का ज्ञान हो जाता था। इन चटसालाओं में उनको इतना हिसाब भी सिखा दिया जाता था जो गाँव की दूरस्थ और पठान्तवासी

प्रना की साधारण आवश्यकताओं के लिए काफी होता था। परन्तु जब महानता या कायस्था के लड़कों को क्रिमा विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त करना होता था तो इन स्कूला ग ही जितनी शिक्षा हो सकना था उ इ दो जाना था और इसके अलावा किसी दुस्मान या कारखान में कुछ समय तक काम सीग कर इनका व्यवहारिक ज्ञान परिपूर्ण करा दिया जाना था।

बालका को पढ़ने से पहले लिखना सिखाया जाता था। सब से पहले उन् स्वरों का ज्ञान कराने के लिए लिखने के साथ प्रत्येक स्वर का उच्चारण कराया जाता था। इसी प्रकार व्यञ्जन सिखाये जाते थे और उनके उच्चारण को विवि क अनुमा उ नका उगाएण करके पढ़ाया जाना था। नेवे—प फ व म म—इति आष्टम्। परन्तु हिन्दा की चटसाला म इन्हें चारहखड़ी की कविता पाद कराके पढ़ाया जाना था। ये चारहखड़ा कई भाँति का होता था। किरा किरा म महापुरुषा को कहानियाँ होती थीं ता किरा में नीति का पाठ सिखायी जाती थीं। सुदामा चारहख म सुदामा को कथा का वर्णन है और इस कथा का हर दोहा वर्णमाला के अक्षरा से क्रमानुसार आरम्भ होता है। इसी प्रकार नीति के दोहा को चारहखड़ा के आरम्भ म वर्णमाला के अक्षर होते थे जैसे—

‘दहा दाप न दीने काहू, दाप कर्म अपने ही’।

‘जजा जपै सोई गति पावै’।

‘सस्सा—साधु सग पावै जन कोई’।



हिन्दुआम इस प्रकार अनेको वारहलडियाँ थीं और बालको को इन्हे रट कर याद करन मे खूब आनन्द आता था ।

जब बालक वणमाला सीख लेते थे तब उनका परोक्षा ला जाती था । शिक्षक उनको पट्टी पर कोई अक्षर लिख कर बालक से उसको पहचान कराता था या किसी कागज के टुकड़े में इतना बड़ा छेद करके, जिसमें हाकर केवल एक ही अक्षर दिखाया दे, क्लिप्ताय के ऊपर नाचे घुमा कर बालक से छेद के भीतर से दिखाया देने वाले अक्षर को पहचान कराता था । कभी कभी शिक्षक परोक्षा लेने में बड़ा बड़ाई दर्शाते थे । उनका समझ में कदाचिन् यह बात न आती थी कि एक ही अक्षर का बार बार देखते रहने से वह बालक के ध्यान में जम जाता था । परोक्षा में जा बालक अपने शिक्षक को सन्तुष्ट कर देता था उस फिर बारहलडा सिखायो जाती था ।

यह बारहलडा शब्द द्वादशाक्षरी संस्कृत शब्द का ठेठ हिन्दी है । अ आ इ इ उ ऊ ए ए आ आ अ अ —देवनागरि वणमाला में यह बारह स्वर होते हैं और किसी एक व्यञ्जन के साथ इनका याग हो जाने का नाम बारहलडा है । जैसे— क का कि की कु कू कू कू को कौ क क ।

अन्य ३० व्यञ्जना के साथ इसा प्रकार की बारहलडा सीख लेने पर हिन्दी भाषा में क्लिप्ता शब्द का उच्चारण सुनकर उसको लिख लेना बालक के लिए बहुत सरल हो जाता है । यह बात नागरी अक्षरों की स्वरभ्रमि की शुद्धता के कारण

इतनी सुलभ है। इस प्रकार यद्यपि गारहस्पदी सीखने में एक महीने का समय लग जाता था, परन्तु इसका प्रभाव बड़ा लाभ-प्रद होता था। क्योंकि अब बालक गिना किसी विशेष कठिनाई के साधारण चीजों के नाम लिख पढ़ सकता था।

इसके पश्चात् सयुक्ताक्षर सीखन की गारी आती थी। परन्तु इनके सिखाने की कोई विशिष्ट प्रामाणिक विधि नहीं थी। सयुक्त अक्षर सिखाने में शिक्षक प्रायः हर बालक की पट्टी पर 'सिद्धों की पट्टी' लिख दिया करता था और बालकों को उसकी नकल करना पड़ती थी।

इस स्थान पर यह बतला देना आधिक उचित होगा कि इस पट्टी का नाम संस्कृत भाषा में 'कलाप व्याकरण' का प्रारम्भिक शब्द का पहले अक्षर से लिया गया था। इस व्याकरण में हर प्रकार के सयुक्त अक्षरों से बने हुए शब्द मिलते हैं। इस पट्टी का पढ़ाने का एक कारण यह भी था कि इस समय तक छोटे से छोटे गाय में भी संस्कृत व्याकरण पढ़ाने की परम्परा जारी थी। क्योंकि अब भाषा लोगो का यह विचार था कि संस्कृत के व्याकरण के ज्ञान के बिना कोई शिक्षा ही नहीं सकती। इस 'सिद्धों की पट्टी' में ४५ पृष्ठ थे, और इसके लिखने का अभ्यास कर लेने से बालकों को सयुक्ताक्षरों के कठिन शब्द लिखने का अच्छा ज्ञान हो जाता था। यद्यपि यह बात सत्य है कि इन अवस्था में उनको इन शब्दों के अर्थ का कुछ भी ज्ञान न होता था। इसी समय बालकों से देवताओं, मनुष्यों, नगरों,

नदियों, और पहाड़ों इत्यादि के नाम लिखवान का अभ्यास कराया जाता था। हर लड़का अपना, अपने पिता का तथा अपने इष्ट मित्रों और कुटुम्बियों का नाम पट्टी पर नित्य लिखता था।

इसी के साथ साथ दिन का नाम, महान का नाम श्वेतु का नाम तथा अपने गाँव या नगर का नाम भी उसे नित्य लिखना पड़ता था। इस प्रकार के अभ्यास में बालकों का खूब चित्त लगता था। यह अभ्यास समाप्त हो जाने पर उसे विभिन्न लोगों के नाम चिट्ठी लिखने का अभ्यास कराया जाता था।

इतनी शिक्षा समाप्त कर लेने पर बहुधा अठारह लड़के पठशाला छोड़ देते थे। परन्तु जो लड़के इसके बाद भी शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे वे प्रायः अपने घर से रामायण की पाथी लाकर पढ़ने लगते थे। छपा हुई पुस्तकों के प्रचार होने के पूर्व ऐसी पाथियाँ बहुत कम पढ़ने को मिलती थीं, क्योंकि भारतवर्ष में १८ वीं शताब्दी के अन्त और १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में छापखाने का प्रादुर्भाव ही पाया था।

साधारण पाठशालाओं का शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी था कि उनमें पढ़ने वाले बालकों का अङ्कगणित का साधारण ज्ञान प्राप्त हो जाय। इस विचार से अङ्कगणित की शिक्षा यथा सम्भव व्यावहारिक रूप में दी जाती थी। आरम्भ में मौखिक अङ्कगणित पर अधिक जोर दिया जाता था और सब गुरु जवानी याद कराय जाते थे। इन पाठशालाओं में हिसाब

सिखाने की भी यही शिक्षण विधि प्रचलित थी जिसका भाषा पढ़ाने में उपयोग किया जाता था। लड़कों को पहले पहल गिनती सिखाया जाता था और सैकड़ के दस दस भाग करके एक एक न एक भाग सिखाया जाता था। पाठशाला की छुट्टा ही जान पर यह गिनती मात्र लड़के एक लड़के के पीछे चार चार स चिन्ता कर गोलत में और रट कर याद कर लेते थे। परन्तु जब गिनती लिखाने का आगच्छेन होता था उस समय गुरु जी बालक का हाथ अपने हाथ में पकड़ कर पट्टी पर एक अङ्क के नीचे दूसरा अङ्क इस तरह लिखाते थे जैसे चीनी बणमाला लिखा जाती है।

बालक अङ्क का लिखन के साथ गोलता भी जाता था। इसके बाद उससे पर की पट्टी लिखायी जाती थी। सारी पट्टी भर लिखन पर या जब तक यह परका न हो लेता था तब तक उसे बराबर इस लिखना पड़ता था। फिर उसकी परीक्षा होती थी और उससे कोई भा अङ्क जैसे—१, ६, ८, ३ इत्यादि तुरन्त लिखन के लिए कहा जाता था। इसके बाद ग्यारह, इक्कीसा, इक्तीसा इत्यादि का पट्टी लिखा कर १-० तक गिनना पूरा की जाती था। कितना-कितना पाठशाला में ता गिनता पढ़ते समय उलटी गिनती भी बुननायी जाता था। मैं स्वयम् सारा उलटा गिनती १०० से १ तक गिन लेता था और वह भा एक मिनट में। मैंने सम विषय, अङ्क एक साथ यत्र क ममान बालन का भी अभ्यास कर लिया था।

गिनती आ जाने के बाद पहाड़े सिखाये जाते थे। पाठशाला में बैठने के पहले ही दिन स जुट्टी होन के साथ ही एक कतार में खड हो कर सत्र के साथ हर एक बालक को एक बोली पर ये पहाड़े दुहराने पड़ते थे। इस प्रकार हिसाब सीखना प्रारम्भ करन से बहुत पहले ही ये पहाड़े बालक के मस्तिष्क में जमा दिये जाते थे। बहुतेरी पाठशालाओं में एक से ४० तक के पहाड़े याद कराये जाते थे, परन्तु कुछ पाठशालाएँ तो ऐसी थीं जहाँ सत्र पहाड़ १०० तक याद कराये जाते थे। किसी किसी पाठशाला में ० २५ तक के पहाड़े सिखा कर ही पहाड़ा की पट्टी समाप्त कर दी जाती थी। पहाड़ा याद हो जाने पर ५ डो परीक्षा ली जाती थी और हर दस पहाड़ के बाद दूसरी दहाई का पहाड़ा याद करने को दिया जाता था। पहाड़ों की परीक्षा जमानो होती था। गुरु जी पूछते थे १२ पचे ? या कै सत्ते ९१ ? इत्यादि।

मरे गुरु जी का तो कहना था कि पहाड़ इतने पम्के याद होने चाहिए कि सोते में भी यदि पहाड़ा पूछा जाय तो उत्तर ठीक ही मिले और तुरन्त मिले। इस प्रकार पूरे श्रक के पहाड़े याद कर लेने पर भिन्न के पहाड़ भा सिखाये जाते थे। पौआ, पौना, सवैया, ड्योड़ा, ढैया या अड़ैया, हूँठा ( साढ़े तीन ) और ड्योचा ( साढ़े चार ) आदि के पहाड़ इनमें चुन लिए गये थे।

इन कठिन पहाड़ा का जमानो याद करने में बालक के मस्तिष्क पर कितना जोर पड़ता होगा इमका अनुमान करना

कठिन नहीं है। उस जमाने की पृथा के अनुसार इनको याद ही नहीं उल्कि गूब याद करना पड़ता था क्योंकि शिच्छक पहाड़े की परीक्षा बड़ी कड़ाई से लेते थे। परन्तु वास्तव में बालकों पर पहाड़े याद करने का भार अधिक न पड़ता था, क्योंकि उन्हें राज गी गी कर बोलने से वे बालकों को कठस्थ हो जाते थे या उनके जहन में उतर जाते थे। पहाड़े बोलने का दबदबा अद्भुत होता था और इन्हे बार बार गी गी कर बोलते बोलते ही ये बालकों का याद हो जाते थे।

पौत्रा, पौना आदि के शुरू करने से पहले बालकों को सादे जोड़, वाकी, गुणा, भाग सिखा दिये जाते थे। गुरु जी बालकों का पट्टी पर कई हिसार के माल लिख देते थे, बालक उन्हें पूरा हल कर गुरु जी को दिग्गते थे। ठीक होने पर गुरु जी उन्हें और सवाल लिख देते थे तथा अशुद्ध होने पर सजा देते थे।

इसके बाद रुपये, आने, पाई, मन, संर, छटाक, और पैमायशी नापों के जाड वाकी, गुणा, भाग सिखाये जाते थे। और उनके अक भी लिख कर बताये जाते थे।

इसी समय गुरु भी समभाये जाते थे। ये द्रोटे गुरु याद कर लेने पर सवाल हल करने में बड़े सहायक होते थे। दाम जोड़ने के, नाप जानने के और बट्टा, सूदि आदि निफलने के अलग अलग गुरु होते थे। यहाँ हम एक छटाक का दाम निफलने का अत्यन्त सरल नियम उदाहरण सहित उद्धृत करते हैं—

गुर—जितने रुपये सेर की वस्तु हो उतने ही आने एक छटाँक के दाम जानो ।

यथा किसी चीज का भाज १० रु० सेर है तो उसी एक छटाँक चीज का दाम १० आना होगा ।

बहुत सी ग्राम्य पाठशालाओं में जमीन की पैमाइश सम्बन्धी सारी बातें भी सिखायी जाती थीं । भिन्न भिन्न आकार वाले खेतों को नापना और उनका क्षेत्रफल निकालने के नियम भी सिखाये जाते थे । पटवारी और शायद जमींदारों के लडके गाँव का हिसाब किताब और पटवारी के कागजों का भी अध्ययन करते थे । परन्तु साधारणतः यह बातें पाठशालाओं में नहीं सिखायी जाती थीं, क्योंकि पटवारी लोग इन्हें अपने पेशे का रहस्य समझ कर अपने घर अपने लडकों का ही सिखाते थे । जिन पाठशालाओं में वैश्यों के लडके अधिक पढ़ते थे उनमें देसी व्यापार गणित ( व्यवहार गणित, सूद दर सूद, हानि लाभ आदि ) की सब बातें सिखायी जाती थीं । हुण्डी लिखना तथा व्यापारी पत्र व्यवहार करना भी उन्हें यहीं सिखा दिया जाता था ।

उर्दू और फारसी के स्कूल—गाँव में जितनी अधिक सरकारी या हिन्दी के स्कूल थे उतनी अधिक सरकारी या उर्दू फारसी के स्कूल न थे । लेकिन जैसे-जैसे आधुनिक अङ्गरेजों की इच्छात जायिका की शक्ति से देश में ईश्वर का प्रसारण पर पहले लागा की बढ़ी आरम्भ थी क्योंकि मुगल बादशाहों, उनके नवाबों

और १८३५ ई० तक अन्दरजी अदानता म भी फारसी का ही व्यवहार होता था ।

इस प्रकार नित्य प्रिति का राम-काच चलान की शिक्षा दना ही इन पाठशालाआ का उद्देश्य था । इसक अलावा तिन लोगा का जरा ऊँचे मन्व्य समाज में आन जान और 'तहजीब' स लोगा क मार उत्तन का काम पढ़ता था उन्हें इन स्कूला में शिक्षाचार की विशेष शिक्षा मिलती थी । इही मय कारण स फारसी क स्कूला म गाँव जाले भी जाते थे, और अन्य लोग भी जय भर्त्सि हाते थ । कायस्थो सग्या ता प्राय सुमलमानों म भी अधिक होती थी । लेकिन जय स फारसी अपने राजभाषा प म न्युत हुइ इसकी आधिक महत्ता घट गयी । सरकारी नौकरी या उड़ उड़ आह पान में फारसी सहायक न हागी, यह बात ब्रिगायिया का जल्दी ही विदित हो गया । इस भावना को निम्नांकित प म या प्रस्ट किया गया है —

पढ फारसी उचै तेल,

यह दना उतरत क रल ।

इस प्रकार फारसी क स्कूला सो जा बका लगा उसन इनको चौपट कर दिया । लेकिन ब्रिटिश राज्य से पहले इनका काफ़ी जालगला था । उर्दू और फारसी एक साथ एक ही मकतब में पढ़ायी जाता था । वस्तुन प्रारम्भ मे जा अजर ज्ञान फारसी क इन मकतबों में फाराजा जाता था वह उर्दू और फारसी पाना म एक समान था । डा० एक० डब्लू० टामस के



शब्दों में “बड़े स्कूल वस्तुतः छोटे स्कूलों की पढ़ाई के ऊँचे दरजे ही थे।

इन स्कूलों में पढ़ाने की शैली हिन्दी स्कूला की शैली से मिलती-जुलती थी। सात बरस को उम्र में बच्चे यहाँ भर्ती होते थे। अपनी तकनी पर शिक्षक के लिये अक्षरों पर वे उस समय तक हाथ फेरा करते थे। जब तक इनके लिखने और पहचानने की पूरी मरक न हो जाती या यह क्रम परापर द्वारा रहता था। इन अक्षरों की पहचान और उनका ज्ञान हो जान के बाद लड़कों का जेर, जबर, पश और तौबीन के निशानात सिखाये जाते थे।

हिन्दी की अपेक्षा उर्दू में हिज्ज करना अधिक कठिन है; क्योंकि उसमें एक ही उच्चारण के लिए अनग अनग कई अक्षर होते हैं, जैसे “स” का उच्चारण ‘स्वाद’ ‘से’ और “सीन” तीनों से हो सकता है। इससे शिक्षक को इनके सिखाने में अधिक समय खर्च करना पड़ता था। हिज्जे करने और अक्षरों के मिलान के नियम सिखाने में भी काफी समय लगता था। यह बात ध्यान में रखने की है कि इन मरकतना में लिखना और पढ़ना दाना एक साथ सिखाये जाते थे।

वस्तुतः उर्दू की पढ़ाई तो यहाँ समाप्त हो जाता था और फिर आगे फारसी की पढ़ाई आरम्भ होती थी। पहला निताज जो फारसी में आरम्भ में ही अक्सर पढ़ाया जाता था उसका नाम “खालिक बारी” है। यह उर्दू फारसी, अरबी और हिन्दी

का गुटका कोष है। इसमें दी हुई पहली कविता के प्रथम शब्द के अनुसार इसका नाम रखा गया है—

सालिक बारी सिरजन हार,  
बाहिद एक जिदा कर्तार।

इसके बाद प्रायः 'रुमा' नाम की दूसरी किताय पढायी जाती थी। इसका अमली नाम 'सश्चदा का पन्दनामा' है, परन्तु इसका भी पहले शब्द से इसका यह सार्वजनिक नाम पड गया था। इस पुस्तक में नैतिक शिक्षा के लिए किताएँ हैं। ये कितायें प्रायः रटा दी जाती थीं और पहली बार की पढाई में इनका मतलब न समझाया जाता था। हिज्ज ठाकुरीक याद करान के लिए पढाते समय हर शब्द के उच्चारण के साथ उसकी हिज्जे करनी पडता थी। इसका पड लेन के बाद महमूद नामा, माबुकीमा, गुलिस्ताँ, वास्ताँ इत्यादि पढाया जाता थी।

चूँकि फारसी राजदरबार की भाषा थी, इसलिए फारसी में खत लिखना सिखाना भी इस पाठ्य प्रणाली का एक आवश्यक अङ्ग था। इन्शाय माबोराम या अबुल फजल के खता के संग्रह भी पढाये जाते थे। फारसी पद्य के नाम से प्रायः प्रेमपूष्ण पद्य ही पढाये जाते थे, यद्यपि बालकों के लिए इन पद्यों का पढाया जाना उचित न था। इसा समय इमला और मुलेख का भी अभ्यास कराया जाता था। जो लड़के आगे की पढाई भी करना चाहते थे, उन्हें सिकन्दरनामा ( पद्य-ग्रन्थ ) और बहारे-दानिश ( गद्य

ग्रन्थ ) पढ़ाये जाते थे । उस जमाने में ये कितानें फारसी साहित्य में शैली के विचार से अपना सानी न रखती थीं ।

यह सारी पढ़ाई सात से नौ बरस में पूरी हो जाती थी और भक्तव्य छोड़ने के समय लड़कों को फारसी साहित्य का काफी अच्छा ज्ञान हा जाता था । इन विद्यार्थियों को फारसी से तथा फारसी में भी अनुवाद करने की इत्तमता आ जाती थी और वह बड़े सुन्दर अक्षरों में हर प्रकार के और हर विषय के पत्र लिख सकते थे ।

इन स्कूला में व्यावहारिक शिक्षा काफी ली जाती थी, फिर भी इस पाठ्य क्रम में हिसाब कितान कुछ भी नहीं सिखाया जाता था । कायस्थ लोग अपने लड़कों का हिसाब कितान की शिक्षा घर पर हा दिया करते थे ; लेकिन मुसलमानों में यह कमी बनी रहती थी । व्याकरण की शिक्षा भी इनमें नहीं दी जाती थी ।

ऊँचे दरजे के स्कूल—यद्यपि जहाँ-तहाँ ग्राम्य क्षेत्रों में ऊँच दरजे के स्कूल भी खुले हुए थे, ता भी इस पुस्तक में उनका विशेष विवरण देना इतनी सामान्य बात कहेंगे कि वाहर होगा । इन स्कूलों का प्राथमिक जनता पर जा प्रभाव था वह विशेष रूप से सांस्कृतिक था । मुसलमानों के ऊँच दरजे के स्कूलों में शरीफ पढ़ाई जाती थी । इस पढ़ाई में व्याकरण, गणित और बम आदि का शिक्षा सम्मिलित थी । इनमें अलावा कुछ कुरान पढ़ाने वाले भक्तव्य भी थे । अधिस्तर में भक्तव्य मसजिदों में हा लगते थे, आर इनमें लड़कों का कुरान का आयतें रटाया जाता था ।

समस्त पाठशालाओं की संख्या इनसे कहीं अधिक थी और हिन्दू-समाज पर इनका प्रभाव भी प्रत्यक्ष था। यह पाठशालाएँ अधिक व्यापक थीं क्योंकि इनके शिक्षकों के लिए शिक्षण-वृत्ति ही कौटुम्बिक वृत्ति थी। इनमें पढ़ाई निःशुल्क होती थी और कई विषयों का शिक्षा दी जाती थी। इससे इनके शिक्षा-क्रम का विस्तार भी बहुत था। वेदान्त, न्याय, गणित, ज्योतिष, व्याकरण, मीमांसा, महाभारत, रामायण, साहित्य, फलित ज्योतिष, आयुर्वेद, मनुस्मृति और पुराणादि की पढ़ाई यहाँ होती थी। इन पाठशालाओं में हिन्दी का प्रारम्भिक गणित नहीं पढ़ाया जाता था। यद्यपि इन पाठशालाओं की शिक्षा से बहुत थोड़ा लाभ उठते थे, फिर भी प्रामाण्य जनता के आचार-विचार और उनकी रीति रिवाज पर इनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। इन स्कूलों की इस उपयोगिता पर हम यथास्थान विचार करेंगे।

विद्यार्थी—अब हम इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का विचार करते हैं। ब्रिटिश प्रवेश के पूर्ववर्ती काल में किस किस जाति के बच्चों ने कितने कितने विद्यार्थी इन पाठशालाओं में पढ़ते थे यह बतलाना उड़ा कठिन बात है। मि० रीड के आठ अत्रमांशा टलफा के सम्बन्ध में सन् १८५२ के दिये हुए आँकों को ध्यान कर शिक्षा सम्बन्धी परिस्थिति का अटकल से कुछ अनुमान किया जा सकता है। २६,८२३ विद्यार्थियों में से (जो सब लड़के थे) ५४९१ ना मुसलमान थे, शेष मराठवाण विद्यार्थियों

की संख्या ६६१४, कायस्थों की ४६५०, बनियों की ३९५८, राजपूतों की १८२१ तथा अन्य जाति के लोगों की ४०९९ थी। पहली तीन जातियाँ पढ़ी लिखी होने के कारण उनके विद्यालयों की संख्या समस्त हिन्दू विद्यालयों की संख्या का तीन चौथाई होती है। राजपूत लग प्राय जमींदार थे, अतः उनकी संख्या ऐसी अधिक नहीं थी। इन अर्थों में एक और मार्ग की बात यह है कि समस्त जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से मुसलमान विद्यालयों की संख्या का अनुपात अधिक था। जनसंख्या में उनका औसत १६ वीं सदी था जो अब भी उतना ही है परन्तु मुसलमान विद्यालयों की संख्या २० वीं सदी थी। ये मुसलमान विद्यालय क्रिस्तिन उपजातियों के थे, इसका कोई व्योम नही मिलता, परन्तु यह मान लेने में विशेष हर्ज नहीं है कि इनमें बहुत से पढ़ी लिखी और ऊँची जातियों के थे। उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जहाँ तक शिक्षा का सम्बन्ध था वह प्राय ऊँची जातियों में ही अधिक फैली हुई थी।

**शिक्षा का विस्तार**—ऊपर लिये हुए अरु कुछ अधिक नहीं हैं और अगर हम इस बात का विचार करते हुए कि इस प्रकार की गणना करने में किनकी गठनाई जाती है, तथा घर पर शिक्षा पान वाले लड़कों की संख्या इनमें शामिल नहीं है, इनको ठीक मान लें तो भी हम यह अनुमान कर लेते हैं कि कोई भूल नहीं करते कि उस समय शिक्षा का प्रचार बहुत अधिक न था। मि० टॉमसन के अनुसंधानानुसार शिक्षा प्राप्त करने योग्य

विद्यायिका न स स्वल्प ५ फी मनी जानक ही शिक्षा प्राप्त करते व । सौभाग्य स प्राग्यशिक्षा का अवस्था का यामा वर्णन ता सन १९१० ई० न अध्या गाहरा का पुस्तक की भूमिका न खूब विस्तार स दिया हुआ है ।

“गाहर और किसान जाना ही अशिक्षित हैं । उहुतेर गाँवों में ता गाहरा में अधिगा इतनी अधिक फेना हुइ है कि य लोग अपने व्यवहार के लेन देन का हिसाब भा गहियों न ठाक ठीक नही लिख सकते और जमोंदार ता प्राय नभो अनपढ़ हैं । एमी परिस्थिति में अज्ञान क कारण इनक बीच कुछ न कुछ झगडे टट खड हो जाना तो उड़ी मह न बात ह । उहुतेरे साहूकार तो एस हैं जा नभा कुछ लिखत ही नही सिफ अपनी वाद्-दाश्त पर भरोसा रख जर ही सारा लेन देन चलाते हैं । कुछ एस भी हैं जा रखम तो नही लिख सकते, परन्तु पटवारी इत्यादि स अपना हिसाब किताब लिखना लेते ह । कोई-कोई बाहर अपन हाथ से हा गलत सलत हिसाब लिख कर अपनो आत्मा को मन्तोप या योग्या देने रहते हैं । नय गाहरा की शिक्षा की यह हालत हो, जिनका सारा काम कान उही-खाते पर चलता है, तो कृपका का निरच्छर होना कौन आश्चर्य की बात है ? यह उड़े दुख की बात है कि अज्ञान और काहिला क कारण ये लोग बालकपन स शिक्षा प्राप्त करन का आर ध्यान नही देते और फिर जीवन भर अशिक्षित रह जान स बड़ी छोटी-छोटी बातों क लिए दूसरो के आश्रित रहते हैं ।”

आगरे के आस पास को एक जात विशेष के लोगों का शिचा सम्बन्धी यह वर्णन बहुत कुछ चढ़ा उठा कर लिया हुआ मालूम पड़ता है। सम्भव है कि उपर्युक्त पुस्तक के लेखक ने अपनी पुस्तक का महत्त्व बढ़ाने की धुन में ऐसा लिख दिया हो। उनके समकालीन अन्य लेखकों के लेख से यह स्पष्टतया सिद्ध किया जा सकता है कि मुगल सत्ता के विनाशयुग में भी कुलीन तथा मध्य वर्गीय जनसमुदाय में थोड़े बहुत शिचा का प्रचार अवश्य था।

मेजर ब्राउटन ने 'हिन्दुओं में प्रचलित काव्य' नामक पुस्तक में इस सम्बन्ध में यों लिखा है —

“जिन जातों के जानने की मुझे आवश्यकता थी उनकी जानकारी यदि सन्तोपजनक रूप में किसी से प्राप्त हो सकती थी तो हमारा पलटना के सिपाहियों से ही। इन में हर जाति के हिन्दू हैं, जिन में अधिकांशतः ब्राह्मण और राजपूत हैं। ये लोग प्रायः हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के रहने वाले हैं। ये लोग कुलीन वृषक घरानों की सन्तान हैं और गाँव छोड़ने से पहले आवश्यक शिचा भा प्राप्त कर चुके होते हैं। ब्राह्मण लोग अपने धर्म के साधारण सिद्धान्त और कर्मशास्त्र के साथ तत्सम्बन्धी ऐतिहासिक कथाओं से भा भला भाँति परिचित हैं। इनमें से बहुत से सेना में भर्ती हान के पहले इन विषयों के अच्छे ज्ञाता

---

● मेजर ब्राउटन को पकड़ने उस समय ग्वाडियर में था और उसके अधिकांशतः सिपाही पश्चिमी सयूक्त प्रान्त और अरब के निवासी थी।

ये। योड़े समय में इतनी पुरानी मक़ीलता कम हो जाता है और यह अपने अक्षरों के दश आर इनके रीति रिवाज के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हो जाते हैं। इस जिज्ञासा पूर्ति के उदले में अपने देश से सम्बन्ध रखने वाली ऐसी सब बातें बतलाने को ये बड़ी प्रसन्नता से तैयार हो जाते हैं।

ऐसे ही एक सिपाही से मुझे इस पुस्तक में प्रकाशित अनेक कविताएँ प्राप्त हुई हैं। इस सिपाही के सम्बन्ध में मैंने यह बात बहुरा दरा या कि किमो विषय पर जान करते समय वह प्रायः किसी लोकप्रिय कवि की कुछ कविता बख़र कह देता था। एक दिन जब उसने ऐसी ही एक कविता उड़ चाव से सुनायी और जब मैंने उसके सम्बन्ध में उससे पूछ ली तो उड़ी प्रसन्नता से उसने उसकी व्याख्या कर डाली। उसकी कविता सुन कर मैंने उससे उस कविता को मुझे लिखकर देने की इच्छा प्रकट की और जब मैंने उसकी व्याख्या सुनी तो उस काव्य में इतनी मरसता और वमक विचारों में इतनी कोमलता मुझे प्रतीत हुई कि मैंने उससे उसकी भाषा आदि के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की। मैंने उससे यह भी कहा कि इसी प्रकार की कविताओं का एक संग्रह वह मेरे लिए तैयार कर दे और वह सहज इसके लिए राजी भी हो गया। मरा इस जिज्ञासा का हाल मारा पलटन का मालूम हो गया और बहुत से सिपाहियों ने मेरे इस कौतूहल का पूरा करने के लिए आ आ कर मुझे इस सम्बन्ध में बहुत कुछ जानकारी करा दी। अपने देश की कविताओं और



ग्राम्य गीतों के इस पित्रेचन में मेरी सरल और सच्ची जिज्ञासा से प्रभावित होकर वे लाग उड़े गोरख से मेरी महायता करते थे और उनमें इस प्रेम और श्रद्धा ने मुझे अपने इस कार्य के सम्पादन में उड़ा उत्साह और सन्तोष प्रदान किया ।”

मन् १८५० ई० का इण्डिया एजुकेशन रिपोर्ट में कनिंघम साहब का निम्नलिखित कथन उद्धृत किया गया था —

“भारत में लाग में ज्ञान सम्पादन की इच्छा का अभाव नहीं है। स्पष्ट या ग्रीस के तुल्य सभ्य देश भारत में नित्य प्रति जीवन के काम जान चलान के योग्य पढ़ने लिखने और हिसाब की शिक्षा अत्यन्त ही जाता है और साहित्यिक और वैज्ञानिक पाण्डित्य के लिए हिन्दू और मुसलमानों में युरोपियन लोगों के समान ही आदर मिलता है। मध्य भारत और युक्त प्रान्त के कायस्थ, पञ्जाब के गुरा और काश्मार, बङ्गाल और दक्खिन के ब्राह्मण अपने बालकों का नियमित रूप से शिक्षा देते हैं जिससे वे सरकारी दफ्तर या किमी सठ साहूकार को नोकरी कर सकें।

ब्राह्मण अपने बालकों का पारिवारिक पुराहित और ज्यातिषी अथवा मुशा या छोटा मोटा अकसर बनाने की दृष्टि से शिक्षा दिलाते हैं। बाहर और अनिय अपने लड़कों का हिसाब किताब में खूब पक्का कर देते हैं और आवश्यकतानुसार वहाँ जात के काम में भी उस्ताद बना देते हैं। गरीब से गरीब मुसलमान का यही इच्छा रहता है कि उसका लड़के कम से कम एक बार ता उरु ही पुरान पढ़ लें। यद्यपि उन्हें भाषा का कुछ भी ज्ञान नहीं हो

पाता फिर भी उनका अक्षरों का ज्ञान मात्र स फारसी में नहीं सहायता मिलता है। उद्घा अथवा अथवा विभाग के दफतरों में नौकरी मिलन की आशा स लड़क अथवा अथवा में भरता करा दिये जाते हैं, म्याकि अथवा अथवा विभाग के दफतरों में देशी भाषा विभाग में अपक्षा अधिक वेतन मिलता है। कुरान हियज करान, फारसी पढ़ान, अथवा देशी भाषा के सिखान के लिए आर व्यापारी शिक्षा दन के लिए हर शहर या कमान में एक या एक स अधिक स्कूल अथवा ही मिलेंगे। इनमें अध्यापका का चार आना या इससे अधिक फीस और इसका अलावा मीवा मामान कपड़ लत्ते, ईदन, अथवा अन्य नई प्रकार का सहायता मिलती ही है। वहाँ मालजी साहन या पाडतजी का जो सम्मान हाता ह वह अत्यधिक है। इसी तरह मुसलमाना का अथवा कानून ज्ञान अथवा फारसी कविताया की जानकारा भी लोक प्रामद्व है। ऐसा भा कम या अधिक पढा लिया हिन्दू म्या न हा उस तुरन्त 'शास्त्रा', या 'मिद्वान्ती जा' आदि का पदवा मिल जाती है। हिन्दू और मुसलमान दोनों के शिष्ट समुदाय में यह लाकारिक प्रचलित है कि ज्ञान 'शरान्त या इन्सानियत का पदक और मनुष्यता का चिन्ह है।'

तत्कालीन दानों लेखकों के उपर्युक्त लेखों से यह बात तो स्पष्ट ही है कि उन दिनों ग्राम्य समुदाय में भी शिक्षा का प्रचार किसी न किसी रूप में जरूर था। नालका का शिक्षा अधिकारित घर पर ही, घर पर पढ़ान वाले अध्यापक या अभिभावक द्वारा

मिलती थी। समयोचित शिक्षा ता तत्कालीन मध्य श्रेणी क लोग और साहित्यसेवी समाज अग्रस्य प्राप्त करता था। हाँ, ग्राम्य जनता का अधिकांश—विशेष रूप से निम्न वर्ग—तो शिक्षा क नाम से बिलकुल कोरा ही रहता था।

इतनी सरग्या म स्कूलों के चतमान होत हुए भी इस अवस्था का कारण केवल प्रजा की शिक्षा के प्रति उदासीनता ही थी। प्रचलित प्रथा के अनुसार उन्हें अपने लड़कों को स्कूल भेजना आवश्यक था। उनके नैतिक जीवन की नीरसता में कुछ परिवर्तन हो जाने में जो कौतूहल उत्पन्न होता था, इससे वे अपने लड़कों को स्कूल भेज देते थे। लेकिन स्कूल में केवल भरती हो जान से यह तात्पर्य न था कि वे कुछ काल तक विद्यालयों में टिक कर विद्यालाभ कर सकेंगे। त्रैयुत रोड साहब के मतानुसार प्रत्येक भारतीय के छात्रजीवन का आसत अधिक से अधिक ढड़ साल था। परन्तु यह अवधि भा वास्तविक अवस्था से बंध नहीं कराती, क्योंकि स्कूल की मजूरशुदा छुट्टियों के अतिरिक्त, जा एक महीने में ७ दिन की होता था, प्रायः कई दिनों तक बालक स्कूल का मुँह न देख पाते थे।

गदर क समय में प्रसिद्धिप्राप्त राजा गिणप्रसाद भित्तारे हिन्दू न ( जो युक्तप्रान्त में स्कूलों क पहल हिन्दुस्तानी इन्स्पेक्टर थे ) मन् १९२२ क जाँच कर्मचारी के सामने इस प्रान्त क लागा की शरीरों क फितन ही उदाहरण दिये थे। उन्होंने कहा था, 'पहले लोगों का पेट भरना चाहिए फिर उनको शिक्षित बनाना चाहिए।

गरीबी ही एक ऐसी चला है जो लोगों को उपयोगी और वांछनीय बातों से दूर रखता है। छोटे छोटे बच्चों से चिड़ियाँ उड़ाने में, ईंधन के लिए गाजर जमा करने में, चौपायों को चराने और पानी पिलाने में और वास्तव में ग्राम्य जीवन के हर काम में अपने माँ पाप की मदद करते हैं। माँ-पाप अपने बच्चों की इस मदद से अपने आपका बचिंत नहीं रख सकते। हाँ, जो लोग ऐसा कर सकते हैं वे अपने बच्चों का किसी पास के स्कूल में भेजने के इच्छुक ही नहीं, परन्तु उत्सुक रहते हैं।”

राजा साहब जैसे साम्य विचारवादी और अनुभवी व्यक्ति को इस कथन से यथार्थ अवस्था का दिग्दर्शन हो जाता है। यह अवश्य कहना पड़गा, कि कृपक अपने बच्चों की मदद से ही अपने को बचिंत न समझते थे, परन्तु उनके इस तरह शिक्षित बन जाने में वे कोई अच्छाई या भारी लाभ भा अनुभव नहीं करते थे। परिणाम स्वरूप जो माँ पाप अपने बालकों का स्कूल भेजते भी थे, वे उनकी तात्कालिक सहायता मिलने में बाधा पड़ने के कारण स्कूल भेजना बन्द कर देते थे और यह एक प्रकार से आवश्यक-म्भावी भी था। हिन्दी स्कूलों में बालक ८-९ बरस की अवस्था में भरती होते थे और दो एक साल ही में पढ़ना छोड़ देते थे।

इस प्रकार की व्यवस्था के कारण स्कूलों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता था। लम्बी गैरहाजिरी या छुट्टी के कारण बालक अपनी पढ़ाई लिखाई सब भूल जाते थे। अतः एक बार पढ़ा हुआ पाठ भूल जाने के कारण ही दुबारा फिर पढ़ाया जाता था।

इन सब बातों से स्कूल का कार्यालय भी कमजोर रहती थी और साथ ही उसका स्थिति डबिडोल रहती थी। स्कूल स्थिर होकर चल भी नहीं पाते थे। प्रतिवर्ष स्कूलों का नये सिरे से निर्माण होता था और जन तुरु गाँव के पढे लिखे कुटुम्बों में बालकों को इतना सरया रहती थी जिससे शिक्षक की जीविका चल सकत तुरु शिक्षक उस गाँव में रह कर प्रति वर्ष नया स्कूल खोलने में कोई हानि न समझता था। परन्तु जन बालकों का सरया में कमा हो जान के कारण जीविका चलाने में कठिनाई पडने लगती थी तुरु शिक्षक दूसरे गाँव में चला जाता था। इस प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले अनेक स्कूल बहुत ही कम समय तक चल पाते थे। उच्च श्रेणी के स्कूलों में, जहाँ शिक्षा द्वारा जीविका चलाना परम्परागत कार्य था, और जहाँ निशुल्क शिक्षा दी जाती थी, इतने परिवर्तन न होते थे। जिन स्कूलों में अध्यापक 'घरू शिक्षक' के तौर पर कार्य करता था, वे स्कूल में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होते थे।

उच्च शिक्षा देने वाले स्कूलों का उपस्थिति प्रारम्भिक शिक्षा देने वाले विचारे शिक्षक के लिए प्रायः हानिकारक ही प्रमाणित होती थी। पहले तो वे उच्च श्रेणी की शिक्षा ही देते थे, इससे प्रारम्भिक स्कूलों की स्थिति में बाधा पहुँचती थी। दूसरी बात यह थी कि उच्चश्रेणी के स्कूलों में निशुल्क शिक्षा दी जाती थी, इससे अधिकांश बालकों का आर्पण उधर ही हो जाता था। जो थोड़े बहुत बालक बच रहते थे उनको उस निम्न श्रेणी की शिक्षा

के लिए शुल्क देना पड़ता था। तीसरी बात यह थी कि उच्च श्रेणी के शिक्षक विद्या न वेचने के कारण श्रद्धास्पद मान जाते थे और इससे विपरीत विद्या वेचने के कारण प्रारम्भिक स्कूलों के शिक्षक अधिक मान की दृष्टि से न देखे जाते थे। लेकिन दश निधन था, अतः शिक्षा की माँग कम थी और फलतः शिक्षकों की आय भी तनुनुसार बहुत खल्प हुआ करती थी। अतः यह स्वाभाविक बात थी कि जो लोग इस क्षम जीवन निर्वाह के लिए इतरते थे वे ऐसी श्रेणी के लोग न होते थे जिनके प्रातः जनता की श्रद्धा और विश्वास हो।

**देशी स्कूला की शिक्षा**—पुराने स्कूला का जो वर्णन प्राप्त है वह फलतः उनका बाह्य स्वरूप का ही विवरण है और जहाँ तक भेरी जानकारी है उनकी भीतरी चया का कोई वर्णन प्राप्त नहीं है। मरी शिक्षा-नीचा तीन प्रकार के पुराने स्कूला में हुई है। मुझे घर पर उच्च पढ़ाने के लिए एक मौलवी साहब आते थे, अतः मुझे उनके अन्तरंग स्वरूप का परिचय है। लेकिन एक बात में यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिन स्कूला में मरी शिक्षा पायी थी, वे इस समय प्रायः लुप्त हो चुके हैं।

सुन्दर खम्भा और मुगलकालीन महाराजों से मुसजिदत, मरी घर से दो फर्लाङ्ग पर एक छोटा सा मन्दिर था। इसमें एक दालान था। इसी में पंडित मोतीलालजी भट्ट अपनी पाठशाला लगाया करते थे। इस पाठशाला में अधिक से अधिक २० बालक थे।

और यहाँ हिन्दी की पढ़ाई होती थी। मुझे अत्र पण्डितजी के विषय में अधिक बातें स्मरण नहीं रही हैं, तथापि इतना तो स्मरण है कि हिन्दी पढ़ना लिखना मैंने इसी पाठशाला में सीखा था। वहाँ खडिया मट्टी के घोल में सरकड़े की कलम से पट्टी पर चारदखंडी लिखने का ही मुख्य कार्य था। इस पाठशाला के मरे जीवन में वह बड़ा ही सुदिन था जिस दिन पण्डितजी ने मुझसे पास पास व्यक्तियों के नाम लिखवाये थे। मुझे लिवीप्रेस का छपी प्राइमर भी पढ़ने का मिली था। वस इस पाठशाला में अधिक में अधिक इतनी ही पढ़ाई होती थी।

पण्डितजी अनुशासन में काफी कड़ा करते थे। स्कूल का तिराह पर था, फिर भी रातों का ध्यान हम लोगों को नहीं रहता था। थोड़ा भी गलती या काम में ढिलाई हुई कि 'चश्मा लगाने वाले पण्डितजी' सब ताड़ जाते थे। उनके हाथ में वेत का चरहर ही रहता था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत कम किया जाता था। कड़ी निगाह और डाट फटकार सुनते ही हम सब ठीक ठिकाने बैठ जाते थे।

य पण्डितजी ब्राह्मण थे, अत्र परिवार में एक बार उनका लिए एक सीया पहुँचाया जाता था। इसका अतिरिक्त मरे चाचा और मामा जा उनका कुछ नकद कीस अलग दिया करते थे। यह भीम स्तिना दा जाता था, यह मुझ ठार ठार विदित नहीं है, परन्तु मरा ममक में यह पास करल कुछ ध्यान हा दा जाता होगा।

इस पाठशाला में केवल पढ़ाई ही नहीं होती थी बरन् बालकों के लिए खेल-कूद और मनोरिजोद के भी मौके था जाते थे । प्रति दिन छुट्टी हान में पहल पाठशाला के सभी बालक एक लैन में खड़े हो कर छत्र चार स चिल्ला कर पढ़ाई पालते थे । दा-नाम घटे चुप चाप बैठ कर नाम करने के कारण बालकों में जो एक प्रकार की मुन्तो सी आ जाती थी वह ऊंची आवाज से और गा गा कर पढ़ाई का पाठ करने में हवा हा जाती थी । इस प्रकार पढ़ाई दुहराने में किसी प्रकार का भार भी मस्तिष्क पर न पड़ता था । जिस बालक की गरी पढ़ाई बुलवान की होती थी, सिफ उसे इस बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ता था, कि तनिक भी गलती न होन पाय, क्योंकि एसा होन पर उसे तुरन्त ताडना मिलता था ।

पादतजी की इस पाठशाला की पढ़ाई थोड़ ही दिनों में पूरा करके में अपने पिता के पास प्रयाग भेज दिया गया और वहाँ एक महाजना पाठशाला में पढ़ने के लिए बैठा दिया गया । यहाँ गद्दीगता, गणित, और महाजनी पढायी जाती थी । यह पाठशाला शहर के बीचो-बीच महाजनीटाल में लगती थी । एक महाजन न अपना शालान और चबूतरा इस नाम के लिए रखता था । उसमें एक गुरुजी पढाया करता था । पाठशाला में चालीस स अधिक विद्यार्थी थे, अत गुरुजी के दाना पुत्र भा उनके भद्र पर रहते थे । उनका दाना पुत्र ता अभी सालह परस का ही हागा । तिन में दा गार पाठशाला लगती थी । सरर आठ उन स ग्यारह उन तर और अपराह में दा था



तीन बजे से पाँच बजे तक । बड़े नगर में छोटे छोटे बालक अकेले पाठशाला आने में असमर्थ थे , इसलिए गुरुजी का बड़ा पुत्र लड़कों को उनके घरों से ले आता और फिर उन्हें पहुँचा आता था । लेकिन वह उन्हीं बच्चों के घर पर जाता था जो घर क मालदार और प्रतिष्ठित होते थे और पढाई भी आठ आने या इससे कुछ अधिक देते थे । इस पाठशाला में छोटी बड़ी उम्र के और ऊँची नीची जाति के सभी तरह के लड़के पढते थे ।

पाठशाला में पहुँच कर हमें लोग उसे खाला करते थे । पहले दालान को सफाई का जाता था । फिर एक कमरे में रखी अबकटो चटाइया निकाल कर भाड़ी और धिछायी जाती थीं । पट्टियाँ भी वहीं रखी रहती थीं । सब लड़के अपनी अपनी पट्टियाँ निकाल कर घोटते थे । इसके बाद पढाई शुरू होती थी । पढाई और गुर रटाये जाते थे । सुलेख लिखाने का भा अभ्यास कराया जाता था । किसी प्रकार की लापरवाही या काहिली अक्षम्य थी और जरा सी भी गलती करने पर सजा मिलती थी । इससे काम अच्छा होता था । ऐसा काम अब नये स्कूलों में देखने का भी नहीं मिलता । पट्टी के बाद कागज पर लिखाना शुरू कर दिया जाता था । गुरुजी न बहुतेरा पुरानी बहियाँ एकत्र कर रखी थीं । इन्हीं की नकल हम लागो स करायो जाती थी । इससे अतिरिक्त व्यापार सम्बन्धा पत्र, हुबडो आदि भी लिखायो जाता था । महाजनी में पत्र व्यवहार करना एक बड़ महत्त्व का बात है, क्योंकि महाजनी में किमको किस प्रकार का सम्बोधन

या शीर्षक देकर लिखना चाहिए, यह साधारण तरह के पत्रों से भिन्न होता है। हिन्दी में भी पत्र लिखना सिखाया जाता था और जन मुनीमी के काम के लिए अच्छी योग्यता प्राप्त हो जाती थी तो किसी देशी दुकान में काम मिलान में कठिनाई न होती थी। हमारे गुरुजी का बहुत से महाजन के साथ अच्छा परिचय था, क्योंकि बहुतेरे महाजन और बहुतेरे बड़े बड़े मुनीम भी तो उन्हीं के पढ़ाये हुए थे। इससे उनकी सिफारिश से लड़कों का कहीं न कहीं मुनीमी जरूर मिल जाती थी और उनकी पाठशाला में पढ़ना इसके लिए काफी सिफारिश समझी जाती थी।

इस पाठशाला में गुरु जी को नकद वेतन मिलता था। कभी कभी मेरी मातामही कुछ सामान भेंट के रूप में भेजवा देता थीं, परन्तु वह कबल अपनी इच्छा से। इसका कोई नियम न था। अमीर घरा के लड़के गुरु जी को “जड़ावल या जाड़ों के कपड़े” देते थे। हाँ, गुरुपूजा के दिन सभी लड़के गुरुजी की पूजा के लिए जन तक कुछ दक्षिणा जमा न कर लेते, तब तक कुछ भी भाजन न करते थे। अच्छे अच्छे महाजन लोग बढ़िया कीमती कपड़, मिठाई, दक्षिणा, वरतन आदि से गुरुजी की पूजा करते थे और गरीब लोग फल-मूल और वतारो ही गुरुजी के सामन रख कर अपनी श्रद्धा का परिचय देते थे। लेकिन सब लोग फूलों की एक-एक माला तो जरूर ही लाते थे। पहले दर वालक गुरु जी के सामने जाता और झुक कर प्रणाम करता था, फिर गुरु जी के माथे पर चन्दन लगा कर उनके गले में

माला डाली जाती और फिर साथ में लाया गया सामान उनके सामने रख दिया जाता था। इसके बदले में प्रसन्नता और स्वीकृति के चिह्न स्वरूप, गुरु जी भी उसके माथे पर टीका लगा कर थोड़ी सी मिठाई फल-मूलादि प्रसादी के रूप में उसे दे देते थे। संस्कृत पाठशालाओं में यह पूजन बड़ी विधि से होता था, क्योंकि यहाँ बड़े नियम से मन्त्रोच्चारण के साथ सब काम किया जाता था। एक प्रकार से यह उन्मत्त एक धार्मिक अनुष्ठान सा बन गया था।

बच्चों के लिए महानना पाठशाला में सत्र से अच्छा दिन नागपंचमी का होता था। उस दिन विद्यार्थी अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते और बड़े बना कर गाते निकलते थे। साथ में सुर मिला कर बाँसुरी और ढोलक भी बजती चलती थी। एसा ही 'स्वोर्ड हेंस' का खेल में इंग्लैंड में आक्सफर्डशायर के एक ग्राम्य स्कूल के बच्चों का खेलते देखा है। हमारी पाठशाला के सभी बालक एकत्र होकर टोली बना कर गाते उजाते हुए निकलते और अपनी टोली के प्रत्येक बालक के घर पर जाकर उसके द्वार पर शकृष्ण के जीवन से सम्बन्धित कोई घटना चित्र या किसी अन्य देवता का रंगीन चित्र लगा देते थे। इस प्रकार सार शहर का चक्कर हो जाता था। शाम को सत्र लाग बाजार में एकत्र हाते थे, वहाँ अन्य पाठशालाओं के विद्यार्थियों को टालियों भी आती थी और खेल-खेल में काफ़ी प्रतिद्वन्द्विता हा जाती थी।

मैं मुनीम बनने के लिए इस पाठशाला में नहीं भेजा गया

या, मेरे लिए वो गणित का अच्छा अभ्यास कर लेना ही वहाँ जाने का उद्देश था। इस महाजनी पाठशाला की पढाई समाप्त करने पर मुझे एक संस्कृत पाठशाला में बैठा दिया गया। यहाँ बालकों की संख्या लगभग ४० और कभी-कभी इससे भी अधिक रहती थी। फीस कुछ भी नहीं ली जाती थी। यहाँ अधिकांश बालक निधन थे, अतः उनके रहने और भोजन की व्यवस्था भी पाठशाला की ओर से ही होती थी। यहाँ मुझे अनुरोध याद कराया गया और लघुकौमुदी भी याद करने के लिए दा गयी। इनकी कुछ बातें मुझे ममभाषो भी गयीं थीं, किन्तु उस समय मैं मेरी समझ में नहीं आती थीं। यहाँ की पढाई मुझे उड़ी कठिन प्रतीत होने लगी और मेरी इच्छा अंग्रेजी पढने की हुई। उस समय वेद के कुछ सूक्त भी मुझे याद कराये गये थे।

नित्य की पढाई लिखाई के अतिरिक्त संस्कृत पाठशाला को अन्य बातें भी उल्लेखनीय हैं। पाठशाला के पंडितजी को संस्कृत को अगणित कहानियाँ याद थीं। उनको ममय समय पर सुना कर वे हम लागा का मनोरंजन भी करते थे और शिक्षा भी देते थे। पाठ पढाते समय इन कथाओं को उदाहरण के रूप में कह कर वे पाठ्य विषय को समझा देते थे। बालकों के विद्यार्थी-जीवन के आदर्श और भविष्य की रूपरेखा अनजाने ही इसी पाठशाला में बन जाती थी। हम लोगों को छोटे-छोटे बहुत से श्लोक याद करा दिये गये थे। इनमें श्री शंकराचार्य रचित प्रश्नो-

त्तरी के श्लोक भी थे । मैं यहाँ पर कुछ श्लोकों का उद्धरण करता हूँ । इससे विदित हो जायगा कि ये श्लोक विद्यार्थी समुदाय में किन भावों का प्रवेश कर देते थे, क्योंकि इन विद्यार्थियों में गुरु के प्रति परम्परागत श्रद्धा होने के कारण उनके मुख से जो भी निकलता था वह अत्यन्त हितकर समझ कर ग्रहण कर लिया जाता था । प्रश्नोत्तरी की तो विशेष महिमा थी, क्योंकि यह तो साक्षात् श्री शंकराचार्य द्वारा प्रणीत थी ।

अपारससारसमुद्रमध्ये समञ्जतोमेशरणं किमस्ति ।

गुरो कृपालो कृपया वदतद्विश्वेशपादावुजदीर्घनौम ॥

‘इस अपार ससार सागर में मुझ डूबते हुए का शरण क्या है, हे कृपाल गुरु कृपा करके मुझे बतायें ? इसे पार करने के लिए विश्वेश के कमल पद रूपी बड़ी नौका प्रस्तुत है ।’

विष क्या-क्या हैं ?

हर प्रकार के विषय भोग ।

कौन लोग सदा दुःखी रहते हैं ?

जो लोग विषयों में लिप्त रहते हैं ।

कौन लोग प्रशासनीय हैं ?

जो लोग परोपकार करते हैं ।

पूजनीय कौन हैं ?

जो पदार्थों की वास्तविकता को देख लेते हैं ।

निर्धन कौन हैं ?

जिसमें अनेक बड़ी बड़ी आकांक्षाएँ हैं ।

अमीर कौन है ?

सन्तोषो ।

जीवित ही मृत कौन है ?

जीविकाहीन ।

मृत्यु तक कोन बातें वाग्ने में रखती हैं ?

भूठी आशाएँ ।

विजली के वेगमालो वस्तुएँ क्या हैं ?

धन, यौवन और आयुष्य ।

सत्र से उत्तम पारितापिक क्या है ?

जो योग्य पुरुष को दिया जाय ।

मृत्यु पर्यन्त पुरुष का क्या कर्तव्य है ?

धर्मपथ का अनुसरण करना ।

चाणक्य नीति भी इन पाठशालाओं में खूब पढ़ायी जाती थी । जालनों पर इसका आश्चर्यजनक प्रभाव था, क्योंकि इसकी भाषा अत्यन्त सरल, शैली निर्मल तथा ओजपूर्ण है । यही बात उक्त प्रश्नात्तरी के विषय में भी कही जा सकती है । यहाँ चाणक्य नीति से उद्धृत कर के एक-दो श्लोकों का अर्थ दिया जाता है —

‘जिन माता पिता ने अपने बच्चों को शिक्षित नहीं बनाया, वे अपने बच्चों के शत्रु हैं क्योंकि वे शिक्षितों के शत्रु-प्रिय हसों में बक के समान दिखायी देते हैं ।’

‘प्रत्येक पहाड़ में रत्न नहीं मिलते, प्रत्येक हाथी में मुक्ता नहीं मिलता और न हरेक वन में चन्दन क वृक्ष ही मिलते हैं और न हर जगह सच्चे महात्मा ही मिलते हैं।’

कभी कभी बड़ बड़ विद्यार्थी पाठ्य विषय में से किसी विषय पर शास्त्रार्थ भी करते थे। वह सदैव सभ्रुत में ही हुआ करता था। परीक्षा तो उन दिनों होती न थी, अतः शास्त्रार्थ में जीत हो जाना ही बड़ी प्रतिष्ठा की बात थी। नगर के प्रतिष्ठित विद्वान इन शास्त्रार्थों में उपस्थित होते थे और होउदार विद्यार्थी पर उनकी दृष्टि अवश्य पड़ जाती थी। इन शास्त्रार्थों में जा विद्यार्थी अद्वितीय प्रखरता का परिचय देता था उसका उपस्थित पंडित समाज अनेक धन्यवाद देता और “न्याय रत्न” “वेदान्तकेसरी” आदि की उपाधि से उसे अलङ्कृत करता था। लेकिन ये उपाधियाँ केवल वास्तव में योग्य विद्यार्थी का ही मिल पाती थीं, क्योंकि पंडित लोग प्रायः अनुदार भी होते थे और उपाधियाँ इतनी शीघ्रता से नहीं दे देते थे।

इस वखन से स्पष्ट है कि इन पाठशालाओं का सत्कार ही विभिन्न था। अधिकारियों के प्रति विशेष प्रकार की धर्मा विद्या में उत्सन्न की जाती थी, और साथ ही साथ एक प्रकार का विश्वास और धर्म निष्ठा विद्यार्थियों के जीवन का एक अंग बन जाता था। इस प्रकार उसके जीवन का सारा दृष्टि कोण ही सकीर्ण हो जाता था। अपने कर्तव्यों का तो उस पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता था, परन्तु अपने अधिकारों का यह

कोई मर्म न जानता था। इस प्रकार की शिक्षा से वह आदर्शवादी तो अवश्य ही बन जाता था, परन्तु उसमें स्वयं की लालसा विलुप्त न रह जाता था। यह शिक्षा उस इतना चिन्तनशील बना देती थी कि वह व्यवहारकुशल नहीं हो पाता था। इन संस्कृत पाठशालाओं में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। इन विषय पर विस्तृत विचार इसी अध्याय में आगे किया जायगा।

प्राचीन शिक्षा प्रणाली के प्रमुख लक्षणों पर एक दृष्टि

१—रटान की प्रवृत्ति

२—लिग्गान के अभ्यास का अभाव

३—परीक्षाओं का न होना

४—मानाटर की प्रथा

५—कृत्वा प्रथा का न होना

प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा देने वाले गाना ही प्रकार के स्कूलों में लड़कों से अधिकतर रटाई का काम लिया जाता था।

शिक्षा में मौलिकता को कोई स्थान प्राप्त न था। प्राचीन ग्रन्थ ही ज्ञान-कोष का सीमा समझे जाते थे। इसलिए विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम भाग यही था कि वे उन ग्रन्थों का अध्ययन करें।

लेकिन पुस्तकों भी उस समय इतना सरलता से नहीं मिलती थीं।

१२वीं सदी के दूर और तासरे दशक में पहले प्रेस की छपी पुस्तकें सतुक्त प्रान्त में प्रचलित नहीं हो पायीं थीं। सार्वजनिक पुस्तकालयों का ता सर्वथा अभाव था, व्यक्तिगत पुस्तकालयों में अपरिचित पुरुष का प्रवेश दुस्कर था। पुस्तक प्राप्त होने पर



भी नकल कर लेने में आधिक और अन्य अनकृपाकार की कठिनाइयाँ पड़ती थीं। फिर पुस्तकों की माँग भी न थी। इसीसे जल्दी लिखन की गति का विकास न हो सका। जिसके पास कोई पुस्तक होती थी, उसे सदा यही डर लगा रहता था कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसे चुरा न ले जाय।

इस प्रकार पुस्तकों पर भरोसा न रख कर ज्ञान भण्डार को अपने मस्तिष्क में जमा कर लेना उचित समझा जाता था। इसी लिए संस्कृत में यह लोकाक्ति प्रसिद्ध है — 'पुस्तकरथा तु या विद्या, पर हस्ते गत धनम्', अर्थात् 'पुस्तक की विद्या और पराये हाथ का धन समय पड़ने पर कभी काम नहीं आता।' इसी से रटन में सरलता उत्पन्न करने वाले उपायों का आविष्कार किया गया था। निरन्ध की अपेक्षा कविता याद करने में अधिक सरलता होती है। लम्बे लम्बे पैराग्राफों की अपेक्षा छोटे-छोटे वाक्यों को याद कर लेना सरल है। इसी तरह पर जो बात गा-गा कर याद का जाती है वह अधिक सरलता से याद रहती है। इसलिए शब्द-रूप, आशुवेद, ज्यातिष, औषधि, गणित, वेदान्त आदि जैम निरन्ध-आत्मक विषयों को भी काव्य में परिणत कर दिया गया था। और व्याकरण के सूत्र बना दिये गये थे। नित्यप्रति के व्यवहार में आने के लिए गणित के नियमों के 'गुरु' बना दिये गये थे।

परन्तु इन सब बातों से यह निष्कर्ष न निकालना चाहिए कि रटान् की प्रथा सभी स्कूलों में प्रचलित थी। कुछ पाठशालाएँ

ऐसी अवश्य थीं जिनमें विद्याओं की विचार-शक्ति क विकास के लिए भरपूर अवसर दिया जाता था, लेकिन इनमें भी प्राथमिक शिक्षा प्रचार में रटाई को आवश्यक अङ्ग मान लिया गया था। प्राथमिक पाठशालाओं में तो क्लृप्तस्थ प्रथा पूरे तौर से देखने में आती थी।

लिखने का अभ्यास भी मामूली क अवसर क कारण अधिक नहीं हो पाता था। पट्टी या तख्तों के अभ्यास से एक निश्चित सीमा तक ही गति प्राप्त हो सकती थी क्योंकि पट्टी पर छोटे-छोटे अक्षर लिखना कठिन है। सागड़ उस समय कठिनाई से मिलता था और मूल्य भी उसका अधिक होता था। वहीं उन्नत के लोग भी कठिनाई से 'ताडपत्र', या 'भाज पत्र' का व्यवहार करते थे जो सदियों तक विगड़ता नहीं था फिर यथा का लिखने का अभ्यास कराने के लिए कागड़ मिल ही कैसे सकता था ? इसके अलावा गाँवों में लिखने लिखाने का आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। चिट्ठी चपाती भा कदाचित् ही कभी लिखी जाती हो। उनियों या महाजनों के लडकों को यही ग्याता लिखने का पाठशाला में अर्द्धा अभ्यास रग दिया जाता था, क्योंकि स्वच्छ, और सुन्दर लिखावट का अभ्यास किये बिना वे सुनीामी के योग्य नहीं समझे जाते थे। लेकिन ऐसे बालकों को भी लिखने का अभ्यास कराने के लिए कागड़ इतना सुविधा से न मिलता था। यद्यपि उपर्युक्त अभ्यास में कमी रह जाती थी, फिर भी उनका लिखावट उत्तम कोटि की होती थी। एक दो सद्री की

पुरानी बहियों के देखने का असर मुझे मिला है। उनकी लिखावट देख कर मैं दब्र रह गया। फारसी के स्कूलों में तो लिखावट का अभ्यास करना एक कला का काम समझा जाता था। लोग इसका सरक्षण भी अच्छा करते थे। ब्रिटिश काल के पूर्व की फारसी, अरबी, हिन्दी या संस्कृत की उत्तम काटि की हस्तलिखित पुस्तकें इस बात को भली भाँति प्रमाणित कर देती हैं।

दूसरी विशेष बात यह थी कि इन पाठशालाओं में किसी प्रकार की परीक्षा नहीं ला जाती थी। अध्यापक और विद्यार्थी में परस्पर इतना घनिष्ठ सम्बन्ध रहता था कि अध्यापक अपने विद्यार्थी की योग्यता से भला भाँति परिचित होता था, अतः उसे उसकी योग्यता जानने के लिए किसी अलग परीक्षा को आवश्यकता न पड़ती थी। परीक्षा का दूसरा उपयोग अब यह है कि उसकी सहायता से जीविज्ञ या प्रतिष्ठा प्राप्त करने में मदद मिलती है, लेकिन उन दिनों नौकरी चाकरी करने के लिए तो विद्या पढ़ी नहीं जाती थी। सभी का अपनी अपनी परम्परागत जीविज्ञा मिल जाती थी। जीविज्ञाएँ तो उनका जातिगत या कुल परम्परा के अनुसार निश्चित रहती थीं और उनमें विद्या की प्रतिष्ठा के लिए परीक्षा कोई माप नहीं थी, परन्तु जो लोग जीवन भर अपने पाण्डित्य की मर्यादा बनाय रख सकते थे, विद्वान समझे जाते थे। इस प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ कर उनमें जीत हान में किसी व्यक्ति की योग्यता का परिचय मिल जाता था और इन्हीं के द्वारा विद्वानों की कसिं चमकती

थी। विद्या के सरञ्चक भा परीक्षा को आवश्यक नहीं समझते थ। यद्यपि परीक्षा का अभाव कुछ लागा को अप्रस्य ही पाण्डित्य प्राप्ति क लिए उन्साहित करता था, फिर भी इसक अभाव म साधारण विद्यार्थियों की योग्यता का कोई साप नहीं था।

बड़े बड़े स्कूलों में एक ही अध्यापक के होन से विद्यार्थियों में 'मानीटरों' द्वारा अनुशासन रचन की प्रथा चल पड़ी थी और ऊँची पढाई के विद्यार्थियों क ही पढ़ाने म अध्यापक का इतना अधिक समय निकल जाता था कि प्रारम्भिक अध्ययन करने वालों को पढ़ाने का काम जिंसा ऊँची पढाई करने वाले विद्यार्थियों को सौंप देना पडता था। यह कम प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों में प्रचलित नहीं था। क्योंकि इस स्कूल क अच्छे से अच्छे लडक म भी इतना योग्यता नहीं हो सकती था कि स्कूल के पिछड़े हुए बालक का स्वतः पढा सक। फिर एक बात यह भी थी कि इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या जाड़ो ही रहा करती थी और अध्यापक का समय भी अपेक्षाकृत प्रत्येक विद्यार्थी पर कम खर्च होता था।

इन स्कूलों में श्रेणियाँ भी नहीं होती थीं। सभी बालक एक साथ बैठ कर पढ़ते थ। प्रत्येक बालक अलग अलग जो विषय पढ़ना चाहता, पढता था। पढ़न क लिए भी किसी विशेष पुस्तक का नियम न था। विद्यार्थी जो पुस्तक चाहता पढ़ने लगता था। वास्तव म जो पुस्तक उसे मिल जाता थी वह वही पढ़ लेता था। समान विषय और समान पुस्तकों का अध्ययन करने वाले और

समानगति से चलने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही अल्प थी। कभी कभी तीन तीन, चार चार बालकों का टालियाँ बन जाती थीं और वे एक साथ पढ़ने लगते थे। लेकिन इसका कोई नियम न था। प्रारम्भिक शिक्षा के स्कूलों में पढ़ाड़ों के पढ़ने के लिए तो एक "दरजा" था, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को अवश्यमत्र आना ही पड़ता था। इसके अतिरिक्त अन्य विषयों में ता जितने विद्यार्थी होते उतने ही दरजे भी हो जाते थे। ऊचा पढ़ाई के विद्यालयों में इस शैली से विद्यार्थी को बड़ा लाभ होता था, किन्तु प्रारम्भिक पढ़ाई के स्कूलों में तो समय और शक्ति दोनों का ही अपव्यय होता था।

**अनुशासन**—प्रारम्भिक स्कूलों और उच्च कोर्ट के विद्यालयों के विद्यार्थियों के अनुशासन में भी भारी अन्तर था। संस्कृत विद्यालयों में तो कदाचित ही कभी अशिष्टताके लिए किसी विद्यार्थी को सजा मिलती हो। हिन्दी पाठशाला के विद्यार्थियों में भा अपने गुरु के प्रति बहुत अधिक श्रद्धा होती था (जा अत्र भी चली जाती है)। उनके लिए अपने गुरु की उचित या अनुचित आज्ञा का पालन करना स्वाभाविक सा बात होती थी। प्रचलित प्रथा, विश्वास तथा दूमरा का उदाहरण गुरु के प्रति इस श्रद्धा की विद्यार्थी के स्वभाव का एक अङ्ग बना देते थे। इसका अनुमान नाचे लिंगे श्लोक से होगा—

अस्रडमदलाभार व्याप्त येन धराचरम् ।

तत्पद दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ इत्यादि—

‘चराचरों में व्याप्त, अखण्ड महलाकार रूप परमात्मा क पदों का दर्शन जिसकी सहायता से हुआ है उस गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ।’

‘अज्ञानान्धकार में भी देखने के लिए तिन गुरु ने ज्ञान का अन्न मरी आँखा में लगा दिया है मैं उनका नमन करता हूँ।’

‘गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं, गुरु ही स्वयम् परमात्मा हैं। एस गुरु का मैं प्रणाम करता हूँ।’

जब इस प्रकार के विचारों का प्रत्येक विद्यार्थी के हृदय में अङ्कुरित कर दिया जाता है, तो फिर वह उम सहज सत्य समझ कर उसका पालन अवश्य करेगा। इसके अलावा दूसरी बात यह भी है कि उसके इस आचरण पर प्रथा और प्रचलित आचार विचार का भी बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। पाठशाला में पहुँच कर प्रत्येक विद्यार्थी गुरु का पदस्पर्श करता है या अपने गुरु के पदों में माथा टेकता है और फिर खुट्टी पाने पर भी इसी प्रकार गुरु के प्रति भक्ति प्रकट की जाती है। पाठशाला में पहले ही प्रवेश करते समय विद्यार्थी गुरु की पूजा करता है और प्रति वर्ष गुरुपूजा क दिन भी उठे सनारोह स गुरु की पूजा की जाती है। गुरु और शिष्या के दर्शन के लिए जाते समय कोई व्यक्ति, वह चाहे किनता ही गरीब क्यों न हो, कभी चाली हाथ नहीं जायगा।

फिर य विद्यार्थी अपने उद्योग का भी तो ऐसा ही आचरण करते देखते हैं। प्रयाग में भर घर के ही समीप ग्यार सेंट्रल

कालिज के सस्कृत के भूतपूर्व प्रोफेसर प० आदित्यराम भट्टाचार्य जी रहते थे। उन्होंने प० मदन मोहन मालवीय जी को पढाया था। जब कभी वे उनके पास आते थे तो बड़ी श्रद्धा के साथ उनके चरणों में माथा टेकते थे। देश के सर्वमान्य महापुरुषों का इस प्रकार आचरण करते देख कर हम बच्चों पर भी उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़गा ही। प्रत्येक विद्यार्थी के चित्त में यह बात पैदा हो जायगी कि गुरु की सेवा करना और उनकी आज्ञा में रहना बड़े सौभाग्य की बात है। व कदापि कोई बात जानबूझ कर ऐसी न करते थे कि जिससे गुरु उनके प्रति रुष्ट हो जायें। सस्कृत विद्यालयों में गुरु के प्रति विद्यार्थियों की इस श्रद्धा ने अनुशासन की अनेक समस्याओं का स्वतः मुलम्मा रक्खा था।

हिन्दी स्कूलों में भी सस्कृत पाठशालाओं की तरह बालकों में गुरु के प्रति श्रद्धा रखने की शिक्षा दी जाती थी, किन्तु यहाँ अनुशासन का काम प्रेम अथवा श्रद्धा की अपेक्षा ताड़ना से ही अधिक चन्ता था। बालकों की छोटी उम्र को देखते हुए पढ़ाई के घटे अधिक थे, फिर पढ़ाई का क्रम और विषय भी ऐसा रूखा था कि छोटे बच्चे का मन सड़क, उद्यान और वाराणसी के लुभावने दृश्य की ओर अग्रसर जाता था। ऐसी अवस्था में केवल श्रद्धा और आज्ञापालन के अतिरिक्त बालकों पर अनुशासन करने के लिए अधिक प्रभावशाली साधना के उपयोग की आवश्यकता थी। वह समय भी ऐसा था जब सदियों के अत्याचार और पाशविक, निर्दय व्यवहार ने मनुष्य स्वभाव को

उसका आदी बना दिया था। उस समय यदि निर्दयता से बालकों का मारन पीटन वाले अभ्यापक रहे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

सन् १९५० में मि० रीडन अपनी रिपोर्ट में पश्चिमोत्तर प्रान्त में तत्कालीन प्रचलित स्वयम् दग्ग हुए चार प्रकार के दण्डों का वर्णन किया है। इस सम्बन्ध में उनका मत का हम यहाँ उद्धृत करते हैं। “ऊपर जिस दण्डविधान का वर्णन हुआ है, वह ऐसे दण्ड थे जो उस बालक का अपने माथिया की दृष्टि में हीन और हास्यास्पद बनाने का कामी थे। उस दण्ड प्रायः फारसी और हिन्दी स्कूलों में लिया जाता था। लेकिन ये दण्ड विधान इतने घृणित और इतने निष्ठुर थे कि कोई अभ्यापक उन्हें प्रभावशाली घरानों के लड़के पर प्रयुक्त करने का साहस नहीं कर सकता था। इस प्रकार हम दण्ड के सर्वथा पाने योग्य बालक भी कभी कभी दण्ड से मुक्त हो जाते थे। यदि कोई बालक कभी अन्धरी तरह से पीटा दिया गया, तो उसका माता पिता इसी बहाने उसे स्कूल से हटा लेते थे और साथ ही माता स्कूल की “बग्या” कीस भी जानसूक्त कर लेता भूल जाते थे। तात्पर्य यह कि इस प्रकार का दण्ड उद्दिष्ट फल को प्राप्त करने में अमफल सिद्ध होता है। निर्दयता की मात्रा अधिक हान से यह दण्ड असह्य हो जाता है। साथ ही साथ अधिक नटखट बालक को भी दो चार तमाच या बेटों से अधिक दण्ड देने की आवश्यकता नहीं है।”



यह बात स्मरण रखने की है कि कम से कम गाँवों में तो अवश्य ही माता पिता स्कूल जाने या न जान के लिए बालक को पूरी-पूरी स्वतन्त्रता दे देते हैं। वे बालकों पर स्कूल जान के लिए कोई दबाव नहीं डालते थे। ऐसी अवस्था में भारी दण्ड देना अध्यापक के लिए एक प्रकार से अपने ही हाथों अपने पैरों पर जुल्हाड़ा मारना था। परिणामस्वरूप दण्ड प्राप्त बालक ही नहीं, वरन् उसे देख कर अन्य बालक भी भय वश उसके पास नहीं जाते थे। तथापि यह बात माननी पड़ेगी कि कभी-कभी अध्यापक का शिक्षक की अपेक्षा सिंहपालक का वीभत्स रूप धारण करना पड़ता था और इसी प्रकार इसी प्रकृति के मातापिताओं का भी कभी कभी सामना करना पड़ता था।

समालोचना—ऊपर पुरानी शैली के ऊँच और प्रारम्भिक स्कूलों के पाठ्यक्रम, उद्देश्य तथा, उनमें प्रचलित जीवन का विवरण दिया जा चुका है, परन्तु इतने दीर्घकाल के बाद, उनके सम्बन्ध में किसी बात का निष्णय करना कठिन है। उनके सम्बन्ध में जो सम्मतिर्याँ इस समय उपलब्ध हैं, वे अधूरी और पक्षपात पूर्ण हैं। कुछ लोग यदि उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं तो कुछ लोग कड़ों निन्दा। डा० एफ० डब्ल्यू० टामस कश्चरोंमें “शुरू शुरूमें जाने जाने मिशनरी लाग ता हिन्दू देवताओं पर लौद्धन लगान में इतने अधिक व्यग्र थे कि उन समय की शिक्षा के सम्बन्ध में उनकी सम्मति अधिकतर अशुण, पक्षरगी और पक्षपातपूर्ण था।” अद्वरजी के पक्षपाती और प्राच्यविद्या के

प्रशासकों के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है। लाई वेन्ट्रिज जैसे व्यवहार-पटु गवर्नर के निर्णय का तात् ही बहुत दिनों तक ये दानों दल यहाँ की परिस्थिति को ठीक ठीक न समझ सके। लन्दन की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के अगम पर भारतीय विभाग में पुन्तर्को और अन्य माधनों के सम्बन्ध न एडिनबरा के डाक्टर जार्ज स्मिथ न १८७८ ई० न अपनी रिपोर्ट लिखी थी। उनका मत है कि नशा मदरमों और चट-शालों में पूर्ण नशा की विचार पद्धति के अनुसार दशान शास्त्र और भाषा विज्ञान सम्बन्धी बहुत उच्च-कृति का शिक्षा दी जाती थी, परन्तु उससे असत्य ज्ञान का ही नींव पड़ती थी। इस शिक्षा से नया शक्ति प्रस्तुत न हाता था और न विद्यार्थियों के जीवन पर ही इस का कोई स्थायी प्रभाव पड़ता था। पहले की भाव आज भी मिथ्या और कल्पित इतिहास, वनावटा विज्ञान तथा भूटे दर्शन शास्त्र का ही प्रचार हाता था। इससे विपरीत डाक्टर लिटनर के विचार म अनक भारतीय परिदृष्ट और मौलवी जर्मन विरजविद्यालया तक का प्रतिष्ठा पढ़ान योग्य थ। इन पुरान स्कूलों की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली में क्रिडर गाटन का पाठ शैला का आभास मिलता है और यहाँ के उच्च कृति के शिक्षण में आधुनिक शैलियों का दिग्दर्शन हाता है। इन शिक्षालया न प्राप्त होने वाली योग्यता की व भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। बिहार के एफ प्रसिद्ध सिविलियन फ्रेडरिक पिनकाट न भी इन पाठशालाओं का नड़ी प्रशंसा की है।

इन सब आलोचनाओं में कुछ न कुछ सार अवश्य है। भारतवर्ष में अंगरेजों के प्रवेश-काल की शिक्षा प्रणाली की इस गिरी हुई अवस्था को यदि इस दृष्टि से देखा जाय कि यहाँ की जनता का जीवन शताब्दियों से अशान्ति में गुजरा था, और फिर भी वह अपनी श्रद्धा और परम्परा से प्रेरित हो कर थोड़ा बहुत विद्याभ्यास कर लेती थी, तब अवश्य ही इस ओर हमारी सहानुभूति होगी। एक तरफ सस्कृत पाठशालाओं और मदरसों की शिक्षा विलुप्त पारमाथिक उद्देश से दी जाती थी, तो दूसरी तरफ प्रारम्भिक पाठशालाओं की शिक्षा का उद्देश विलुप्त सांसारिक था। एक ओर तो सांसारिकता के नाम-मात्र से घृणा थी, यहाँ तक कि जनता की व्यवहार की भाषा तक का निषेध था, तो दूसरी ओर हिन्दी उर्दू के प्रारम्भिक स्कूलों में ठाक इसके विपरीत व्यावहारिकता का ही बोल बाला था। जिस समाज में मध्य स्थिति के लोग का अभाव होता है वहाँ मध्य माग का अनुसरण करना कठिन हो जाता है। जहाँ तक वस्तुतः शिक्षा दीक्षा का सम्बन्ध था, वहाँ तक उच्चकोटि के स्कूलों की पढ़ाई सफल कही जा सकती है।

मिस्टर एफ० डब्ल्यू टामस ने भारत में अङ्गरेजी शिक्षा का इतिहास और उनकी उपयोगिता नामी पुस्तक में लिखा है कि यहाँ के प्राचीन परिदृष्टि युरोप के पूर्वकालीन नवयुग के विद्वानों से किसी तरह भी कम न था। व वनायट व पायण्ड को तिरस्कार का दृष्टि से देखते थे और हमारा हर बात की तह तक पहुँच कर

ही सन्तुष्ट होते थे। इनकी ज्ञान पिपासा बड़ी प्रबल थी। अनेक टीकाएँ रट कर याद कर ली जाती थीं। मूर्खतावि-सूक्ष्म प्रश्नों के विवचन में कई कई दिन तक वाद विवाद होता रहता था। पक्ष विपक्ष के समर्थन में गूढ़ से गूढ़ भाषा प्रयोग का साधन बनती थी और जब किसी प्रश्न की पुष्टि में भाषा विज्ञान की समस्त बुनियाँ लगा कर एक दिन विद्यार्थियों का सन्तोष कर दिया जाता, तब दूसरे दिन गुरु जी कहते, 'तत् असत्' अर्थात् यह सब असद्गत है। फिर वे अपने पक्ष के समर्थन में विद्या विधियों द्वारा दिये हुए प्रमाणों का सखटन उपस्थित करते। इन सब बातों से क्लिप्त समय का दुरुपयोग होता था, इसका तो किसी को विचार भी न था। लेकिन किसी भी विषय के समर्थन या उसके खंडन में जो प्रमाण उपस्थित किये जाते थे, वे एक ही तरह के होते थे, क्योंकि वास्तविकता की अनुपस्थिति में काम कोई नवीनता आना अमम्भव था।

पटित अभिनिकादत्त व्यास रचित 'पढ़ पढ़ पत्थर' नाम के प्रहसन में इन गालियों की अभ्यासहारिकता का प्रदर्शन खूब अच्छी तरह किया गया है। इनके तर्क में बाल की राल निकालन का उपहास्य प्रयत्न साफ़ नजर आता है। इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि इन विद्यार्थियों को व्याकरण, चिकित्सा शास्त्र, तर्कशास्त्र, कर्म-कांड, काव्य, पुराण, शास्त्र, और कुरान इत्यादि का अच्छा ज्ञान होता था। यह सत्य है कि विवचनात्मक शैली से इन विषयों का अध्ययन न होता था और इनके अध्यापकों को

वास्तविक ज्ञान की अपेक्षा इन विषयों का कितनी ज्ञान अधिक था। लेकिन जब हम यह देखते हैं कि युरोप में भाषा नवीन शैली के अनुसार अध्ययन करने की परिपाटी याद हो समय से चली है, तो फिर भारतवर्ष में इस शैली के प्रचार का न होना कोई आश्चर्य या आश्चर्य की बात नहीं मालूम पड़ती। प्रारम्भिक स्कूलों में पढ़ाने लिये और हिसाब सिखाने का बड़ा उत्तम प्रबन्ध था। जयानी हिसाब में लड़के इतने दक्ष हो जाते थे कि आधुनिक शैली पर चलने वाले स्कूलों के लड़के, उनसे बढ़ कर निकलने का रास्ता दूर रहा, उनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। पिनकाट साहब के कथनानुसार लड़कों का इन स्कूलों में विषयों का ज्ञान ऐसी पद्धति से कराया जाता था जो उनके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होती थी। इन छोटे स्कूलों में, वे लिखते हैं, जयानी हिसाब का अभ्यास इतना अधिक करा दिया जाता है कि उसे देख कर बड़ा आश्चर्य होता है। लन्दन के क्लर्क यदि इन अद्वैत गणितियों का १०० तक पहाड़ा के गुणा का प्रयोग जयानी करते देखें तो उनके आश्चर्य का सीमा न रहे। कुछ लड़के तो हिमाचल कितान में इतने तब आरंभ सिद्ध हस्त हैं कि जयानी ही अनेक प्रकार के प्रश्न हल कर लेते हैं। उह देख कर कल कागज पत्रिका से ही हिमाचल हल करने वाला का अर्थ रह जाना पड़ता है।

यह ग्याता, लन्दन, च्यान ग्टा आदि का पचादा रात म्मा चोयता और पाराकी से मित्यायी जाता था कि उस पर कर

हम उनकी प्रशंसा किय बिना नहीं रह सकते। यद्यपि उन दिनों लिपिन की सामग्री आचरुल जैसी सुलभ नहीं थी और न इतनी प्रचुरता में ही मिल सकती थी, फिर भी सुलेख लिपिन का इतना अच्छा अभ्यास करा दिया जाता था कि उसकी बराबरी सभी साधन-युक्त आधुनिक स्कूल भी नहीं कर पाते। किसी भी मामूली पुरानी हस्त लिपि या वही रात को देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार इन पुरानी परिपाटी के स्कूलों में साधारण गणित और लिपिन का अभ्यास तो पूरी तौर से करा दिया जाता था और यदि पढ़ने का अभ्यास सुटिपूर्ण था तो उसका कारण यही था कि छात्रों को कठिनाई न रहने से उस युग में पढ़ने की सामग्री मिलने में बड़ा कठिनाई थी। इन कठिनाईयों को देखते हुए उन दिनों की पढ़ाई का अभ्यास भी इतना बुरा नहीं कहा जा सकता।

पुरानी पद्धति के स्कूलों में पढ़ाई चाहे कैसी भी रही हो परन्तु विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण पर इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। इनमें से साँच के ढले जैसे विद्यार्थी निकलते थे। बड़ों के प्रति श्रद्धा, विद्या ज्यसन, विनय, त्याग और धर्म में प्रवृत्ति—यही इन स्कूलों में पढ़े विद्यार्थियों के स्पष्ट लक्षण थे। अध्यापक और विद्यार्थी में पिता पुत्रवत् स्नेह रहता था। गुरु ही उनका नियम निर्माता, गुरु ही उनका संरक्षक, गुरु ही उनके लिए तत्वदर्शी तथा गुरु ही उनका शुभचिन्तक और मित्र होता था। अपने गुरु के प्रति भक्ति और शास्त्र के प्रति श्रद्धा

प्रकट करके गुरु ही स्वयम् विद्यार्थियों के समस्त आचरण का आदर्श रखता था ।

पिनकाट साहब के विचार में ये स्कूल बालकों को साक्षर भी बनाते थे और साथ ही अपने हृदय और मस्तिष्क पर अनुशासन करना भी सिखाते थे । उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति, गुरु एवम् शास्त्र में श्रद्धा तथा विद्याभ्यास में प्रेम पैदा करते थे । गुरु सेवा को सम्मानास्पद बतला कर अपने हाथों अपना काम करने में प्रतिष्ठा का समर्थन करना सिखाता था । केवल विद्या प्राप्ति के लिए ही अध्ययन करने का उस समय कितना अधिक प्रचार था, इसके लिए आज भी अगणित पण्डितों के जीवन इसका साक्षी दते हैं । इन पुराने स्कूलों, विशेषतः ससृष्ट पाठशालाओं, से निकले हुए विद्यार्थियों में विनय का भाव बहुत अधिक पाया जाता है । “विद्या ददाति विनयम्”—विद्या विनय पैदा करता है और जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष उनके भार से मुक जाते हैं, उसी प्रकार विद्या प्राप्त करके विद्वान भी विनीत हो जाते हैं ।

इन स्कूलों में पढ़े हुए लोगों के चरित्र के इस पहलू का उल्लेख एहम साहब ने भी किया है । वे लिखते हैं कि वे लोग अधिकतर चतुर, विचकशील और क्षमाशील होते हैं । उनका यह विनीत भाव किसी अरुसर के समस्त दीनता प्रदर्शित करने के लिए नहीं होता, बरन् अपने समस्त लोगों के प्रति भी उनका स्वभाव सदा विनम्र रहता है । मैं ने कई बड़े से बड़े विद्वानों को अपनी विद्वत्ता और विद्यानुराग का पढ़ ही मरता और विनीत

शान्तों में परिचय देते, अपने सामन उभरियत किसी अपरिचित प्रामाण्य पण्डित को प्रशंसा करते, किसी नगरनिवासी, परन्तु अनुपस्थित पण्डित के पण्डित्य को उड़ी प्रतिष्ठा करते तथा किसी दूसरे नगर के रहने वाले उद्ध और पद-त्याग पण्डित को भूरि भूरि प्रशंसा करते मुना है, यद्यपि इन लोगों को उपस्थिति न वे उन की विद्वत्ता के सम्बन्ध में मौन रहना ही पसन्द करते ।

वेदान्तेशिक स्वामी के एक प्रतिद्वन्द्वी न स्वामी का के साथ प्रतियोगिता को थी । इन दोनों में याचना का प्रमाण जोड़े से 'लोकों की रचना ठहरायो गया थी । परन्तु उन नियत समय में स्वामी जो द्वारा उनाये श्लाघों को मन्व्या के साथ 'लोक भी उह न बना मफा, तो उसके पराजित और तिरस्कृत होन पर भी स्वामी जो ने कहा, 'शुद्धी एक मात्र है उचरे पैग करक भी हविनी के एक उच्च को बराबरी नहीं कर सकतो, क्योंकि वह हस्ति शापक राजा की समारो क काम में आकर सम्मानास्पद बनता है ।' उपरोक्त उदाहरण इन लोगों की विनय भावना का उदा स्पष्ट परिचायक है ।

विद्यानुराग को ये लोग धर्म का मूलमन्त्र मानते हैं, क्योंकि उनक धर्म के अनुसार आत्म शुद्धि का यही एकमात्र साधन था । इसी कारण उनके लिए विद्याध्ययन अनिवार्य था । आन भी बहुत से पण्डित और विद्यार्थी बनारस तथा अन्य स्थानों में मदा गरीबी में रह कर ज्ञान सम्पादन के लिए संस्कृत पदम् अन्य प्राचीन ग्रन्थों का अध्ययन करते हैं । यद्यपि आर्थिक दृष्टि



से इस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं रहा है, परन्तु उनको विश्वास है कि ऐसा शिक्षा प्राप्त करना उनका परम धर्म है। वास्तव में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों का जीवन ऐसी कठिनाई और गरीबी में गुजरता है कि अगर इस शिक्षा का ऐसा सत्वगुणी और धर्मनिष्ठ प्रभाव न होता तो उनकी अवस्था बड़ी शोचनीय हो जाती। इस प्रकार सांसारिक जीवन के प्रति इनमें एक प्रकार का विराग उत्पन्न हो जाता था। जीवन की सादगी और विचारा की उच्चता का सिद्धान्त न केवल आश्रम ही माना जाता था, वरन् वह उन लोगों का आचरण से भी प्रत्यक्ष था। शौचनीयता की बात ही दूर रही, साधारण मुख का वाते भा उनका मत से असंगत थी, जैसा कि नीच का श्लोक से विदित होता है —

मुखार्थिना कुता विद्या,  
कुता विद्यार्थिन मुखम् ?

‘मुख का कामना करने वाले के लिए विद्या कहाँ है और विद्या का कामना करने वाले लिए मुख कहाँ है?’ इस प्रकार परम्परा और शास्त्र की अनुमति द्वारा ये बात उनके स्वभाव का अंश ही नहीं बन जाती थी, बल्कि उनकी प्रकृति से दृढ़ हो जाती थी।

एडम साइन्स ने उनके इस प्रकार के जीवन का विश्लेषण किया है। वे लिखते हैं, “मैंने इन लोगों का विद्या प्राप्त करने पर केवल निरभिमान ही नहीं देखा, बल्कि आचार-व्यवहार में भी अत्यन्त सरल पाया है। उनका व्यवहार शायद ही

रुभा इतना भदा होता हा कि उस पर लोगो को क्रोध आ  
 जाय। ज्ह दसकर इन्डलैण्ड और स्कॉटलैण्ड क सरल-स्वभाव  
 कृपका की बाद आ जाता है। य लोग हमशा अर्द्धनप्र अवरथा  
 न रह कर भूतकालीन असभ्य या अद्धसभ्य जावन का अनुभव  
 करते रहते हैं। ये लोग एसी नापड़ियो म रहत हैं कि यदि उनक  
 नैतिक जावन का अनुमान हम उनकी शारारिक परिस्थिति क  
 प्रभाव स लगायें ता स्वभावत यही प्रतीत हागा कि एस स्थानों  
 म रहन वाला का या ता ज्ञान-विज्ञान अपूण ही हुआ होगा  
 या बहुत ही मकुचित और निरूप। किन्तु वास्तव में इनमें  
 स किउन हा व्यक्ति ससार की परमात्कृष्ट दारानिक भाषा के  
 न्याचरण का नाराद्वियों क जानकार हुए हैं, जा न केवल उस  
 भाषा का विभिन्न शैलिया क उपयोग का हा बलो भाँति जानते  
 थ, बल्कि उसका रचना शैली और तत्तमन्वपी सिद्धान्ता क भा  
 पूर जानकार रह हैं जा प्राय कानून और साहित्य क विभिन्न  
 अगों क ज्ञाता और उनक व्यावहारिक स्वरूप स पूणत परिचित  
 रह हैं तथा दशन शास्त्र और तर्क शास्त्र के गूढतम तथ्या पर नड़ी  
 तत्परता स शान्कार्य करत रहे हैं।" प्राण का छोटी सा पाठशाला  
 भी अपन विद्याभिया म इन्ही गुणा का समावेश करान क लिए  
 थ। लेकिन ज्ञान द्वारा उनकी बुद्धि इतना परिमार्जित न होन क  
 कारण उनमें प्राय यहा गुण दासता का लक्षण मान लिये जाते थ।  
 यद्यपि यह बात समन्त में असंगत प्रतीत होगी, तथापि  
 मर विचार में य उपर्युक्त गुण ही उनके दाप थ। किसी विद्वान

ने गुणों का अतिरेक ही दोष की परिभाषा मानी है। प्रारम्भिक पाठशालाओं में इन बातों की शिक्षा सीमा से अधिक दी जाती थी। यदि यही उचित मात्रा में दी जाती तो इसमें गुण ही गुण बने रहते। बालकों में बड़ों के प्रति नम्रता का भाव इतना अधिक भर दिया जाता था कि वे स्वतन्त्र रूप से विवेकपूर्ण व्यवहार ही नहीं कर सकते थे। उनमें स्वतन्त्र रूप से स्वयम् कार्य करने या किसी विषय पर विचार करने की शक्ति निलकुल ही दबा दी जाती थी।

बहुत से लोग कुछ विषयों में एक नियमित सीमा तक इस प्रकार की शास्त्र विहित शिक्षा देना तथा किसी नियमित और असलानुद्ध विचार प्रणाली के प्रतिपादन में रटाई का अभ्यास कराना इसलिए उपयोगी समझते हैं कि इनमें विचार प्रणाली में परिशुद्धि और यथार्थता आ जाती है। लेकिन इन सब बातों को केवल प्रगतिशील साधन ही समझना चाहिए, न कि उसी पर्यटन का लकीर जिसके आगे किसी प्रकार का स्वतन्त्र तर्क व्यवस्था ही नहीं, बल्कि पापमूलक समझा जाय। इससे अतिरिक्त उस समय के परिदृश्यों का यह स्वभाव हो गया था कि जिन विचारों का व प्रतिपादन करते थे, उनसे उस विषय की इतिश्री हो जाती थी और उनके शिष्य इसके अतिरिक्त आगे कुछ करने के अधिकारों न थे कि वे उन्हें सत्य मान कर उद्धा से उन पर विश्वास करें और उनके अनुसार अपना आचरण बनायें।

इन परिदृश्यों के विषय में यह अवश्य कहना पड़ेगा कि वे अपने विद्याधियों के सामने उन शास्त्रों का भी वैसी ही योग्यता

सं प्रतिपादन करते व जा उनक विरुद्ध पढत व परन्तु साथ ही साथ इन विचारों को शास्त्रों क प्रतिमूल रूढ़न और उनक विरुद्ध पक्षपात स्थापित कर देने में वे अपने व्यक्तिगत प्रभाव का पूरा-पूरा उपयोग करते व । इस विषय में व अध्यापक अपनी श्रद्धा और विरवास के अनुसार अलग-अलग टोक समझे जायें, परन्तु सच तो यह है कि उनके दुराग्रहपूर्ण प्रतिपादन से उनक विद्यार्थी पुरानों रूढ़ियों में जकड़ कर लकीर क प्रकार बन जाते व और उनमें यह अटल विश्वास हा जाता ग कि प्राचीन काल की सभी बात सर्वोत्तम और सब श्रेष्ठ हाती थी, तिनका अतिक्रमण असम्भव था । इस प्रकार उनमें द्विमी प्रकार का अनुसन्धान करने की प्रेरणा तथा शक्ति का मक्था नारा हो जाता था ।

चिनयी भाव का इतना अधिक महत्त्व दिया जाता था कि विद्यार्थियों में किसी विषय पर असन्मति प्रकाश करने या किसी क मत का विरोध करने की चुनता का विलुल नारा हो जाता था । चिनय अरथ ही विद्वानों में मद्गुण है, परन्तु मूल्य और अज्ञानियों क लिए तो यह अपनी मूर्खता ही नहीं, बल्कि अपन दाप द्विपाने का भा नड़ा अच्छा आवरण हो गया था । इसक अतिरिक्त विद्यार्थियों में उन्मासनता या विरक्तता का भाव उत्पन्न हो जान से उनमें से सर्वात्तम विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य पदलौकिक उद्योगों क केन्द्र से बाहर हो जाते व और इस प्रकार यह प्रवृत्ति हमारी भौतिक उत्पत्ति को उनका दृष्टि में हीन ही नहीं बना लेती थी, बल्कि उनक माग में नाथक भी

हो जाती थी। इन पाठशालाओं में पारमार्थिक विषयों और पारलौकिक गुणों की श्रेष्ठता का इतना अधिक प्रतिपादन किया जाता था कि मानव जीवन का वास्तविक स्वरूप और उसकी शारीरिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का विलुप्त ध्यान न रक्खा जाता था। तात्पर्य यह है कि इस शिक्षा का श्रीगणेश इन्द्रिय दमन और आत्मनिग्रह से होना था और वहीं इसका अन्त भी। इस प्रकार हमारे देश में शिक्षा का यह एक ऐसा अनाराम क्रम था जो हमारे मन को सदा भूतकाल की ओर खींचता रहता था और जिसका लक्ष्य कोई उज्ज्वल भविष्य न हो कर भूतकाल का अदृश धुँधला प्रकाश था जिसका नतीजा यह हुआ कि न केवल हमारे विद्यार्थियों की, बल्कि सारी जनता की दृष्टि सदा के लिए पृष्ठपेदी हो गयी।

यह तो विचार हुआ राष्ट्रीय दृष्टि से। यद्यपि उपरोक्त कारणों से अनरुहानियाँ हाती थी, तो भी व्यक्तिगत हित की दृष्टि से इस प्रणाली से, अधिक पढ़ लिखे लोगों को मानसिक आनन्द और भौतिक सन्ताप मिलता था। इससे उनका जीवन प्रतिभाशाला, सुरी और आनन्दमय हो जाता था। जा लाग केवल साक्षर थे, उनका भी जीवन इसी प्रकार सुख-सन्तापमय बन जाता था। लेकिन इस शिक्षा प्रणाली में सत्र से बढ़ा थात यह थी कि लोगो में ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति उत्पन्न हो जाता था जिससे उनका जीवन धर्ममय और सदाचारमय बना रहता था। उनमें लोभादि दोषों का दमन करने का ऐसी विभिन्न शक्ति उत्पन्न हो जाती थी कि उनका जीवन पुण्यमय बीतता था।

## तीसरा अध्याय

### प्रारम्भिक उद्योग

#### प्रान्तीय भाषा की महत्ता

कलकत्ते से अपना प्रान्त इतना दूर होने के कारण सन् १८३९ ई० क शिक्षा सन्स्था बङ्गा का चहल पहल यहाँ तक नहीं पहुँच पायो था। सन् १८४० म प्रान्तीय शिक्षा क संचालन का दायित्व बंगाल सरकार से निकल कर पश्चिमात्तरी प्रान्त ( यू० पी० ) की सरकार क आधीन हो गया था। १८४३ ई० म प्रान्तीय लाट सर जो० आर० लार्के न अपना यह मत व्यक्त किया था कि बंगाल की अवस्था चाहे कैसा भी न्याय न हो पश्चिमात्तरी प्रान्त के लिए तो यह बात निश्चित थी कि यहाँ अँग्रेजों के प्रचार की विशेष आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि इन प्रान्त में अँग्रेजी भाषा सीखने के लिए कोई प्रलोभन ही न था। यहाँ न तो मुसलिमों का ही एसी अधिक वस्ती थी, न धना व्यापारी समुदाय का अँग्रेजी म काई कारवार ही होता था। न यहाँ अँग्रेजी बकाल था, और न अँग्रेजी क समुद्री व्यापार का यहाँ कोई केन्द्र था। जिन सरकारी नौकरियों में बाढ़ी बहुत अँग्रेजी की जानकारों की आवश्यकता

ऐसी उत्कर्ष प्रदायिनी शक्ति की आवश्यकता थी जो उसको अपने स्वत्वों का ज्ञान करा देती। सरकार को यह पूरा रूप से विदित न था कि यहाँ का जनता इतनी अशिक्षित और हतोत्साह हो गयी है कि वह अपने स्वत्वों का रक्षा करने के लिए लिखने पढ़ने की साधारण शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी तैयार न होगी। परन्तु सरकार का यह विचार ठीक था कि इस प्रकार की जनता के पुनरुद्धार के लिए शिक्षा प्रसार ही एकमात्र साधन था।

### देशी पाठशालाओं की उपयोगिता का महत्त्व

अंग्रेज़ों के जातीय स्वभाव में ज्ञान्तिकारी परिवर्तनों पर विश्वास न करने का भाव निहित है। इनकी सदा यह चेष्टा रहती है कि किसी कार्य को अविच्छिन्न गति में बाधा न पड़े, बनी-बनायी सस्थाओं का उत्थान सुधार द्वारा होती जाय और उनसे, जितना भी सम्भव हो, लाभ प्राप्त कर लिया जाय। अस्तु, इसी उद्देश से प्रेरित होकर इस आन्ध्र प्रदेश में इसकी भी चर्चा की गयी थी कि लक्षित ध्येय की प्राप्ति के लिए शिक्षा प्रसार द्वारा क्या-क्या साधन उपस्थित हो सकते हैं। इसमें लिखा था, “देश भर में फैला हुआ पुरानी पद्धति की पाठशालाएँ ही हमारे ध्येय की प्राप्ति में साधक बन सकती हैं। यह सम्भव है कि इस समय ऐसी पाठशालाओं का संख्या अधिक नहीं है और उनमें दा जान वाली शिक्षा ना बहुत साधारण और असंस्कृत है, परन्तु उनका मर्यादाधीनता जा सकता है और उनकी शिक्षा पद्धति में भी उत्थान की जा सकता है।”

इस प्रकार प्रारम्भ में सरकार की शिक्षा प्रचार की नीति यह थी कि उस समय की पाठशालाओं की स्थिति का सुधार हो और उनकी शिक्षा प्रणाली की उन्नति की जाय। सरकार का यह विश्वास था कि जनसाधारण की शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त की पाठशालाएँ उड़ी अर्द्धसह सम्भावनाओं से परिपूर्ण हैं और हमारे यहाँ का सशक्ति और रुढ़िप्रस्त जनता में शिक्षा-प्रचार के लिए नयी-नयी पाठशालाएँ खोलने की अपेक्षा दसों पाठशालाओं ही में आवश्यक सुधार करके तथा उनकी संख्या बढ़ा कर, जन्हीं के द्वारा शिक्षा प्रसार करना अधिक सुविधाजनक, विनमूल्य और नित्यव्ययता का काम होगा।

### प्रजा के उपक्रम का प्रोत्साहन

इस आदेश पत्र का एक और महत्त्वपूर्ण और उपयोगी नीति यह थी कि लोगों पर शिक्षा का भार न लाद दिया जाय और न सरकारों कर्मचारियों द्वारा ही उसका प्रचार किया जाय। भले ही सरकार बड़ा अर्द्धसह प्रोत्साहन देकर जनसाधारण में शिक्षा के महत्त्व का समझने का ज्ञान पैदा करे, परन्तु प्रत्येक अवस्था में कार्य जनसाधारण की आर से ही आरम्भ होना चाहिए। साथ ही साथ यह प्रवृत्ति एकरूपज्ञीय भी न होनी चाहिए और जनसाधारण को इसके खर्चे में ही नहीं, बल्कि इसके प्रति अनुराग प्रकट करने और इसके प्रतिपादन की सलज्जता में भी भाग लेना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा-



प्रचार की उन्नति उसी समय सम्भव है, जब सरकार का जनसाधारण का सहयोग प्राप्त हो। इसीलिए इस सच्युर्लर का यह मन्तव्य ठीक ही था कि इन सब और अन्य चेष्टाओं में यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार को जनसाधारण का सहयोग प्राप्त हो और उसको यह नीति रहे कि वह उनकी सुचेष्टाओं में उनकी सहायता करे, न कि सरकार अपनी सारी शक्ति लगा कर जनसाधारण की चेष्टा की प्रवृत्ति को ही मन्द कर दे। इस प्रकार के विवेकपूर्ण प्रोत्साहन से ग्रामीण पाठशालाओं की उन्नति में ही सहायता न मिलेगी, बल्कि शिक्षा प्रचार के लिए ऐसे मनुष्यों का सहयोग प्राप्त हो जायगा, जिनका जनसाधारण अपना शिक्षक और सहायक मान लेने को प्रस्तुत है। इस सच्युर्लर में यह भी आशा प्रकट की गयी थी कि शीघ्र ही गाँव में अध्यापक जनता को ऐस प्रतिष्ठित और साधनिक सबक का स्थान प्राप्त कर लेगा जिसका पारिश्रमिक गाँव की आय पर एक नियमित और अधिकृत व्यय माना जायगा।

### १८५ ई० की शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था

इस आदेशपत्र में जिले के अधिकारियों को शिक्षा प्रसार में प्रोत्साहन प्रदान कराने का परामर्श दिया गया था, परन्तु उसका मुख्य उद्देश दूसरा था। सरकार शिक्षा सम्बन्धी सारी बातों का जानकारी प्राप्त करना चाहती थी, जिससे वह नवीन शिक्षा प्रचार की योजना तैयार कर सके। यह जाँच ३१ जिलों में की

गयी थी। इनमें से २ त्रिले अथ पञ्चात्र प्रान्त में सम्मिलित हैं। अवध उस समय तक इस प्रान्त की अमलद्वारा में सम्मिलित नहीं हुआ था। अंग्रेजों और मिशनरों की स्तृता को छोड़ कर सारे प्रान्त में—नगर और गाँव के—हर प्रकार के स्तृतों की संख्या केवल ७२ ० थी। शिक्षा ग्रहण करने योग्य अवस्था के बालकों की संख्या १९३३,१३८ थी। इनमें से केवल ७०,८७६ अथवा - ७ प्रति शत बालक ही उस समय शिक्षा ग्रहण कर रहे थे।

यह औसत इतना कम होने पर भी, शिक्षा के अभाव का सच्चा निर्देशक न था। हाँ, इससे शिक्षा की गिरी हुई दशा का कुछ आभास अवश्य मिलता था। जमीन्दार जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति भी अपनी सन्तान को शिक्षित बनाने की जरा भी परवाह न करते थे। सारी जनता में अविद्या का अन्धकार छाया हुआ था। वस्तुतः गाँव में कदाचित ही कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता था जो किसी प्रकार का बड़ा बहुत शिक्षित कहा जा सकता हो।

### शिक्षा सम्बन्धी नयी योजना

इस जाँच की रिपोर्ट के आधार पर मि० टॉमसन ने अपनी शिक्षा प्रचार की योजना तैयार की, जिसका आभास आदेश पत्र में ही मिल चुका था। बङ्गाल और बिहार की पाठशालाओं के सम्बन्ध में मि० एडम की रिपोर्ट से प्रभावित होकर ही, उन्होंने देसी स्तृतों की प्रोत्साहन देने, उनकी मर्यादा बढ़ाने और उन्हें

संगठित करने की योजना तैयार की थी, लेकिन उनका स्थायी बनाने की योजना तो नितान्त मौलिक था।

भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से निरङ्कुश शासन चला आता है, इसलिए यहाँ की जनता हर बात में शासक की अपसरता की आदी पड़ गयी है। मि० टॉमसन का यह आदर्श, जिसमें जनता शिक्षा प्रचार के कार्य में स्वतः अपसर हो, केवल जन सत्तात्मक शासन में सम्भव था। उन समय त्राइपल्लैण्ड में भी शिक्षा जन सत्तात्मक शासन के अधीन नहीं थी। यहाँ की कठिनाइयाँ का ध्यान रखते हुए उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण कर, जनता के उद्योग और उद्योगों का आधुनिक नीति के साथ-साथ सरकारों के सहायक प्रदान करने की चेष्टा की। पहले के शासकों ने समय-समय पर शिक्षा प्रसार के लिए 'मुआफ़ी' और जागीरें प्रदान की थीं। ये मुआफ़ियाँ प्रायः व्यक्ति-विशेषों को ही दी जाती थीं, और ये उनकी परम्परागत सम्पत्ति बन जाती थीं। जनता इस जागीर प्रथा को अभ्यस्त थी और इसकी उपयोगिता भी गौरव समझती थी। ईस्ट इण्डिया कंपनी ने अनक जागीरें ख़र्च कर ली थीं, यहाँ तक कि शिक्षा प्रसार के लिए दी हुई जागीरें भी ख़र्च कर ली गयी थीं। मि० टॉमसन का मत था कि सरकार शिक्षा प्रसार के लिए ऐसा रूप में सहायता दे, जो जनता को आरुपक नालूम हो और जिसके मूल्य को भी वह समझ सके।

सरकारी सहायता की आवश्यकता सत्र का विदित थी। जनता निधन थी और यद्यपि शिक्षा प्रसार का थोड़ा बहुत कार्य जारी था, परन्तु यह तो प्रत्यक्ष ही था कि जनता के लिए सरकारी सहायता बिना स्कूलों का मंचालन करना कठिन था। इसलिए उन्होंने एक ऐसा योजना तैयार की, जिसके अनुसार २० से ४० हजार सालाना लगान का अर्थात् ५ स लेकर १० एकड़ तक का जमीन, प्रत्येक ग्राम के स्कूल का 'मुआफी' के रूप में देने की सिफारिश की गया थी। जमीन्दारों के यह विश्वास दिलाने पर कि इस 'मुआफी' से पाठशाला के अध्यापक का पापण किया जायगा, सरकार उतनी जमान पर लगान मांग कर देने का तैयार होगी। य जागारों पुराना जागारों का भाँति व्यक्ति-प्रियेप को सम्बन्धि न हाकर अर्थैयकिक हाना चाहिए था। स्थान विशेष के प्रतिष्ठित और गण्यमान्य सज्जना और जमानदारा पर उस के सञ्चालन का भार रग्य कर इस योजना में पाश्चात्य लोक-प्रयुक्ति का भी स्थान दिया गया था। अध्यापक की नियुक्ति करना भी उन्हीं लोगों के हाथ में रखा गया था और उसकी कम से कम योग्यता भी निर्धारित कर दी गया थी।

सरकारी नियन्त्रण भी इस योजना का एक अङ्ग था। कलेक्टर को यह आदेश था कि वह जमीन्दारों और प्रतिष्ठित लोगों का प्रार्थना पत्र आन पर स्वयम् इस बात की जाँच करके पता लगावे कि गाँव वाले स्कूल खोलने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं या नहीं। वह यह भी देखे कि उनका दान के प्रस्ताव

की कितनी यथार्थता है। इसके बाद वह सरकार से इस बात की सिफारिश करे कि उस भूमि को लगान से मुक्त कर दिया जाय। इस योजना में राज्य नियन्त्रण का भी समुचित प्रबन्ध था, क्योंकि अध्यापक का नियुक्ति के सम्बन्ध में कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक थी और उसको स्वयम् तथा उसके सहायक अधिकारियों को समय समय पर स्कूलों का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया था। उनको यह भी देखना पड़ता था कि उस दान का उपयोग वास्तव में अध्यापक की त्रियाह के लिए ही होता है या नहीं। उनको यह भी अधिकार था कि वे किसी अयोग्य अध्यापक को तुरन्त हटा दें और यदि ऐसा न किया जाय तो स्कूल के लिए दान का हुई भूमि को वापिस ले लें।

यह योजना जांच के परिणाम के साथ साथ इस्ट इन्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजी गया, क्योंकि गद्दर से पहले सार राज की स्वीकृति उन्हीं से ला जाता थी। इसके साथ के पत्र में हमारी प्रांतीय सरकार के सचिवरी मिस्टर वानटन ने लिखा था, यह परिपाटी इस प्रान्त की जनता के रीति रिवाज और उनकी मनावृत्ति के अनुकूल है। इसके अनुसार अध्यापक गाँव का एक ऐसा सावजनिक सबक हो जायगा जिम्मा नियुक्त और जिसका निवाह प्रांतीय जनता की पूर्ण प्रधानुमार होगा।' जागीर प्रथा की सिफारिश के लिए प्रांतीय सरकार जित कारणों से प्रेरित हुई थी, उनसे उल्लेख करते हुए उसमें लिखा था कि नगद रतन देने की अपेक्षा,

मुआफ़ी में भूमि दे देना वही अच्छा होगा, क्योंकि इससे वेतन की अपेक्षा, चाहे वह उस भूमि की आय से अधिक ही क्यों न हो, लोगों का निगाह में अध्यापक का पद अधिक सम्मान-सूचक प्रकट होगा। इस अवस्था में अध्यापक का जनता के साथ भी ऐसा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा, जिससे उनमें सरकार के वेतन भागी कर्मचारी की अपेक्षा उसकी सेवाओं का अधिक मान होगा।

पत्र के अन्त में डाइरेक्टरों को माना उनका उत्तरदायित्व का स्मरण दिलाने के लिए लिखा हुआ था, "ब्रिटिश गवर्नमेंट पर यह अभिशाप सदा लगाया जाता है कि वह पुराने शासकों द्वारा दी हुई जागीरों का तात्परान्त छीनती चली जाती है, किन्तु स्वयम् उस उद्देश पूर्ति के लिए भी एक जागीर नहीं देती, जिसका वह स्वयम् भी उचित और उपयुक्त समझती है। यह योजना इस अभिशाप का कुछ अंश में अवश्य दूर कर देगी, और वह भी इस प्रकार जिसे जनसाधारण पसन्द करते हैं।"

जागीर देन की योजना पर बड़ा आलाचनात्मक विचार करने की आवश्यकता है। मिस्टर टॉमसन का गणना उस उच्च-कोटि के शासक में है, जो जनसाधारण की भावनाओं का प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं, और कम से कम हमारे देश में तो ऐसे ही शासक सफल हुए हैं जिन्होंने जनसाधारण पर उनकी भावनाओं के अनुकूल शासन करने की चेष्टा की है। शिक्षा के लिए जागीर देन की योजना से अवश्य ही उनकी मनोभावनाओं पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त टॉमसन को

इच्छा थी कि इस शिक्षा पद्धति को जनसाधारण के रीति रिवाज और उनकी मनोवृत्तियों के अनुकूल बना कर राष्ट्रीय स्वरूप द दिया जाय । भारतवर्ष में जनसाधारण की दृष्टि में भूमि का स्थान इतना ऊँचा है कि विदेशिया के लिए इसका अनुमान करना भी कठिन है । यहाँ तो एक साधारण छोटे से जमीन्दार का सम्मान किसी लक्षपती व्यापारी को अपेक्षा भी बहुत अधिक है ।

यहाँ की जनता का दृष्टि में किसी मनुष्य का पद और उसका मान प्रतिष्ठा इस बात पर अधिक अवलम्बित है कि उसके अधिकार में कितना भूमि है । इसीलिए भूमि मिलने से ग्रामीण जनता की दृष्टि में अध्यापक का सम्मान अवरय ही बहुत बढ़ जाता और उनके साथ उसका सम्बन्ध भी अधिक बढ़ हा जाता । एक दूसरी बात यह भी थी कि यह प्रबन्ध अधिक सुविधानक और स्थायी भा होता, क्योंकि एमा कर दन् स चार चार कम्पनी क डाइरेक्टरा का स्वीकृति मँगान का कष्टदायी अमुविधा से भा बचाय हा जाता । अगर यह योजना स्वीकृत हा गया होता तो आज प्रत्येक गाँव में एक ऐसा प्रवा का नवि मुन्द हा जाना जिसस, चान्नी बहुत अतिरिक्त श्राव का व्यवस्था हो जाने पर, हमारे यहाँ की शिक्षा प्रचार की वर्तमान आधिक समस्या बहुत कुछ श्रेशों में हल हा जाती ।

परन्तु इस प्रस्तावित योजना क विरुद्ध बहुत सी आपत्तियाँ भा थी । जागार मध्यकालीन युग की सस्मारक अवश्य था । उस

युग में, जब न तो अच्छी सड़क थीं, न आन-वान क सुगम साधन थे, और न मुद्रा का मुलभ आदान प्रदान सम्भव था, ठीक समय पर और नियमित रूप से वतन वितरण करना बहुत कठिन था। उस समय ता वित्त लागा का वतन मिलता था, उन्हें प्रायः साल भर में या छठे महीने हा एक बार मिल पाता था। यह अउरय ठीक है कि उस समय क जागीरदार का वतन पर बहुत प्रभाव था, परन्तु माध हा साथ पैतनिक र्मगारिया का मान भी दिन प्रति दिन बढ़ रहा था। एक तरह स ता चागार मिठने से अध्यापक की आय अउरय ही अनिश्चित हा जाती, क्योंकि इस योजना में सूखा आदि स कसल मारी जान, दुभिच पड़न अववा वाढ़ आ जान स जा हानि हाती, उसका काइ प्रबन्ध न रस्ता गया था और इसलिए अध्यापक की वृत्ति एक प्रकार से धवायी होन पर भी उमक लिए सदा चिन्ता का कारण रहती।

### योजना की अस्वीकृति

कम्पनी के डाइरेक्टरो न योजना के इस अश को पसन्द नहा किया और उन्होंने उस के इस अश को अस्वीकार कर दिया। फिर भी वे जनमाधरण स शिक्षा प्रचार के लिए टर्मसन से भी कहीं अधिक उत्सुक थे। उन्होंने हमारे प्रान्त में प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार में प्रोत्साहन की आवश्यकता का भली-भाँति समझ लिया था और स्वयम् व्यापारी होन की हैसियत से यह बात उनके घट उतर गयी थी कि यह



नितान्त आवश्यक था कि जमीन्दारों में कम से कम इतनी योग्यता तो अवश्य ही हानी चाहिए कि वे पटवारी के कागजों के इन्दराजों की जाँच कर लें और यह समझ लें कि उनकी देनदारी क्या है ?

चाहे ता अनपढ़ जन साधारण में शिक्षा प्रचार की लोक-हितैषी इच्छा के कारण या पटवारी के कागजों के इन्दराजा की जाँच करने और अपनी देनदारी की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करने की चिन्ता के कारण ( अथवा, सम्भव है, दोनों ही बातों से प्रभावित होकर ) ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों ने हमारे प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर के इस प्रस्ताव का बड़े उत्साह से समर्थन किया कि प्रामीण जनता में शिक्षा प्रचार की परम आवश्यकता थी। टॉमसन साहब ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने में अपने उत्साह की अपेक्षा विवेक से अधिक काम लिया था, और इसलिए उन्होंने अपनी योजना बनाने में बड़ी सावधानी की थी। लेकिन डाइरेक्टरों ने इस विषय में बड़ा प्रशसनीय उत्साह दिखाते हुए लिखा कि ऐसी परिस्थिति में हम जनसाधारण में शिक्षा प्रचार के लिए इससे भी अधिक ऐसा विस्तृत योजना को, जिससे सारे प्रान्त में सार्वजनिक शिक्षा का प्रचार हो जाय, स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जिसे आगरा प्रान्त की सरकार की भी स्वीकृति प्राप्त है। गाँव के अध्यापकों का जागीर रूप में जमीन देन का निपट कराना पर भी उन्होंने लिखा कि वे उन अध्यापकों को मासिक वेतन देने के लिए तैयार हैं जो आवश्यक

योग्यतानुसार उड़-बड़ गावों में नियुक्त किये जायें अथवा जो पहले ही से नियुक्त हों। परन्तु ऐम अध्यापकों को वेतन देना स्वीकार करते समय वे इस बात का देर लेना चाहते व नि अपना काम सुचारु और नियमित रूप से करने के लिए वे वैध अधिकारियों द्वारा स्थानीय गवर्नमण्ट क समक्ष उत्तरदायी हा।

### दूसरी योजना

अन टर्मसन माइन ने दूसरी योजना प्रस्तुत की। इसके अनुसार हर तहसील में एक-एक ऐसा सरकारी स्कूल खोलना का प्रस्ताव किया गया था जा पास पढ़ाने क स्कूल के लिए आदरा का काम दे। इस योजना में दर्सी स्कूलों की भा उपज्ञा नहीं की गयी थी, और उनके निरीक्षण क लिए भी व्यवस्था की गयी थी। इन पाठशालाओं को देख भाल करने और जनसाधारण तथा स्कूलों का परामर्श और सहायता देना तथा उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एसे अधिकारियों का नियुक्ति का सिफारिश का की गया थी, जिनका सरकार अपनी क्रमिक उन्नति का साख्यान नीति के अनुसार, 'इन्स्पेक्टर' क बजाय 'प्रिजिटर' क नाम से व्यक्त करना चाहती थी। इन इन्स्पेक्टरों को इस बात का अधिकार दिया गया था कि वे योग्य अध्यापकों को पुरस्कार भी दे सकें। यह पारितोषिक भविष्य में उनका वेतन नियत करने का साधन भी बन सकता था।

इस पद्धति में हर जिले क लिए एक निरीक्षक और उसकी सहायता के लिए तीन परगना नायक रखने की योजना की गयी

श्री और इनके फाय क निरीक्षण और उसके नियमन करने  
 लिए एक प्रधान निरीक्षक ( विजिटर जनरल ) की नियुक्ति व  
 सिफारिश की गयी थी। प्रारम्भ मे तो इस पद पर क्रि  
 अनुभवी योग्य सिविलियन को नियुक्त करना था, क्योंकि इ  
 योजना की सफलता, ऐसे अधिकारी की मालगुजारी प्रथा व  
 विस्तृत जानकारी और जन साधारण मे उस प्रभावशाली धा  
 पर निर्भर थी, जो इस देश में हर सिविलियन के नाम के सा  
 परिवेष्टित है। इन निरीक्षक और अध्यापकों की जो योग्यता  
 इस योजना मे अपेक्षित थी, उसके देखन से यह स्पष्ट हो जात  
 है कि उस समय हमारे प्रान्त की शिक्षा कितनी हीन अवस्था क  
 प्राप्त हो गयी थी। जिले क विजिटर ( आनकल क डिप्टी इन्स  
 पक्टर ) को हिन्दी और उर्दू की इतनी जानकारी होनी चाहिए व  
 जिससे वह इन भाषाओं को पढ़ लिख सक और साधारणतय  
 हिन्दी उर्दू में पढ़ायी जान वाली पुस्तकों का भी ज्ञान रखता हो  
 उमरु लिए फारसी या संस्कृत का भी कुछ ज्ञान होना आवश्यक  
 था। जमीन क बन्दोबस्त की मिसिल तैयार करन, पटवारी क  
 यहीगते पढ़न और समझने तथा साधारण गणित, जमीन की  
 नाप आदि का भी उमरु जानकारा जाना अपेक्षित थी।

परान्त क विजिटर और तहमाल क अध्यापक मे हिन्दी-  
 उर्दू का साधारण ज्ञान तथा इन भाषाओं मे लिखी हुई अन्य  
 साधारण पुस्तक पढ़ कर समझ लेन का योग्यता और रामसरन-  
 दास का चारों पुस्तक का ज्ञान जाना जरुर था।

पढ़े लिखे आदमिया की उम्र समय में इतनी कमी थी कि इतनी कम योग्यता वाले पुरुष के लिए भी १०० रु० से २०० रु० तक मासिक बतन रखा गया था। इस समय रुपये का मूल्य पूर्ण पक्षा अत्यधिक घट गया है, फिर भी आजकल एम० ए० पास व्यक्ति का यदि १०० रु० मासिक मिलता तो वह अपने को भाग्यवान समझता है। इसी प्रकार परगना विजिटरा का बतन ३० रु० से ४० रु० मासिक, और तहमाला स्कूलों के अध्यापकों का १० से २० रु० मासिक दन की व्यवस्था इस याचना में रखी गयी। इससे अतिरिक्त अध्यापकों का बालका का फ्रास का रुपया भी रख्य रख लेने का अधिकार मिला था। इतना बतन मिलने का व्यवस्था रहने पर भा विजिटर जनरल का शिफायत थी कि उस समय अच्छे और सुयोग्य अध्यापक मुश्किल से ही मिलते थे।

### योजना की स्वीकृति

टॉमसन माइन ने पहले कवल आठ ही जिलों में इस याचना का प्रयाग करने और फिर इस वीर वीर सार प्रान्त में फैला देने का प्रस्ताव किया था। किसानों में इस प्रकार की प्रारम्भिक शिक्षा की योजना को डाइरेक्टरों ने तुरन्त स्वीकार कर लिया और इस कार्य के लिए ५० हजार रुपये सालाना का खर्च मंजूर कर दिया।

तदनुसार १८९० ई० में परली, अलागढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, शाहजहापुर, फरखावां और इटान क जिले में यह

होने और उनके स्थान में नये सरकारी स्कूल या बोर्ड स्कूलों के खुलने के कारणों का विवेचन हम आगे यथास्थान करेंगे। यहाँ पर यह उल्लेख कर देना ही पर्याप्त होगा कि मि० टामसन ने जन समुदाय में शिक्षा प्रचार के काम में सरकार की सहानुभूति उत्पन्न कर दी थी। उन्होंने शिक्षा प्रचार की नीति और उसके संचालन के लिए एक ऐसा साधन उपस्थित कर दिया था कि पश्चिमोत्तरी प्रान्त ( यू० पी० ) के शिक्षा प्रचार के इतिहास में एक नवीन युग प्रारम्भ हो गया।

---

## चौथा अध्याय

### व्यवस्थापन और एकीकरण

( १८५०—२२ ई० )

#### अधिकारी वर्ग का शिक्षा-पद्धति पर प्रभाव

शिक्षा विभाग के 'डिप्टी जनरल' के पद पर बगाल सिविल सिस के एच स्टीवार्ड साहब की नियुक्ति हुई और उन्होंने सन् १८५० से अपना कार्य आरम्भ किया। सरकार की यह नवीन योजना पूर्ण रूप से क्रान्तिकारी थी, क्योंकि यह प्रजा के नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक जीवन के अन्तःस्तर को भली भाँति प्रभावित और स्फुरित करने वाली थी। किन्तु इस शिक्षाविभाग की स्थापना ऐसे शासनाधिकारियों की अध्यक्षता में हुई थी जो अनुगमन मात्र से शिक्षा प्रचारक भी बन गये थे। इसका फल यह हुआ कि हमारे यहाँ का शिक्षा प्रणाली आरम्भ ही से शासनाधिकारियों के विचारों के रंग में रंग गयी।

शासन का कार्य सरलता के साथ चलाने तथा पदाधिकारियों की सुविधा की दृष्टि से शिक्षा-विभाग भी शासन प्रबन्ध का एक अंग बना दिया गया था। मालगुजारी की योजना को सफल बनाने की दृष्टि से ही किसानों में शिक्षा प्रचार का आयोजन

किया गया था। शिक्षा के नैतिक लाभ का विचार तो एक प्रकार से आवश्यकीय उपलब्ध था जो बाद में इस नीति के साथ जोड़ दिया गया। इसका पाठ्य क्रम भी इसी दृष्टि-कोण से तैयार किया गया था। वास्तव में शिक्षा विभाग का संगठन प्रान्त की मालगुजारी प्रथा को दृष्टिगत रख कर किया गया था और माल तथा शासन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वे लोग शिक्षा प्रचार के कार्य का भी अपना कर्तव्य समझें। कलस्ट्रों को आदेश था कि वे समय-समय पर स्कूलों का निरीक्षण करें और योग्य अध्यापकों तथा परिश्रमा विद्याधियों को उचित पुरस्कार दे कर उन्हें उत्साह प्रदान करें।

इन शासनाधिकारियों ने शिक्षा प्रचार के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक प्रयत्न करके अपनी सर्वदृष्टता का एक और परिचय दिया। प्रसिद्ध हल्कायन्दी स्कूलों का आयोजन एक कलक्टर द्वारा ही किया गया था। कलस्ट्रों और तहसीलदारों द्वारा पठन पाठन के लिए पाठ्य पुस्तकें धरानर वितरित की जाती थीं और ऊँचे अक्षर भी शिक्षा के सम्बन्ध में लाभप्रद सम्मति दिया करते थे। शासनाधिकारियों के पितृतुल्य व्यवहार का यह रसात्ता प्रदर्शन था, लेकिन उनमें से अधिकांश इस यात्रना को केवल अच्छे मुशा, योग्य पटवारी और कार्यदृष्ट अमले प्राप्त करने का साधन मात्र समझते थे। इस प्रकार इस प्रान्त में शिक्षा को सरकारी नौकरा पान का एक साधन समझने की प्रथा उसी समय से प्रारम्भ हो गया, और यह उसी रूप में आज भी हमारे सामने मौजूद है।

लेकिन एक बात तो निस्सन्देह है कि शासनाधिकारियों की सहायता बिना हमारे प्रान्त में शिक्षा प्रचार इतना विकसित न हो पाता। क्योंकि जिन जिन स्थानों में स्थानीय युरोपियन अधिकारियों ने शिक्षा प्रचार में अरती रुचि प्रकट नहीं की, वहाँ हल्काबन्दा स्कूलों का चला लेना कठिन कार्य हो गया। यद्यपि कुछ शासनाधिकारी मवसाधारण के शिक्षा प्रचार में पर्याप्त रुचि प्रदर्शित करते थे, तथापि वे स्वभावतः शिक्षा प्रचारकों के दृष्टि क्षेत्र को अपने समक्ष रखने में अथमर्त्य थे।

### प्रारम्भिक कठिनाइयाँ

मिस्टर रीड के सामने अनक कठिनाइयाँ थीं। जनता सरकार के उद्देश को यथार्थ रूप में समझ सकी थी। उस की ज्ञान शून्यता तो बढ़ी थी ही, फिर सरकार को ओर से शिक्षा-प्रचार की व्यवस्था ऐतिहासिक परम्परा तथा भारतीय राजनीति के विरुद्ध थी। इस प्रकार का शिक्षा प्रचार व्यक्तिगत जीवन तथा ग्राम संगठन में बहुत बड़ा सरकारी हस्तक्षेप था। ऐसी योजना, चाहे वह किसी समय पर प्रस्तावित की जाय, ग्रामीण जनता में एक विचित्र आशंका उत्पन्न किये बिना न रह सकती थी। कलेक्टर साहब द्वारा अध्यापक अथवा विद्यार्थियों को वस्त्र, पुस्तक, और पुरस्कार आदि मिलाने की बात तो जनता की समझ में आ सकती थी। प्राचीन शासक भी विद्या प्रचार के सरक्षक होते थे, किन्तु अँगरेजी सरकार ने तो सारे शिक्षा प्रचार को ही व्यवस्थित और केन्द्रीभूत करने के साथ-साथ व्यावहारिक बनाने



का भी काम अपने ऊपर उठा लिया था। इसलिए जब नियमित रूप से स्कूलों और विद्यार्थियों की नामावली तैयार की जाने लगी और इन्सपेक्टरों द्वारा उनका नियमित निरीक्षण होने लगा, तब तो उनके लिए एक बिल्कुल नवीन बात उत्पन्न हो गयी।

हमारे यहाँ के अध्यापकों को अब तक संरक्षका की सरक्षता का अनुभव था, किन्तु अपने अध्यापन कार्य का ठीका टिप्पणा करने वालों का कोई अनुभव न था। उन्हें अब तक विद्यार्थियों को वैयक्तिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का अभ्यास था, लेकिन विद्यार्थियों की कक्षाओं को उन्होंने अब तक न पढ़ाया था। वे शिक्षक थे और अपना व्यक्तित्व रखते थे। अपनी मनचाही पद्धति से वे विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। परन्तु इस नवीन संगठन का आवश्यककारी परिणाम यह जाना था कि उनकी स्वतन्त्रता पर आपात पहुँच और उनका व्यक्तित्व एक-एक से बढ़-बढ़ व्यवस्थित शिक्षा क्षेत्र में तल्लीन हो जाय, जहाँ वे केवल मशीन के एक पुञ्ज के समान आवश्यक होते हुए भी नगण्य ही रहें। वे इस प्रकार क सकलीकरण के लाभ का ठीक-ठीक निरूपण भी न कर सकते थे, किन्तु वे यह आसानी से अनुभव कर सकते थे कि इससे उनकी मान-भयादि, प्रतिष्ठा गौरव, तथा स्वतन्त्रता आदि का ह्रास होता जा रहा था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उनमें से कुछ लोगों ने अज्ञात भय की कल्पना से लोगों को इन बातों के विरुद्ध बहकाना शुरू कर दिया।

उच्च जातिर्या और उनके भाव में परिवर्तन

इन सन्देशों के प्रभाव में आकर उच्च-जातियों के लोग भी इन अध्यापकों के साथी हो गये थे, इसीलिए आरम्भ में वे लोग सरकारी स्कूलों से उचते रहे। लेकिन धीरे धीरे उनका यह भय दूर होन लगा और गदर की घटना ने ता उनको आँस म्याल दी और फिर नवीन विचार धारा के आगे उनको नतमस्तक होना पड़ा। शिक्षित समाज ने, जिसमें कायस्थ, रानियेँ, खत्री, करमीरी और ब्राह्मण शामिल थे और जो सरकारी नौकरों से अपनी जीविका चलाते थे, नयी सरकार की भाँति नय स्कूलों की महत्ता चुपचाप स्वीकार कर ली और पुरानों परिपाटा को शिक्षा को त्याग कर वे नवीन प्रणाली का शिक्षा को मान्य ममकन लगे। लेकिन जिनकी जीविका सरकारी नौकरों पर निर्भर नहीं थी अथवा जिन्हें अपनी मान-भर्यादा का अभिमान था, उन लोगों को इस नवीन शिक्षा से अभ्यस्त होने में बहुत समय लगा। जब उन्हें इसके बिना अपनी मान-भर्यादा तक नष्ट होती दिखायी देने लगी, तब भी वे इसको और अपसंर हुए। महाकवि अकरर का इन पक्तियों से इनका यह भाव भली भाँति प्रकट होता है—

सडक पै माँग है कुलियों की और मटों की,

कचहरियों में माँग है शरत प्रेजुएटों की,

खरानी है तो शेखजी के उटा की।

जिस समय की आलोचना यहाँ पर की जा रही है, उस समय सरकारी-स्कूलों के प्रति धीरे धीरे जनता की धारणा

बदलने लगी थी। इस बीच में इतनी राजनीतिक जाप्रति हो गयी थी कि सन १९२९ ई० में जब इण्डियन नेशनल कांग्रेस का आयोजन हुआ, तो इस प्रान्त में भी उसका कट्टर विरोधिया और मर्मवर्षका की कमी न थी।

राजनीतिक जाप्रति का प्रभाव शिक्षा पर भी आवश्यकभावा था, लेकिन यह बात जरूर कहना पड़ेगी कि अधिकांश लोगों का शिक्षा के प्रति प्रेम का अभिनय कवल रोटी कमान के लिए ही था। शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर एम० कम्पसन साहब ने इस प्रवृत्ति का पहले ही समझ लिया था और उनका यह कहना सत्य हो था कि देश की ऊची जाति के लोग जिस शिक्षा के ग्रहण करने में इस समय अरुचि और असम्मति प्रकाशित करते हैं, उनी शिक्षा का वे लोग कुछ ही समय बाद सरकार से अधिकार रूप में माँगने लगेगे। इस सम्बन्ध में उनका अभिप्राय विशेष कर शहरों में बसने वाले उच्च श्रेणी के लोगों और मुसलमानों से था।

### शिक्षा-प्रचार पर इस परिस्थिति का प्रभाव

शिक्षा के प्रति भाव परिवर्तन के साथ ही साथ स्कूलों के प्रति भी लोगों के भाव बदल गये। वे देसी पाठशालाओं को तो अपनी ही संसभते से, किन्तु नवीन पद्धति के स्कूल चूंकि 'सरकारी' कहलाते थे इसलिए उनके प्रति उनके हृदय में कोई महत्त्व न था। यह भी नवीन आयोजना का एक दोष था। शिक्षा-विभाग इतना अधिक केन्द्रित और व्यवस्थित कर दिया

गया था कि उत्तम स्थानीय मार्गजनिष्ठ राचकता के लिए स्थान  
हान या। धीरे धीरे इसका दमरा दुष्परिणाम यह हुआ कि  
शिक्षा के सम्बन्ध में जनता की रुचि नष्ट प्राय हो गयी और वह  
अपनी शिक्षा के लिए भी सरदार पर उम्मी प्रकार निर्भर रहने  
का आदी बन गयी जितना कि पुलिस से रक्षा के लिए।

सरदार द्वारा शिक्षा प्रचार का एक और परिणाम हुआ  
जिसका अनुमान लोगा का न था। शुद्ध न इस शिक्षा विधि  
; आयाजन में पुरानी पद्धति के स्कूलों का ही आधार पर शिक्षा  
न का मशा था। उनमें उन्नति करके और उन्हें आधिक सहायता  
का निश्चय किया गया था, किन्तु वस्तुतः इस आयाजना  
न पुरानी पद्धति के स्कूलों के स्थान पर नयी पद्धति के स्कूल  
स्थापित करा दिये।

### देसी भाषाओं के विरुद्ध भावना

राड साहय का अन्य प्रकार की कठिनाइयों का भी सामना  
करना पड़ा। इस नयी योजना में देसी भाषाओं के माध्यम  
द्वारा ही शिक्षा प्रचार का आयोजन किया गया था। किन्तु इन  
देसी भाषाओं में लोगों की रुचि नहीं थी। संस्कृत और फारसी  
ज्ञान का आगार और ज्ञातज्य विषयों का एकाकी माध्यम  
मनमन्त्रे जाती थीं। पढ़े-लिखे हिन्दू 'हिन्दी' को नीची दृष्टि से  
रखते और उसे 'भाषा' शब्द से सम्बोधित करते थे। इसी प्रकार  
मुसलमान लोग भी उर्दू को निष्ठुर और हीन समझते थे।

भाषा के महत्त्व को समझाना तथा उसके प्रति लोगों में रुचि पैदा करना, उस समय टेढ़ी खीर थी ।

उर्दू हिन्दी के प्रचार के लिए उस समय हर प्रकार के उपाय किये गये; यहाँ तक कि सरकारी दवाय भी काम में लाया गया । जब एक धार भाषाओं का प्रचार शुरू हो गया, तो इनका विस्तार अपने आप होन लगा—यहाँ तक कि पिछली शताब्दी में इनके प्रचार का उड़ा भारी आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । हिन्दू हिन्दी को और मुसलमान उर्दू का इस हद तक अपनाते लगे कि इस नयी प्रतिद्वन्द्विता में दोनों जातियाँ म वैमनस्य बढ़न लगा । हिन्दी और उर्दू के प्रति पहले जो उपेक्षा दिखायी गयी थी उसके कारण स्कूलों में पढ़ायी जाने योग्य पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं थीं । इसके फल स्वरूप शिक्षा सचालकों के सामने बड़ी कठिनाई उपस्थित हो गया । देसी भाषाओं के प्रति सार्वजनिक रुचि उत्पादन करने के अतिरिक्त शालोपयोगी-साहित्य की भी सृष्टि करने का भार उनके ऊपर आ पड़ा और यह कार्य सहल भी नहीं था ।

तीन लिपियाँ से कठिनाइयाँ और शालोपयोगी

पाठ्य-पुस्तकों का अभाव

प्रचलित भाषाभाषा का समस्या का प्रारम्भ नागरी और कैथी लिपियों की उपस्थिति न और भा अधिक जटिल बना दिया था । इनमें कैथी नागरी का अमरकृत और घसीट लिपि है जिसका सृष्टि कायस्थों द्वारा हुई है । इसीलिए हमका नाम 'कैथी' पड़ा है । सरकारी तथा गैर-सरकारी मस्याओं के सहयोग से इसका प्रचार

बन्द करने का उद्योग किया गया। बनारस और आरा नागरी प्रचारिणी सभाओं ने विशेष रूप से तथा अन्य नगरों की सभाओं ने सामान्यतः बड़े उत्साह के साथ इस आन्दोलन का सहायता पहुँचायी। परन्तु नागरी और उर्दू लिपियों की समस्या न जातीय वैमनस्य का रूप धारण कर लिया जिसमें सर सैयद अहमद खाँ ने उर्दू का और राजा शिवप्रसाद तथा गानू हरिश्चन्द्र ने हिन्दी लिपि का पक्ष लिया। हिन्दी उर्दू लिपि का यह झगड़ा आज भी पहले के समान ही समस्यापूर्ण बना हुआ है।

याग्य अध्यापकों और इन्स्पेक्टरों के अभाव की कठिनाइयाँ इन सब समस्याओं के अतिरिक्त एक समस्या यह और भी कि इस समय योग्य अध्यापक तथा इन्स्पेक्टर बड़ी कठिनाई से मिलते थे। इन्हीं लोगों का योग्यता पर इस योजना पद्धति की सफलता निर्भर थी, परन्तु इन्हीं का नितान्त अभाव था। जो लोग हाई स्कूलों या कॉलेजों में अंगरेजी शिक्षा पा चुके थे, उनमें उच्चाकांक्षाएँ भला प्राचीण या तहसीली स्कूलों की मास्टर्स से कैसे सन्तुष्ट हो सकती थीं? यह लोग ऐसी परिस्थिति में, जहाँ अधिक काम करने के अतिरिक्त नगर छोड़ कर गाँव में रहना पड़ता था और जिसके सम्पादन के लिए दृढ़ विश्वास और सफलता की आवश्यकता थी, भला क्यों रहना पसन्द करते? इसके अतिरिक्त गाँव वाले इनकी योग्यता से भयभीत होकर इन पर अपना विश्वास कैसे जमा सकते थे? इसीलिए यह लोग जहाँ कहीं गये भी, वहाँ इन्होंने अपने आप का अनुपयुक्त पाया।

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र लिखित 'ग्राम पाठशाला नौकरी' के प्रहसन में गाँव की पाठशाला में इन अँगरेजी पढ़े अर्द्ध शिक्षित अध्यापकों की कठण स्थिति का बड़ा सजीव चित्र दिखाया गया है। ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण पाठशालाओं के लिए जो अध्यापक उपलब्ध हो सकते थे, वे उसी पुराने परिपाटी के पण्डित थे। परन्तु फिर भी यह तो प्रकट ही था कि ग्रामीण हिन्दी स्कूलों के अध्यापक बहुत कुछ अनभिज्ञ होने पर भी उद्धत स्वभाव के न होते थे। उन्हें अपनी कमी का बाध था और उस दूर करने के लिए वे प्रस्तुत भी रहते थे। उनमें एक विशेषता यह भी थी कि वे अपने विद्यार्थियों के माता पिताओं से भला भाँति परिचित थे और इसलिए उनका श्रद्धा भावन बन हुए थे। इधर यह नवीन शिक्षा प्रणाली पयात्र रूप में क्रान्तिकारी थी, इसलिए उस समय की अवस्था में अध्यापकों को भी एक दम बदल देना बुद्धिमानों का कार्य न था।

### रीड साहब का कार्य

इस प्रकार रीड साहब के विजिटर जनरली के समय में यह आवश्यक हो गया था कि नवीन शिक्षा प्रणाली को नीचे डालने के साथ ही साथ वे जैसी पाठशालाओं की उन्नति में भी प्रोत्साहन दें, नये तहसीली स्कूल स्थापित करें तथा ग्रामीण भाषाओं में शालापयोगी साहित्य का निर्माण भी कराए। जिला और परगना के निरीक्षकों के पथ प्रदर्शन के लिए विस्तृत नियम बन ही शुरू थे, इसलिए रीड साहब का अब इस प्रणाली का

आगोश करना ही चाही रह गया था। यह काम उन्होंने शीघ्र शुरू कर दिया।

शिक्षा सम्बन्धा परिस्थिति का भली भाँति मनन कर लेने के बाद उन्होंने तहसीली स्कूल स्थापित करना और नयी स्कूला का निरीक्षण करना तथा उनको सख्यारद्ध करना शुरू कर दिया। शीघ्र ही यह बात प्रकट हो गयी कि दसो पाठशालाओं के अध्यापक सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पढ़ाने तथा इन्सपेक्टरों के निरीक्षण में अन्यमनस्क नहीं थे और इससे लिए तैयार थे। समय-समय पर उन्हें पारितोषिक दिये जाते लगे थे और उन्हें इस बात का भी अधिकार दिया गया था कि वे अपने विद्यार्थियों का तहसीली स्कूलों में निःशुल्क भरोसे कराने को सिफारिश कर सकें। यह सब सुविधाएँ होते हुए भी दसो पाठशालाओं की स्थिति ढाँचाडोल थी। तो भी इनके लिए शिक्षकों का तैयार करना विफल नहीं था, क्योंकि जैसे ही कोई अध्यापक एक पाठशाला के बन्द हो जाने पर खाली हो जाता था, वैसे ही वह दूसरे गाँव में जाकर दूसरी पाठशाला खोल लेता था।

### तहसीली स्कूल

यद्यपि इस नया प्रणाली में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रक्खा गया था कि तहसीली स्कूल दसो पाठशालाओं के प्रतिद्वन्द्वान बन जाँय, फिर भी शीघ्र ही ऐसे हल्काबन्दी स्कूल स्थापित होने लगे जो वास्तव में इन पाठशालाओं के प्रतिद्वन्द्वान थे। आरम्भ में हर तहसील में एक-एक तहसीली स्कूल आदरा स्कूल के रूप में



स्थापित किया गया था। उसके लिए किसी परम्परा का प्रतिबन्ध भी नहीं था। जिन आठ जिलों में ऐसे स्कूल प्रयोगात्मक दृष्टि से स्थापित किये गये थे, उनका उन्नति और वृद्धि व साथ साथ इस प्रणाली की उन्नति होती गयी और व सारे प्रान्त में फैलने लगे।

इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में हिन्दी, उर्दू, इतिहास, भूगोल, ज्यामेटा, धीज गणित, दसो बहाखाता और हिसाब पैमाइरा आदि विषय साम्मलित थे। फारसा और प्राकृतिक विज्ञान के विषय बाद में बढ़ाये गये, परन्तु फिर शीघ्र ही हटा दिये गये। इन स्कूलों में श्रैंगरजी पढ़ाने के लिए भी चष्टा की गयी थी, परन्तु इसे सरकार की ओर से प्रोत्साहन नहीं मिला, क्योंकि उनका आशय ही कि यह स्कूल एक प्रकार के एस एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल बन जायेंगे जो प्रायः अनुपयुक्त और अयोग्य प्रमाणित होंगे। इस प्रकार आगे चल कर उन्हें उच्च वर्नाक्युलर स्कूलों का रूप देना अपेक्षित हुआ और १८७२ ई० में उनका नाम बदल कर वर्नाक्युलर मिडिल स्कूल कर दिया गया।

इन स्कूलों का स्थापित हुए अधिक समय न हुआ था कि इनका उपयोगिता और उपयुक्तता विदित होने लगा। १८५३ ई० में डाक्टर मुआव, जो शिक्षा काउन्सिल का मन्त्रा था, इनसे उपयुक्तता से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने विद्यार्थी और पढ़ाई में भी इसी प्रकार के स्कूल चलाने का सिफारिश की। इससे बाद से इन स्कूलों का उपयोगिता प्रति वर्ष बढ़ता ही गयी

और १८५१ ई० में इनमें पढ़न वाले लड़कों की संख्या १,४६५ स  
 बढ़ कर १८५४ ई० में ४,६८८ हो गयी ।

वह उत्तम भी सज्जतानुसार था । शिक्षण-विधि में परास्पर  
 उत्तमि हो रही थी और वह क्रमशः उच्चस्थान प्राप्त करती जा  
 रहा था । साथ ही पाठ्यक्रम क विषय भी बढ़ते जा रहे थे और  
 दना पाठशालाओं का अपचा अत्र इनमें लड़क अधिक समय  
 तक ठहरने भी लग थे । परन्तु लड़का का स्या वृद्धि का यह  
 आशय नहीं था कि इन स्त्रला में स्या पाठशालाओं की अपचा  
 किमी दूसरी प्रकार के भी विद्यापी आरुपित हान लग थे ।

ब्राह्मण, वनिय और कायस्थ विद्याया हा इनमें अधिक थे ।  
 मुसलमान बहुत धार धार आन लग थे आर बाढ़ समय बाद  
 उनकी मन्ना में भी मूर उत्तमि हान लगा । तिन स्त्रलों न फारसी  
 और उर्दू पढ़ायो जाता थी, उनमें वा मुसलमान विद्याधिया का  
 सन्या पर्याप्त आने लगी थी । इन स्त्रला न हिन्दुओं की ५८  
 जातियों और उपजातियों क लड़क पढ़न आव थे लेकिन फिर  
 भी शिक्षित जातियों क लड़कों की मन्ना ही बहुत अधिक थी ।

इन स्त्रला में विद्याधिया स चीम ला जाता थी और देसी  
 पाठशालाओं क वही लड़क इनमें नि गुल्क भरती किये जा सकत  
 थे, जिनके अध्यापकों न विचित्र की हैसियत स उनकी सिद्दा-  
 रिश की हा । प्रारम्भिक याज्ञता में सब लड़कों स उनकी माता-  
 पिता की आत्र क अनुसार क्रीस लेना निश्चित किया गया था,  
 परन्तु माल्य में इस सिद्धान्त क अनुसार हर असमान परिस्थित

ज समाधान करना असम्भव हो गया और इसलिए हर लड़के ने दो आने माहवारी क्रीस निश्चित कर दी गयी। आज-कल यह क्रीस बहुत थोड़ी मालूम पड़ती है, परन्तु उस समय की प्रार्थिक स्थिति के विचार से इस का वास्तविक मूल्य जानन के लिए इसे कम से कम पाँच गुना करना पड़ेगा।

परन्तु यह क्रीस देना भी गरीब गाँव वालों के लिए भार हो गया था। वे तो हर महीने क्रीस न देकर केवल फसल के समय और वह भी अन्न देकर इसका चुकता कर सकते थे। फल यह हुआ कि क्रीस समय पर वसूल न होती थी और बहुत से लड़कों पर बकाया निकली रहती थी। सैकड़ों लड़कों से तो केवल एक ही आना लेकर छाड़ दिया जाता था। अधिकांश लोगों की यह धारणा थी कि अपने लड़कों को स्कूल में पढ़ने भेज कर वे सरकार अथवा उसकी अफसरों पर एक प्रकार का अनुग्रह कर रहे हैं और इसलिए उनसे किसी प्रकार की क्रीस न लो जानी चाहिए। परन्तु धार धीरे क्रीस वसूल करने में कड़ाई से काम लिया जाने लगा और क्रीस न देने पर स्कूलों से नाम काट देने के नियम बन जाने पर, बकाया रखन वाला अथवा क्रीस न देने वालों की संख्या में कमी हो गयी।

जिन अभ्यापकों का १०) ६० से लेकर २०) ६० तक मासिक वेतन मिलता था वे अपने विद्यार्थियों से वसूल की हुई क्रीस भी ले लेते थे। बाद में इसी क्रीस में से नायब और मानीटर का वेतन तथा लिखने-पढ़ने के सामान का खर्च काट

हर वाको रकम अध्यापक को ही पारितोषिक के रूप में मिलने लगी। १८६७ ई० में इन स्कूलों का स्तर इतना बढ़ गया था कि उसे पूरा करने के लिए कीम की सारी रकम लेना आवश्यक हो गया और इसलिए यह घोषणा कर दी गयी कि कीम नर-घरा सम्पत्ति है और यह नियमानुसार निरुद्ध सरकारी खजान में जमा हो जानी चाहिए।

आग चल कर इन स्कूलों में और भी अधिक परिवर्तन और सुधार क्रिय गय। पहले इन स्कूलों में नाव कक्षाओं की जो बहुत अधिक हान के कारण ठाढ़ कर दी गयी थी और अब उनमें भरती हान पान प्रियाधिया न पहले से अधिक ऊँची योग्यता अपेक्षित हुई। १८७० ई० में सार प्रान्त के निरुद्ध स्कूलों के लिए एक सरकारी परीक्षा का यानना हा गया। इससे सार प्रान्त में शिक्षा की उत्तमि का तुलना और नय जाद समान प्रामाणिकता प्राप्त करने की सुविधा हा गया। पहली परीक्षा का उत्तरदायिता नय कर टाउरक्टर महान्य का बहुत कुछ मान्यता हुई और इतिहास, भूगोल, गणित और फारना न लडका का योग्यता सन्तोषजनक प्रमाणित हुई। इन परीक्षा से यह भी स्पष्ट हा गया कि अभी नावृभाषा के अध्ययन में काफी उत्तमि नहीं हो गयी थी। इन स्कूलों में एक नारा कमी यह थी कि उनमें किसी प्रकार के हस्त-कौशल सिखान का कोई प्रयत्न न था और रुडकी इतिनियरिंग कालिन ने गाँवा के लडकों का इाइत की योग्यता देगकर, अधिकारिया न सहारनपुर जिले के स्कूलों में, प्रयाग करने

क विचार से, ड्राइंग का विषय सिखाने के लिए विशेष योजना कर दी । परन्तु यह विषय प्रान्त के सब स्कूलों में जारी न हो सका ।

प्रत्येक तहसील में ये माडल स्कूल आदर्श रूप में खोले गये थे और यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब श्रंशों में आन्श हो गये थे, परन्तु विद्यार्थी-जीवन की अवधि बढ़ जाने से सारे प्रान्त के बालकों का जीवन अधिक सुखमय अवश्य हो गया था । फिर इनमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सांसारिक जीवन की व्यग्रता कुछ काल के लिए तो अवश्य ही स्वगित सा हो गया थी । साथ ही अब बालकों का अपने मानसिक विकास के साधन भी अधिक उपलब्ध हो गये थे । इस पर भी अगर वे अपने नैतिक जीवन में इनका उपयोग नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए स्कूलों को कोई दोष नहीं दिया जा सकता था ।

लागों में यह धारणा उत्पन्न हो चली थी कि यह शिक्षा सरकारी नौकरियों का प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा साधन है । यह उन लोगों की भूलों के कारण था, जिन्होंने अप्रावृत्तिक साधना द्वारा बहुत शीघ्र ही विद्याप्रचार करना चाहा था अथवा जिन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त अभ्यापक अधिक और शीघ्र मिलने के विचार से शिक्षा के प्रति लागों के भाव बदल दिये थे । जिन लागों का शिक्षा सम्बन्धी आदर्श बहुत ही ऊँचा था, वे भी इन स्कूलों से थोड़े बहुत लाभ की आशा अवश्य करने लगे थे और इनकी सफलता देख कर एक समालोचक को यह कहने का साहस

हुआ था कि अगर जनता के नैतिक लाभ के विचार से ही देखा जाय तो देसी स्कूलों को मन्द कर और उन म प्रचलित पुस्तकों का प्रचार रोक कर, सरकार न बहुत ही थोड़े व्यय से प्रजा के लाभ व साधन उपभूित कर दिये हैं। इस समय निरीक्षण के लक्ष्य को छोड़ कर हर बालक की शिक्षा पर केवल २॥) ६० वार्षिक व्यय का औसत निश्चलता था।

देसी पाठशालाओं क मन्द कर देने म जन-साधारण का नैतिक लाभ रहा हा या नहीं, किन्तु विद्या प्रचारक की दृष्टि से यह निश्चय ह कि शिक्षा म म पहले की अपेक्षा अब बहुत कुछ उन्नति हो गयी थी। परन्तु दुर्भाग्य की बात यह हुई कि आरम्भ से ही इन स्कूलों की शिक्षा सकीर्ण हो कर केवल पुस्तकों तक ही सीमित हो गयी। विद्यार्थियों को पुस्तकों के विषय के अतिरिक्त बाहर की कोई बात नहीं सिखायी जाती थी। इससे उनम अपने आस पाम की बातें जानने तक की उत्सुकता नष्ट होने लगी थी। इसीलिए इन स्कूलों का वातावरण कृत्रिम हो गया था।

एक समालोचक ने लिखा था कि इन स्कूलों में पाठ पढ़ाते समय बहुधा ऐसे स्थानों क नाम आ जाते हैं, अथवा ऐसे पुरुषों का प्रसंग आ जाता है, जिनके सम्बन्ध म अगर विद्वान् अध्यापक कुछ विशेष बातें बता कर बालकों की ज्ञान-शुद्धि करा दें तो इससे उनको अनेक उपयोगी बातें मालूम हो जाने का सुअवसर प्राप्त हो जाय तथा उन्हें अपने पाठ म विशेष अभिरुचि उत्पन्न हो जाय। किन्तु इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था।

उनके सम्बन्ध में अधिक ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता न तो विद्यार्थियों में ही देखी जाती थी, और न अध्यापकों में ही उन्हें प्रोत्साहन देने की प्रवृत्ति रह गयी थी। ऐसी परिस्थिति में अध्यापक अथवा विद्यार्थियों से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे पाठ्य विषय में काइ उत्साह प्रदर्शित करें। परिणाम यह हुआ कि अनक भावपूर्ण विषयों और राचक स्थाता की जानकारी भी नीरस, निस्तेन और ऐसे कृत्रिम ढङ्ग से करायी जाने लगी कि स्कूल का साग वातावरण, अत्यन्त चहल पहल का होन पर भा, निराह निजायता का परिचायक हा गया। ऐसी शिक्षा का, जिसका जीवन का प्रगतियों से काई सम्बन्ध न हो, यह परिणाम अजरयम्भावा था। इसक अतिरिक्त विलडुन किताना शिक्षा हान क कारण किताबों ही में विषक रहन का प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता था। परन्तु शिक्षा प्रणाली क दोषभूय होन क साथ साथ उपयुक्त अध्यापका का कमी भा दुद्र अशा तक इसक लिए जिम्मेदार था।

### हलकायन्दी स्कूल

उद्दमीली स्कूल का कवल आदेश मात्र जनाय गया था। अधिशा के अन्वयकार का मिटान का वास्तविक नाम तो गाँव का देमी मंदरनों में हा भवता था और टॉममर नाहन का भी यही योजना थी कि नमी मंदरनों का दशा, उनका विरीचण कर वा न्ह यदा-कदा सम्मति और पारितोषिक आदि दफ्तर, जुभायी जाय। लेकिन मर् १८९१ तक एका याजना प्रयोग न लाया

गयी, जिसने देसी स्कूलों का सदा के लिए भाग्य निर्णय कर दिया। देसी स्कूलों में सुधार की आशा असम्भव समझ कर मथुरा के फ्लमस्टर एलेक्जेंडर साहब ने नये स्कूल खोलना निश्चित किया। लेकिन गाँव-गाँव में स्कूल खोलना भी तो असम्भव था। इसलिए गाँवों को हलकायन्दी करके, हर एक हलके में पढ़ने वाले लड़कों की सख्या निश्चित की गयी। फिर उस हलके की जमानन्दी का भी निश्चय किया गया और उसके आधार पर उसमें रहनेवालों की आर्थिक स्थिति और उनमें शुल्क देने की शक्ति का अनुमान कर लिया गया।

इन स्कूलों में लड़कों के अभिभावकों पर शिक्षा का बोझ न रखने की व्यवस्था की गयी थी। जमींदार स्कूलों के खर्च का कुछ अंश देने के लिए सहमत थे। चन्दा देने के समय उनके सामने "हैमियत" की बात रखी जाती थी। इसलिए उनसे कहा गया कि वे अपनी अपनी मालगुजारी पर एक रुपया सैकड़ा के हिसाब से स्कूलों के मन् में चन्दा दें। लेकिन यह चन्दा अनिर्धार्य न था और इसका पैना मिलकुल लोगों की इच्छा पर निर्भर था। इस प्रकार जब स्कूल चलाने के खर्च का पूरा प्रबन्ध हो गया, तब ऐसे गाँव में स्कूल खोला गया, जहाँ उस हलके के सभी गाँवों के लड़कों को स्कूल पास पढ़ सकें और जहाँ वे लागू निःशुल्क विद्या-लाभ कर सकें। स्कूल के खर्च के लिए सब मिला कर पितना रुपया जमीन्दारों से चन्दे के रूप में वसूल होता था, उतना ही सरकार भी देती थी। सबसे पहले हलकायन्दी स्कूल परगना



कोसी में मीर इमदाद अलो का अभ्युत्थान म खोला गया था। मथुरा में इस योजना को बढ़ा सफलता मिला और अधिकारियों को भी यह योजना बहुत पसन्द आयी, क्योंकि इनमें विशेषतया जनताही का उद्योग था। कदाचित् दूसरा बात यह भी थी कि इनका बागडोर पूरी तरह से सरकारों अधिकारियों का हाथ में था।

मथुरा में इनकी सफलता देख कर पास के जिला कवलमंडरा को भी यह योजना रुचिकर प्रतीत हुई और कवल आठ जिला में ही नहीं, प्रत्युत प्रान्त के अर्य जिलों में भी हलकायन्त्रा स्कूल खोले जाने लगे और इस प्रकार इनका प्रचार उड़ो तड़ो के साथ बढ़ने लगा। एक इटावा जिले में ही १८१ स्कूल एक वर्ष के भीतर खुल गये, जिनमें ५,१८१ विद्यार्थी विद्या लाभ करते थे। इन स्कूलों में पढ़ना लिखना, गणित पैमाइश, और भूगोल के विषय पढ़ाये जाते थे। प्रारम्भ में योग्यता की दृष्टि से इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। ए० आ० धूम साहब ने सन् १८५९ में लिखा था, "ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है जो थोड़ी बहुत हिन्दी पढ़ लिख लेते हैं और सादे सवाल हल कर सकते हैं। यह बात सत्य है कि कुछ लड़के ऐस हैं जो अच्छी तरह से हिन्दी अथवा उर्दू लिख पढ़ लेते हैं, परन्तु इनका औसत सैकड़ पीछे केवल दस ही समझना चाहिए।"

इन हलकायन्त्री स्कूलों से जा लाभ हुआ, वह इस प्रकार प्रकट किया गया है—“इन स्कूलों में पढ़ने के कारण लड़कों को शारारत का मौका नहीं मिलता और कम से कम उन्हें अच्छी

द्वितीय पढ़न को तो मिल हा जातो है। वल इमसे अधिक इन स्कूना से कोइ और लाभ नहीं है।" शिक्षा को ँष्टि स कम लाभ होने का एक कारण ( योग्य शिक्षणों की कमी क गान्धूद ) यह भी था कि लड़के स्कूलों में पर्याप्त काल तक नहा रह पाते थे और इसलिए उनकी योग्यता भा अधिक न हो पाती थी।

सन् १८६६ ६७ में हलका न० १ के स्कूना में प्रवेश पाने वाले २७,१५१ लड़कों में से कवल ४,४२७ लड़के हा ऊँची श्रेणियों में पढ़ते थे। कारण यह था कि निवन कृपक अपने बालकों को अधिक समय तक स्कूलों में बैठा कर आर्थिक हानि नहीं सह सकते थे। जिस आशु म धे स्कूल जाने योग्य होते थे, उसी में व ँतों पर भा काम करने योग्य हो जाते थे। इसलिए उनके पास स्कूना में जान का कवल वही समय था, जब कि उनक लिए खतों म कोई काम रह जाय। इस परिस्थिति में उनमें विशेष योग्यता की आशा करना व्यर्थ था। यदि सरकारी सहायता और सहयोग न होता, ता ये हलकावन्दी स्कूल भी पुराने मदरसा की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाते। अर्जुननाट साहब न इस बात को स्वीकार किया था कि जहाँ युरोपियन अधिकारियों ने इन स्कूलों क प्रबन्ध म कोई हिस्सा नहीं लिया, वहाँ उनका चलना बहुत मुश्किल हो गया।

### देसी मदरसों की अवनति

हलकावन्दी स्कूल देसी मदरसों के प्रतिद्वन्द्वी थे और इनकी अतियोगिता का प्रभाव हानिकारक भी हुआ। देसी मदरसे

शिक्षा विभाग के बनाये नहीं थे और न इस विभाग का आतङ्क ही इन मदरसों पर अधिक था। इसलिए शिक्षा विभाग इन मदरसों पर ध्यान नहीं देता था और इनको व्यर्थ समझता था। सन् १८७७-७८ तक तो इन देसी मदरसों के व्योरे शिक्षा विभाग के वापिक विवरणों में स्थान पा जाते थे, परन्तु इसके बाद इनका देना इस विचार से बन्द कर दिया गया कि वह विश्वसनीय नहीं समझे जाते थे और इन स्कूलों पर सरकारी निरीक्षण भी नहीं था। हलकावन्दी सरकारी स्कूलों के गुल जाने से जो प्रोत्साहन उन्हें पहले दिया जाता था, वह भी अब बन्द हो गया। सन् १८५७-५८ में ही शिक्षा विभाग के डायरेक्टर ने उनके सम्बन्ध में लिखा था, 'ये पाठशालाएँ तो शिक्षालय कहलाने के सर्वथा अयोग्य हैं। इन सब में सुधार की आशा रखना व्यर्थ है। इनमें पढ़ाने वाले अध्यापक भी तो किसी प्रकार हमारे अधीन नहीं हैं।' परन्तु इतना होते हुए भी लोग इन मदरसों को ही पसन्द करते थे और उन्हें अपनाते थे।

इस सम्बन्ध में अपनी सम्मति व्यक्त करते हुए डायरेक्टर महोदय लिखते हैं, "हमारे कृपक इस विभाग द्वारा सञ्चालित स्कूलों के लिए १,९०,००० रुपये प्रति वर्ष व्यय करते हैं। अन्य लोकप्रिय स्कूलों को परिचालित रखने में २,६५,००० रुपया वापिक व्यय होता है। इतना अधिक खर्च बाल्य में व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि इनके अध्यापक अयोग्य हैं और इनमें किसी प्रकार की आयोजना और शिक्षा क्रम का अभाव है।"

लोग नये सरकारा स्कूलों में अधिक जान लग ये क्योंकि उनमें शिक्षा नि शुल्क दी जाती थी। देसी स्कूलों की भी अप्र इतना पूँछ न रही थी और अधिक खर्चाने होने क कारण लोग इनको उपज्ञा की दृष्टि स भी दृश्यन लग य। शिक्षा-विभाग की प्रार स पढ़ान लिखान क सम्बन्ध में लोगो को सभी जानन योग्य त्तें बतायी जाती थी। इसलिये इन नये और नि शुल्क विद्या प्रदान करन वाले स्कूलों को प्रार ही गलक अधिक मुक्तन ला य।

दसा मन्त्रमा का अप्रनति का एक प्रार कारण भी था। नन्द मन्त्र यात्र अच्चापक उन्ह द्वाढ कर सरकारी स्कूलों न इसलिये पहुँच गय य कि उन्हे यहाँ पेतन अच्चा मिलता था। सन् १९२० में जिना कमीशन क मानन १० मी० नरफान्ड साइन न अपना गयाही त्ते हुए खुले राज्दा न यह स्वीकार किया था कि 'सरकारी शिक्षा-विभाग न अच्चा स अच्चा देसी मदरस ता कभी क हजम कर लिय और अप्र य इतन निर्पल कर दिय गय हैं कि तत्र तक मनस सरकारी स्कूल बन्द न कर न्ये जाँय, तत्र तक उन्ह महायता त्तें अप्रमा उनकी उत्तति करन का बात करना व्यव ही होगा। भर विचार में सरकारी शिक्षा-क्रम न उह मिलकुन निरुम्मा कर दिया है और अप्र नक जाणाद्वार को कोई आशा नहीं की जा सकती।'

दसा स्कूला की अप्रनति इसलिये हुई थी कि एक ता लाग प्रारवी क कारण दो प्रकार क स्कूलो का भार वहन करन म असमय य, दूसर ये मदरसे स्वयम् इस नयी परिवर्तित परिस्थिति

के अनुसार अपने क्रम में समयोचित परिवर्तन न कर सके, तोसरे इसलिए भी कि सरकार द्वारा प्रास्तावित और प्रतिष्ठापित इस नये शिक्षाक्रम के सामन लोगों की निगाह में इनका कोई फरक न रह गयी थी। फिर भी डाक्टर जी० ड० लू लिटनर के इन शब्दों में बहुत कुछ तथ्य है —“थोड़े से नवीन स्कूल खोलने का अपेक्षा यदि सरकार देशी मदरसों की पाठ्य पुस्तक तथा अध्यापकों के सुधार की ओर ध्यान देती और इस प्रकार जनता में यह भाव फैलाने का प्रयत्न करती कि शिक्षा प्रसार का देख रेख रखना सरकार का काम है ( और किसी समान विशेष का नहीं ), तो उन्हें नवीन स्कूलों के इस अधूरेपन के स्थान पर देशी स्कूलों में सुधार करने का बहुत बड़ा मुश्किल प्राप्त हो जाता।”

### सन् १८५४ का खरीता

बंगाल तथा बिहार में एडम साहब का जांच, मदरास में सर टॉमस मनरो के अनुसन्धान और बम्बई में सर मन्टस्टुअट एलफिन्स्टन के दिग्दर्शनात्मक विवरण से शिक्षा प्रचार की अवस्था गिरती हुई प्रकट हुई। हमारे यहाँ तो सन् १८४४ ४५ में टॉमसन साहब के विवरण से देशी मदरसों की गिरती हुई अवस्था अच्छी तरह प्रकट हो गयी थी। इसी समय देशी मदरसों की खराब परिस्थिति के सम्बन्ध में मिशिनरिया ने ऐसा आन्दोलन किया कि अधिकारियों के कान खड़े हो गये। सरकार को जनता में शिक्षा प्रचार करने की आवश्यकता प्रतीत तो हुई, परन्तु सारी जनता का शिक्षित बनाने के लिए एक साथ विद्यालय

खोलना उसके लिए सम्भव न था। इन विभिन्न प्रान्तों में शिक्षा-सम्बन्धी अनुसन्धानों का सारांश सन् १८५४ के प्रसिद्ध खरीते में अर्द्धित कर दिया गया है। खरीते के लेखक सर चार्ल्स वुड पिदले वाइसराय लॉर्ड इरविन के दादा थे।

इस खरीते ने प्रजा में ज्ञानोत्थरूप की शुभाकांक्षा उत्पन्न कर दी थी, इसीलिए यह खरीता भारत में अंग्रेजी शिक्षा का 'स्वाधीनता का शामन-पत्र' कहलान योग्य है। उदार भाषा से आत प्रोत्साहित लॉर्ड डलहौजी के शब्दों में 'इसमें ऐसा याजना का निरूपण किया गया है, जो अखिल भारत के निमित्त तैयार की गया था और जिस प्रस्तुत करने के लिए प्रान्ताय या भारतीय सरकारों कदाचित् ही साहस कर पाती।' टॉमसन साहब की प्रतिभा की मूलक इस खरीते में भी दिखायी पड़ती है। सारी प्रजा में—बशपत प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार के लिए—परकार का ध्यान ऊंचा जातियों की ही शिक्षा की ओर स हटा कर जन साधारण का शिक्षा की ओर आकर्षित करना, इसका चरम उद्देश्य था। इस नीति का समर्थन खरीते के इन शब्दों में किया गया था, 'जैसी विशाल जनता में, जो बिना किसी सहायता के नाम मात्र का भी विद्या प्राप्त करने में असमर्थ है, किस प्रकार जैसी व्यावहारिक और उपयोगी शिक्षा का प्रचार किया जाय जो उनमें जावन की प्रत्येक अवस्था के लिए उपयोगी और अनुकूल सिद्ध हो।' खरीते में लिखा था कि ब्रिटिश सरकार यह चाहता है कि भविष्य में इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, उसी यह योजना

विशेष रूप से काम में लायी जाय और वे इसके व्यय के लिए अधिकाधिक धन देने के पक्ष में हैं।

इस योजना का उद्देश्य अविद्या को समूल विनाश करने का था और साधारण जनता में विद्या प्रचार का महत्त्व इसमें स्वीकार कर लिया गया था। जनता को इसमें अप्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करने की सिकांरिश भी की गयी थी। सरकार की ओर से देसी स्कूलों की सहायता करने का विधान था। इसमें देसी भाषाओं का भी बहिष्कार न किया गया था और संस्कृत तथा फारसी के तत्कालीन विद्यालयों की रक्षा का भी उचित समावेश था। इसमें प्रत्येक प्रान्त में एक एक शिक्षा विभाग खोलने की माग पेश की गयी थी और देशी भाषा में प्रारम्भिक शिक्षा से लगा कर युनिवर्सिटी की बडी से बडी डिगरी तक की योजना प्रस्तुत की गयी थी। इस खरीते में धार्मिक विचारों के प्रति बिलकुल तटस्थ रहने की नीति रम्पी गयी थी।

### शिक्षा-विभाग की स्थापना

इस खरीते के पहुँचने पर पश्चिमोत्तरी प्रान्त में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई और रीड साहब उसके प्रथम डाइरेक्टर बनाये गये। उनकी अधीनता में चार सभिल इन्सपेक्टर नियुक्त किये गये और बिले तथा परगने के विजिटर डिप्टी तथा सभ-डिप्टी इन्सपेक्टर कहलाने लगे। उस समय के बाबू शिवप्रसाद, जो बाद को राजा हो गये, इन्हीं पहले इन्सपेक्टरों में से थे। गदर होने से कुछ ही पहले स्कूलों को सरकारी मदद देने के

नियम बनाये गये, जिनसे तहसीली और हलकायन्त्री स्कूलों को अधिक प्रोत्साहन मिला। १८१६ ई० में टॉमसन साहब को मृत्यु के एक मास बाद ही, उनकी योजना को सारे प्रान्त में प्रसार करने की अनुमति मिल गयी।

हलकायन्त्री स्कूलों की उन्नति के इस विवरण से प्रान्त में प्राइमरी शिक्षा के अधिकाधिक विस्तार का परिचय मिलता है। सन् १८५१ में इन हलकायन्त्री स्कूलों की स्थापना हुई थी और सन् १८५४ ई० में इनका संख्या ७५८ हो गयी। इनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या उस समय १७,००० थी। सन् १८५५ ई० के प्रारम्भ में हलकायन्त्री स्कूलों की संख्या १,४९१ हो गयी और इनमें पढ़ने वाले छात्रों की भी संख्या बढ़ कर ३४,४२४ हो गयी।

सन् १८५० ई० में आगरे का नामल स्कूल खोला गया। अध्यापकों की माँग अधिक होने से सन् १८५६ ई० में मेरठ में और सन् १८५७ ई० में बनारस में भी नामल स्कूल खोले गये।

### गद्दर का दुष्प्रभाव

‘घरीबों’ की योजना के अनुसार कार्यक्रम को प्रारम्भ हुए अभी तीन वर्ष ही बीतने पाये थे कि गद्दर हो जाने के कारण शिक्षा प्रचार की उन्नति को भारी धक्का पहुँचा। लेकिन यह एक क्षणिक बाधा थी। कई अधिकारियों ने इस विभाषिका में अपने प्राण गँवाने पड़े, किन्तु प्रायः नीचे से लगा कर ऊपर तक के सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारी राजभक्त बन रहे और अपनी जगह पर काम करते रहे। आरियन्टल (‘फारसी’) विभाग



के कुछ अध्यापक अवश्य चागी हो गये। इसका परिणाम यह हुआ कि इन विभागों पर से सरकार का विश्वास उठ गया और अन्ततः ये विभाग बन्द ही कर दिये गये। इस प्रकार पञ्जाब की भाँति अँग्रेजों के समझने के रूप में, प्राइमरी से लेकर युनिवर्सिटी तक का तब दशों भाषाओं द्वारा शिक्षा क्रम की उत्थिति की सम्भावना बिलकुल जाती रही। हमारे यहाँ तो तहसीली स्कूल ही एक एसी सस्था रह गयी, जिनमें देशी भाषाओं के माध्यम द्वारा ऊँची से ऊँची शिक्षा दी जा सकती थी।

सन् ५७ का गदर उस समय के मृतप्राय राज्यों की बुझती हुई अन्तिम ज्योति के समान था। इन राज्यों ने अपनी खोयी हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से जी तोड़ कर यह अन्तिम प्रयत्न किया था। इसमें उस असन्तोष की लहर से भी कुछ सहायता मिल गयी थी, जिसकी जिम्मेदारी कुछ अंश में सरकार पर भी थी। किंतु अन्त में इस भयानक घटना से एक अच्छी बात यह हुई कि सदा के लिए देश के भविष्य का निर्णय हो गया। लोगों को इसका पूरा पूरा अनुभव हो गया और उनमें अन्तराध्ययन की प्रेरणा जाग उठी। अन्त में वे लोग भी, जो इस नये राजनीतिक परिवर्तन से बिल्किन्त असन्तुष्ट थे, यह विचार करके कि अन्यथा गति नास्ति, अनिवार्य के सामने नतमस्तक हो गये। सहज विश्वासी लोगों को यह विश्वास हो गया था कि अब सौ वर्ष पहले कोई नया परिवर्तन न होगा और वे उदीयमान सूर्य को अभिवादन करने के लिए व्याकुल हो उठे।

इन लोगों में एक क्रिम्बदन्ति प्रसिद्ध हो गयी थी कि जिस प्रकार १७५७ ई० क पलासी-युद्ध के बाद १८५७ ई० में गदर हुआ, उसी प्रकार १९५७ ई० में बड़े भारी क्रान्तिकारी परिवर्तन की सम्भावना है। गदर के बाद एक दो वर्ष तो, हथियार धान जान के कारण, लागू हुए, लेकिन इससे बाद से शिक्षा विभाग का पक्ष निरन्तर निष्कटक हो गया और असहयोग के समय तक ऐसा ही रहा।

### सन् १८५९ का द्वितीय खरीता

लेकिन सन् १८५६-५७ ई० की घटनाओं को लेकर इस नवीन शिक्षा क्रम के सम्बन्ध में व्यवस्था की अनेक भयास्पद बातें फैलायी गयीं। निरन्तर लगातार सन् १८५४ के खरीते के सिद्धान्तों के विरुद्ध अपनी सम्मति ली गी, उन्होंने अगले गदर के हान का दोषारोपण भी इस शिक्षा क्रम पर लाद दिया। फलतः विलायत की सरकार ने खरीते के कार्यक्रम की अच्छी तरह से ध्यान देने की। यह इसलिए थी कि जनता में हाल ही में प्रयुक्त होने वाले जो विधान सरकार ने प्रस्तुत किये थे, उन्हें बङ्गाल के सैनिक-विद्रोह का कारण समझा गया था। ब्रिटिश शासनाधीन अन्य भारतीय विभागों में भी भय और शङ्का के जो भाव मौजूद थे, वह भी इसी के कारण समझे गये थे।

इस ध्यान देने के बाद सन् १८५९ में एक दूसरा खरीता प्रकाशित किया गया। इसमें पिछले खरीते के काम की आलोचना की गयी थी और उपरोक्त भ्रमपूर्ण अभियोग को गलत ठहराया

गया था। इस खरीते में भी १८५४ ई० के खरीते के सिद्धान्तों और मन्तव्यों का पोषण किया गया था। इसमें एक नयी बात यह थी कि प्राइमरी शिक्षा के प्रचार में सरकारी सहायता की सिफारिश का समर्थन नहीं किया गया था। क्योंकि इसके द्वारा निर्धन लोगों पर आर्थिक बोझ अधिक हो जाता था। इससे शिक्षा के प्रति विराधात्मक भावों के फैलने का भय था और यह भी आशङ्का थी कि ऐसा करने से कहीं सरकार बदनाम न हो जाय। सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी इसमें निहित था। इसमें सन्देह नहीं कि जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार इतनी उत्सुक थी, उसी के लिए सरकारी कर्मचारियों का सामूहिक चन्दा माँगना और उस प्रयत्न में असफल होना सरकार के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने वाला था। इसी अभिप्राय से सरकारी अधिकारियों द्वारा प्राइमरी शिक्षा प्रचार करने की व्यवस्था की गयी थी और उसके व्यय के लिए एक प्रकार का टक्स लगाने की सिफारिश की गयी थी।

### शिक्षा कर

तहसीली स्कूलों का व्यय निवाह तो प्रान्तीय सरकार की मालगुजारी से ही होता था, लेकिन हलकाबन्दी स्कूलों का खर्च हलके में एकत्र किये हुए शिक्षा कर द्वारा चलता था। टॉमसन साहब ने गाँव के स्कूलों के खर्च के लिए गाँव गाँव में जागीर दिलाने की सिफारिश की थी, लेकिन यह बात बिलायत को सरकार को मजूर न थी। जब हलकाबन्दी क्रम का प्रीगणश किया गया,

तब जमींदारों ने अपनी मालगुजारी में से एक रुपया की सैकड़े के हिसाब से हलकावन्दी सूची के खर्चे के लिए चन्दा जना स्वीकार किया।

### शिक्षा-कर का पूर्व रूप

सन् १८१० में सरकार ने भी इन प्रामाण्य पाठशालाओं के खर्च में जमींदारों द्वारा एकत्र की हुई रकम क बराबर धन देना अधीकार किया। प्रामाण्य शिक्षा के व्यय में जमींदार और सरकार का आधा साभा हमारे प्रान्त के सिवा कहीं न था। सहारनपुर के प्रन्दोपस्त की योजना में इसका निर्देश के लिए नियम जना दिये गये थे। इन नियमों द्वारा यह निश्चित किया गया था कि जमीन की पैगवार की कीमत का अधिक न अधिक ५० को सदा भाग सरकारी मालगुजारी में दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकारी मालगुजारी निश्चित करने का पूर्व ही शिक्षा-कर काट लेना की व्यवस्था की गयी थी। इस प्रकार शिक्षा का भार जमींदार और सरकार पर बराबर बराबर हो जाता था। कहने को तो यह शिक्षा कर जमींदार की इन्द्रा पर निर्भर था, लेकिन व्यवहार में इसे अदा करना सब के लिए अनिवार्य था। परन्तु इस शिक्षा कर की वमूलवागी अनिश्चित था और प्रान्तीय लाट मिस्टर एडमन्स्टन साहब ने यह व्यवस्था दी थी कि जिन लोगों पर शिक्षा-कर वकाया रह गया था, उनसे उसको जमर्स्ती वसूली अनियमित थी।

कुछ अन्य कारण ऐसे भी थे, जिनसे पहले तो इस विचार में कुछ परिवर्तन हुआ कि शिक्षा-कर का देना लोगों की इच्छा पर निर्भर था, परन्तु बाद में इस कल्पना का पूरा विस्फोटन हो गया। सन् १८५० के खरीते में प्रारम्भिक शिक्षा के खर्च के लिए अनिवार्य कर वसूल करने की व्यवस्था मौजूद थी। इस विचार से न तो यह ज़मींदार की इच्छा पर ही निर्भर था कि वह इस कर को अदा करे और न इस बात का ही कोई प्रबन्ध था कि सरकार उसके साथ इसमें आधा सामा करे। परन्तु हमारे प्रान्त में ये दोनों बातें मौजूद थीं। आर्थिक दृष्टि से भी इस प्रश्न पर विचार करना महत्त्व की बात है। क्योंकि अगर सरकार के जिम्मे इसका आधा भाग रहता है तो सारे प्रान्त में शिक्षा कर लगाने पर सरकार की ओर से मिलने वाले हिस्से का भार बहुत अधिक बढ़ जाता है।

### शिक्षा-कर का मालगुजारी में जोड़ा जाना

इसलिए सरकार ने सन् १८६६ में यह घोषित कर दिया कि तत्कालीन बन्दाबस्त के हिसाब से ज़मीन की उत्पत्ति का ५५ प्रतिशत भाग लगान में लिया जायगा। इसी में सड़क, पुलिस और शिक्षा आदि के अन्य कर भी सम्मिलित थे। लेकिन इन सब करों को एक साथ लगान में मिला कर वसूल करने का आयोजन करते समय सरकार ने ऐसी कोई विवेचना नहीं की थी जिससे ज़मींदारों को इसके खर्च पर नियन्त्रण करने का अधिकार दे दिया हो और न ही उनके ऐसे किसी प्रकार के अधिकार

के सरक्षण का जिम्मा लिया था जो उन्हें पहले ऐसे छोटे-छोटे करों के सम्बन्ध में प्राप्त हुए बतलाये जाते थे। ये छोटे कर तो वह अब भी पहले की भाँति अपनी जब से देते थे, किन्तु अब अन्तर केवल इतना ही हा गया था कि जहाँ पहले सरकार को उसके बरानर को रकम देनी पड़ती थी, वहाँ अब केवल जमींदार के ही सिर पर सारे खर्च का भार था। इससे स्पष्ट है कि जो शिक्षा-कर पहले उसकी इच्छा पर निर्भर था और चन्दे की भाँति वसूल किया जाता था, वही अब निर्धारित और निश्चित टैक्स के रूप में परिवर्तित हो गया था।

इस समस्या का दूसरा स्वरूप प्रजा का परिवर्तित दृष्टिकोण था। जहाँ तक कृषि-योग का सम्बन्ध था, शिक्षा-कर अब स्थानीय कर नहीं रह गया था, जिसका देनदार जमींदार हो। अब तो ना खर्च देहाता स्कूलों पर होता था, उसे जमींदार सरकारी सहायता समझता था और इसी कारण उसे इस रुपये पर किसी प्रकार के नियन्त्रण का कोई हक प्राप्त न हो सकता था। साथ ही साथ अब इस कर का स्थानीयपन भी नष्ट हो गया था, क्योंकि अब तक तो यह रुपया उसी स्थान के स्कूल के ही उपयोग में आ सकता था, परन्तु अब तो इसका उपयोग सारे प्रान्त की प्रजा के लिए था, जिसमें तहसीली और अन्य प्रकार के सभी स्कूलों का साम्ना था।

इस प्रकार इस नयी व्यवस्था के कारण जमींदार और देहाती स्कूल में जो परस्पर सम्बन्ध स्थापित हुआ था, वह टूट गया।

## इस्तमरारी बन्दोबस्त के जिलों में शिक्षा कर

जमींदार लोगो ने इस परिवर्तन को बिना किसी आनाकानी के मान लिया । इससे जाहिर है कि उनको भी इस शिक्षा कर के अनिर्धारित स्वरूप में अधिक विरग्राह न था । जिन प्रदेशों में जमीन का बन्दोबस्त निश्चित समय के लिए होता था, उनमें ऐसे बन्दोबस्त के समय इस नये कर का लगा देना आसान था, परन्तु जिन जिलों में इस्तमरारी बन्दोबस्त था, वहाँ इस शिक्षा कर के लगाने में बड़ी कठिनाई थी । परन्तु फिर भी बनारस कमिश्नरी के उन चार जिलों में, जिनमें इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी है, जमींदार लोग इस बात पर राजी हो गये कि वे गवर्नमेन्ट को अपने लगान की रकम का आधा प्रतिशत इस शर्त पर देंगे कि सरकार खुद भी आधा प्रतिशत दे । सन् १८६६ ई० में गवर्नमेन्ट ने इस शर्त को मजूर कर लिया और इस प्रकार सारे प्रान्त के जमींदार ग्रामीण शिक्षा के लिए कर देने लगे ।

## शिक्षा-कर के नियन्त्रण के लिए जमींदारों की माँग

शिक्षा कर का देना जमींदारों की इच्छा पर निर्भर था, इसी लिए बहुत से जमींदारों ने इस बात की माँग पेश की कि उनको इस फंड के नियन्त्रण का भी अधिकार मिलना चाहिए । चूनाँचे अलीगढ़ के जमींदारों ने प्रान्तीय सरकार के पास इस आशय का एक मिमोरियल ( प्रार्थनापत्र ) भेजा । यह प्रार्थना पत्र अली गढ़ साइन्डिकल सोसाइटी की ओर से पेश किया गया था,

जिसके मंत्री राधा जयदृष्ट्यादास थे। यह रम्य भी जमींदार थे और गद्दर के जमान की इनका विशेष सेवाएँ थी। इसलिए यह गवर्नमेन्ट के भी विश्वास पात्र थे और जमींदारों का भी इन पर पूरा भरोसा था।

इस मिमोरियल में इस बात का शिकायत की गयी थी कि शिक्षा के खर्च के लिए शिक्षा कर तो जमींदारों से वसूल किया जाता है, परन्तु यह बड़े ताज्जुब की बात है कि न तो उठ इस शिक्षा क्रम के प्रबन्ध में ही कोई अधिकार दिया गया है और न इस रुपये के खर्च पर ही उनका कोई नियन्त्रण है। इसलिए उनको यह जान कर उड़ा कष्ट है कि इस सम्बन्ध के किसी विषय में भी उनसे सलाह मगयरा नहीं लिया जाता और इतना मर रुपया देने पर भी उनको यह भी नहीं मतलाया जाता कि उसे किस प्रकार और किन किन मद्दों में खर्च किया जा रहा है। इसलिए उनकी यह प्रार्थना थी कि जो रुपया वे शिक्षा कर के रूप में सरकार को देते थे, और जो रुपया सरकार शिक्षा का सहायता देता थी, उस सब को मिलाकर एक अलग शिक्षा फंड बना दिया जाय, जो केवल उसी जिले की प्रजा के हित के लिए खर्च किया जाय, तबसे उसका रुपया वसूल किया गया था। इस मिमोरियल में यह भी प्रार्थना की गयी थी कि जिले के शिक्षा विभाग के कर्मचारी और जमींदारों की एक ऐसी कमिटी बनायी जाय, जिसका अध्यक्ष जिले का कलेक्टर या कमिश्नर हो और जो इस शिक्षा क्रम की पूरी



देख-रेख तथा उसके खर्च का पूरा नियन्त्रण कर सके और इस कमिटी के अधिकार में उस जिले की शिक्षा का पूरा भार हो।'

अलीगढ़ के ये जमींदार काफी सुशिक्षित थे और अपने स्वत्वों और अधिकारों का ज्ञान रखते थे। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्होंने अपने अधिकारों की मांग पेश की, परन्तु इसका महत्ता तो इस बात में है कि यह प्रार्थना पत्र प्रजा की उस स्पष्ट इच्छा का सब से पहला उदाहरण है जो उसने उस विभाग के प्रबन्ध में भाग लेने के लिए मन से पहले प्रकट की, जिसके लिए उसने स्वयम् रूपया दिया था। इस मांग की वैधता बड़े मार्के की थी और सरकार को इस बात के समझने में अधिक देर न लगी कि हवा का रुख किस ओर था। यद्यपि हमारी सरकार इस बात का स्वागत करने के लिए तैयार थी कि हमारे यहाँ के जमींदार और तालुकेदार अपने उस दबाव को अधिकाधिक काम में लाने के लिए आन्दोलन सड़ा करें जो उनको प्राप्त है और साथ ही शासन प्रबन्ध के साधारण कामों में इन लोगों की सहकारिता और इनकी सहानुभूति का आदर करने को भी तैयार था फिर भी उसे इस बात के अन्दशे को दूर करने की शीघ्र ही कोशिश करनी पड़ी कि वे उस बात की प्राप्ति के लिए अपना अधिकार प्रदर्शित करें जिसे कुछ हद तक और कुछ विशेष कारणों से वह उनको स्वयम् देने के लिए तैयार थी।

## सरकार का रुख

इसलिए सन् १९२६ के अपने एक मन्तव्य में सरकार ने यह प्रकट किया कि हमारे सामने इस बात की शिकायत की गयी है कि जो लोग शिक्षा के स्तर के लिए धन देते हैं, उनको उस पद्धति के प्रबन्ध में कोई अधिकार नहीं दिया गया है, अथवा उस रुपये के व्यय पर उनका कोई नियन्त्रण नहीं है। परन्तु यही तर्क इस देश के शासन के सम्बन्ध में तथा मालगुजारी और अन्य टैक्सों के व्यय और उनके नियन्त्रण पर भी लागू हो सकता है। इसलिए इस तर्क के सार्थक परिणाम को स्वीकार करते हुए उस समय के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर ने कहा, "इस शिकायत का एक ही जवाब हो सकता है और वह यह है कि इसके पूर्व कि लोगों को शासन प्रबन्ध के नियन्त्रण में कोई अधिकार दिया जाय, उन्हें इस बात को प्रमाणित करना होगा कि वे इन अधिकारों और इस उत्तरदायित्व के योग्य भी हैं या नहीं क्योंकि इसी योग्यता को उनमें उत्पन्न करने के लिए सरकार ने शिक्षा प्रचार के ये साधन उनके लिए उपस्थित कर दिये हैं।"

शिक्षा-कर के सम्बन्ध में गवर्नमेन्ट ने यह घोषित कर दिया कि यह कर सारी प्रजा के हित के लिए लिया जायगा और सरकारी मालगुजारी में, जो पृथिवी की उपज की निरक्षर आय पर ५५ प्रतिशत देनी निश्चित हुई थी, यह कर भी शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार शिक्षा सम्बन्धी-व्यय भी मालगुजारी से ही दिया जाता निश्चित हुआ और इसलिए

जमींदारों को उसका प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण में किसी प्रकार के अधिकार का प्रश्न एक क्षण के लिए भी उपस्थित नहीं हो सकता था ।

### स्कूल-कमिटियों की स्थापना

इस प्रकार इस मिमोरियल के वैध अंश का उत्तर दे कर सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस की कि जिले के अकसरों, जमींदारों और अन्य धनी मानियों को भी स्कूलों के प्रबन्ध में कुछ अधिकार दिया जाय, ताकि वे इन सस्थाओं की उन्नति में अधिक योग दे सकें । इस विचार से सरकार ने कुछ जिलों में शिक्षा कमिटियाँ नियुक्त कर दीं और यही कमिटियाँ कुछ समय बाद सारे प्रान्त में नियुक्त हो गयीं ।

मिस्टर टॉमसन ने इस बात की घोषणा की थी कि सरकार अपना नजदी स्कूल स्थापित न करके, प्रजा को इस बात में सहायता देने को तैयार थी कि वह स्वयम् अपने स्कूल स्थापित करे । लेकिन यह सब कहते हुए भी गवर्नमेण्ट ने जमींदारों को उस विशिष्ट माँग को जिससे उनका पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होता, स्वीकार न करके, एक बड़ा अच्छा अवसर खो दिया । परन्तु इसके साथ साथ यह भी याद रखना चाहिए कि धन-कोष पर अधिकार पाये बगैर शिक्षा विभाग को अपनी मान मर्यादा स्थापित करना और उसे बनाये रखना कठिन हो जाता । अब तो यह बात अनुभव से स्पष्ट हो गयी है कि अगर शिक्षा विभाग के इन्सपेक्टरों के हाथ में से यह अधिकार ले लिये जाय तो

नकी मर्यादा और यहाँ तक कि उनकी उपयोगिता भी शीघ्र ही गयी रहेगा। एक गैर सरकारी स्कूल के योग्य मन्त्रों ने मुझसे एक बार कहा था कि उन लोगों को निगाह में इन्स्पेक्टरों का मान रखना इसलिए था कि उनका हाथ में धन का अधिकार था।

### स्कूल-कमिटियों की असफलता

इस परिस्थिति में जो स्कूल कमिटियाँ बनायी गयी थी, जिनमें प्रतिगोन चमारों का कोई आरक्षण नहीं रह गया था। कुछ लोगों का यह भी विचार हो गया था कि इनसे रुपया अधिक लेने के लिए यह चाल चली गयी थी। इन कमिटियों के सदस्यों के कर्तव्य भाव निश्चित नहीं थे और इसलिए लागू यह समझना था कि इन कमिटियों में शामिल होकर उनके लिए जिले में जाना पड़ेगा या नहीं और किजूल का खर्च ठानना था। इन प्रकार कुछ लोगों को उन्नीसता, कुछ का विरोध, कुछ को असहकारिता, और कुछ लोगों के अहंकार—इन सब बातों से एक तो कमिटियाँ बनना ही रुकने ही गया था और फिर उनमें काम करना तो असंभव ही असंभव हो गया। यह बात यहाँ तक गयी कि सरकार को भी इस बात की रिपोर्ट मिली कि अलीगढ़ के जमींदारों ने, जिनके इशारे से यह कमिटियाँ बनायी गयी थी, जिनमें किसी प्रकार का सहाय्य नहीं दिया।

### नयी कमिटियों का रुख

सन् १९७१ ई० में एक कानून पास हुआ जिसके द्वारा, लोगों को आमदना के अनुसार, हर जिले की शिक्षा के लिए एक टैक्स

नियत किया गया और इसकी आय से सारे प्रान्त के लिए एक कोष स्थापित करके हर जिले में एक कमिटी नियुक्त की गयी। इसको यह काम सौंपा गया कि वह इस कोष में से उस जिले के लिए जितना रुपया खर्च के लिए दिया गया था, उसका नियन्त्रण करे। इस कमिटी ने कई उपसमितियाँ बनायीं जिनमें से एक का नाम शिक्षा-समिति रखा गया। यह कमिटी १८६६ ई० में बनायी हुई कमिटियों के स्थान पर थी। इन नयी शिक्षा समितियों का अधिकार पूरे जिले पर था और इनमें सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए जमींदार सदस्य बनाये गये थे। इन कमिटियों को अध्यापकों की नियुक्ति करने, उनको बरखास्त करने तथा अन्य प्रकार से दण्ड देने का अधिकार दिया गया था और इनका कार्य था कि वे स्कूलों की इमारतों की देख रेख करें और गवर्नमेन्ट की मजूरी के लिए अपने जिले की शिक्षा के खर्च का बजट बनायें।

इस बजट में उन्हें खर्च की हर मद का व्यौगा देना पड़ता था और इस खर्च के लिए नियम भी बड़ी कड़ाई से बनाये गये थे। इसके सम्बन्ध में १८८३ ई० की शिक्षा कमिटी की रिपोर्ट में लिखा है, "यह सत्य है कि औरङ्गजेर के शासनकाल के बाद १८७४ ई० में संयुक्त प्रान्त में शासन का केन्द्रीकरण अपनी अन्तिम अवस्था को पहुँच गया था, लेकिन उस समय की कमिटियों के अधिकारों पर जो प्रतिबन्ध लगाये गये थे, उनको ढीला करने के लिए, बड़े जोरदार अधिकारी

की आवश्यकता है और इसीलिए वे अभी तक शिथिल नहीं पड़े हैं।”

अवध के स्कूलों के इन्स्पेक्टर मिस्टर जे० सी० नेस्कौल्ड की राय में इन प्रतिबन्धों के कारण शिक्षा विभाग के दैनिक काम में बहुत अड़चन पड़ती थी। कार्य-सञ्चालक समिति के कामों पर तो इन कमिटियों को नियन्त्रण प्राप्त होना चाहिए ही था, लेकिन इनके सुपुर्द सञ्चालन का सारा काम किया गया था। फिर इन्हें रुपये पैसे के खर्च का कोई अधिकार न देकर, शिक्षा विभाग के सामने उत्तरदायी बना दिया गया था। इसीलिए वे बिलकुल असफल प्रमाणित हुईं।

### सन् १८८२ की अवस्था

१८८२ ई० के शिक्षा-कमीशन की जाँच के समय हमारे सूचे में सरकार द्वारा स्थापित ५,३२९ प्राइमरी और ४१५ मिडिल स्कूल मौजूद थे। सन् १८५० ई० में केरल ८ जिलों में प्रयाग की दृष्टि से स्थापित करके तहसीली और हलकावन्दी पद्धति के स्कूल भी सारे सूचे में फैल गये थे और अब इस समय यह मालूम करना असम्भव हो गया है कि इनमें से कितने देहातों में थे और कितने क्रस्वों में थे। देसी स्कूलों को सरकारी इमदाद न देने का नीति इतनी अधिक सफल हुई थी कि इस समय केवल ५६ प्राइमरी और ७ तहसीली इमदादी मिडिल स्कूल थे। गैर इमदादी देसी पाठशालाओं का अब कोई ब्यौरा नहीं मिलता। प्राइमरी स्कूलों में यह नियम बना दिया गया था कि

और उच्च कोटि की थी और इसलिए प्रतिस्पर्द्धा में गैर सरकारी स्कूल बहुत पिछड़े हुए थे।

गवर्नमन्ट की इस नीति से सबसे अधिक हानि मिशनरियों को सहन करनी पड़ी। इसमें सन्देह नहीं कि यत्र तत्र हिन्दुस्तानियों द्वारा सञ्चालित स्कूल भी चल रहे थे लेकिन ऐसे स्कूलों में मिशन स्कूलों की सराया ही अधिक थी। वेसी गैर सरकारी स्कूलों की प्रतिस्पर्द्धा मिशन स्कूलों के लिए बाजी मार ले जाना भी सरल था, क्योंकि उनके यहाँ युरोपियन और अमेरिकन शिक्षक होने के कारण पढाई के उत्तम साधन मौजूद थे। उनके यहाँ का प्रबन्ध भी बढ़िया था और उनके पास पर्याप्त धन होने के कारण उनकी धारु भी खूब जमी हुई थी। उन्हें अब यह भी आशा हो रही थी कि सरकारी अँगरेजी स्कूल भा शीघ्र ही उनके अधिकार में आ जायेंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा प्रचार में सबसर्वा बनने में केवल सरकारी स्कूल ही उनके लिए प्रावक थे। इस बाधा को दूर करने के अन्तरङ्ग उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा विभाग के विरोध की शिकायत करनी शुरू की। यह आन्दोलन पहले भारतवर्ष में शुरू किया गया परन्तु जब उहोंने उसमें सफलता होते न देखी तो उसे विलायत में भी शुरू किया।

सन् १८७८ ई० में लॉर्ड म 'जनरल काउन्सिल आफ एजुकेशन इन इण्डिया' नामक संस्था स्थापित हुई। इसके सदस्या में सन् १८५४ के तरीते क लेखक लाड हैलीफैम्स तथा अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी सम्मिलित थे। रेवरेण्ड जेम्स जानसन

साह्य इस सस्था के मन्त्री थे। इस सस्था ने अनेक प्रभावशाली मनुष्यों की सहायुभूति भी प्राप्त कर ली थी और जन सन् १८८० में लार्ड रिपन की नियुक्ति भारत के वाइसराय के पद पर हुई ता उस समय इस सस्था ने लार्ड रिपन को एक अभिनन्दन पत्र भी प्रदान किया था। इस पत्र में सन् १८४४ के तरीते का पालन न हो सकने की शिक्षायत भी की गयी थी। इसके उत्तर में लार्ड रिपन ने उक्त सस्था को आश्वासन देते हुए कहा था कि भारत में पहुँचन पर ये इस मामले की ध्यानसेन करेंगे। इस प्रकार सन् १८८० में सर विलियम हन्टर के सभापतित्व में एक शिक्षा-कमीशन नियुक्त हुआ। इस कमीशन में मिरानरो सभासद काकी सत्या में थे। बङ्गाल के सर भूदेव सुकर्णी और हमारे प्रान्त के जस्टिस महमूद जैसे योग्य हिन्दु-स्तानियों की भी नियुक्ति इस कमीशन पर हुई थी।

इस कमीशन की नियुक्ति ने देश में एक नया जाश पैदा कर दिया। इसके सामने लगभग ३२३ प्राथनापत्र और १९३ गवाह उपस्थित हुए। उन हिन्दुस्तानियों ने जिन्हें अङ्गरेजों शिक्षा द्वारा सभी लाभ हुआ था और जिनकी भागों और आवश्यकताओं का ही पूर्ति के लिए इस शिक्षा का प्रचार किया गया था, देश में जब शिक्षा प्रचार का पक्ष लिया और हमारे प्रान्त के राजा भितगा, सर सैयद अहमद खाँ, राजा जैकृष्णराम, बाबू हरिश्चन्द्र, राजा शिवप्रसाद, मिस्टर जे० सी० नेल्सोन्ड आदि जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने कमीशन के सामने गवाहियाँ दीं।



इन गवाहियों से सर्वसाधारण की शिक्षा के सम्बन्ध में कितनी ही महत्वपूर्ण बातें विदित हुईं । उनमें एक तो यह थी कि पुरानी पद्धति पर सञ्चालित पाठशालाएँ बन्द होती चली जा रही थीं । दूसरी कठिनाई सारे प्रान्त में एक भाषा न होने की थी । बहुतेरे गवाहों ने अपने बयानों में लोगों की निर्धनता को प्रारम्भिक शिक्षा प्रचार की मन्द गति का कारण बतलाया था । साहित्यिक लोगों ने अपनी गवाहियाँ में सर्वसाधारण में शिक्षा प्रचार करने का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर दिया था कि सरकारी सहायकों में शिक्षाप्राप्त लोगों द्वारा जनता में शिक्षा प्रचार किया जाय ।

### कमीशन की सिफारिशें

इस कमीशन ने सारे भारतवर्ष की शिक्षा के सम्बन्ध में एक बड़ी लम्बी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की, परन्तु इस पुस्तक में हम केवल यह देखना है कि प्राइमरी शिक्षा के सम्बन्ध में इसने किन सुधारों की सिफारिश की थी । इस कमीशन की रिपोर्ट के चौथे अध्याय में सबसे पहली सिफारिश यह की गयी थी कि जनता में शिक्षा प्रचार करने के लिए प्राइमरी शिक्षा देसी भाषाओं में दी जाय और इसके द्वारा वे विषय पढ़ाये जाय जो विद्यार्थियों को उनकी स्थिति के अनुसार उनके जीवन में उपयुक्त साबित हों । इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह आवश्यक नहीं था कि यह प्रारम्भिक शिक्षा विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक साधन हो । इसका मतलब यह था कि मातृ भाषा के

माध्यम द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा सर्वाङ्गपूर्ण हो और यह आवश्यक न था कि यह उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आवश्यक साधन बने। इसके अनुसार प्रारम्भिक स्कूल केवल प्राइमरी शिक्षा के लिए ही खोले जाय, न कि उच्च शिक्षा का तैयारी के लिए। हमारे प्रान्त में ता वर्नाम्बुलर और ऐंगो वर्नाम्बुलर स्कूलों के पाठ्यक्रमों के पारस्परिक अन्तर से यह बात स्पष्ट प्रतीत हो रही है।

इसो अध्याय में तामरी सिफारिश में इस बात का उल्लेख है कि हर प्रकार का शिक्षा के लिए सरकार को सहायता सर्वथा अपेक्षित है। जनता में प्रारम्भिक शिक्षा के साधनों की अभिवृद्धि और उनका उन्नत करना, उस समय की स्थिति के अनुसार, सरकार का परम आवश्यक कर्तव्य होना चाहिए था और गवर्नमन्ट ने अब तक इन आर जितनी चेष्टा की थी, उसे अब इससे कहीं अधिक चेष्टा करने की आवश्यकता थी। वास्तव में कर्माशन ने सन् १९५४ के खराबे की सिफारिशों का ही समर्थन अपनी रिपोर्ट में किया था। इस शिक्षा प्रचार के लिए धन सम्बन्धी सहायता का उल्लेख करते हुए सरकार से सिफारिश की गया थी कि सरकार द्वारा शिक्षा प्रचार का नीति में प्रारम्भिक शिक्षा को प्रमुख स्थान दिया जाय और उसके खर्च के लिए लोकल फंड (स्थानाय कर-होप) का पूरा रूपया तथा प्रान्तीय आय का बहुत बढ़ा हिस्सा मिलना चाहिए।

भारतीय सरकार ने इन सिफारिशों से पूर्ण सहानुभूति प्रकट की, किन्तु प्रान्तों के विचारवान और जनविशील अधिकारियों

की धारणा यह हुई कि कमीशन न केवल समझौता करने की दृष्टि से दोनों पक्षों को साधने की बातें की हैं। इस विषय में दो बातें उन्हें विशेष रूप से लटकती थीं। सरकार न उम समय की स्थिति के पहान और अन्य प्रकार के शिक्षा क्रमों के प्रचलित होने की आड़ में जनता में, शिक्षा प्रचार की उन्नति को बहुत कुछ परिमित रखने की चेष्टा की थी। फिर यह सिफारिशें अधिक उन्नतिशील और लाभदायक भी नहीं थीं। परन्तु हमारे प्राण के उस समय के लाट सर आलफ्रेड लायल का मत इन सिफारिशों की बावत सरकार के मत से भिन्न था, क्योंकि उनके विचार में माध्यमिक और प्रारम्भिक दोनों ही प्रकार के शिक्षा क्रम समान रूप से महत्त्व के थे। उनके विचार से सहमत होने वाले व्यक्तियों का यह भी कहना था कि यदि सरकार ने इसमें तनिक भी ढोल ढाल की तो अवश्य ही माध्यमिक शिक्षा की हानि होगी। इसलिए उसे भी सरकार को धार से पयाप्त सहायता मिलनी चाहिए। जनता का बहुमत भी इसी विचार का समर्थक था। इसलिए जब तक मध्य स्थिति वाली शिक्षित जनता का यह विचार था, तब तक कमीशन की सिफारिशों के होते हुए भी, माध्यमिक शिक्षा पर व्यय में किसी प्रकार की कमी होने का भय न था।

कमीशन की सिफारिशों के अनुसार प्राइमरी शिक्षा में व्यावहारिक विषयों को सम्मिलित करने तथा उस सर्वतोन्मुखी बनाने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि उसका क्षेत्र विस्तृत

द्वारा दिया जाय । इसलिए कमीशन न इस बात की भी सिफारिश दी थी कि शारीरिक व्यायाम की उन्नति के लिए स्कूलों में ऐसी ऐल-कूद, जिम्नास्टिक, ड्रिल तथा अन्य प्रकार के व्यायाम भी सिखाये जाय ।

प्राइमरी शिक्षा प्रचार में शुल्क का प्रश्न बड़ी उलझन का था । नि शुल्क शिक्षा प्रचार का ध्येय तो उस समय उनके लिए भा अपेक्षित नहीं था, जो 'शिक्षा कर' देने वाले थे । फिर हमारे प्रान्त में वो फीस लगा देना स भारी बाधा पड़ने की आशङ्का थी, क्योंकि यहाँ तो प्राइमरी शिक्षा वास्तव में नि शुल्क ही दी जाता थी ।

नव लोकल सेल्फ गवर्नमन्ट ऐक्ट ( स्वायत्त शासन विधान ) के अनुसार जो जिला बोर्ड कायम हुए थे, उनके जिम्मे यह भार सौंपा गया था कि वे देहातों के प्राइमरी स्कूलों का भी नियन्त्रण करें, परन्तु इस उरीते के बीच अध्याय की ३६वीं सिफारिश में शिक्षा विभाग का नियन्त्रण और शिक्षा नीति का क्रम एकसा बनाये रखने के विचार से यह निश्चित किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उन नियमों का यथाविधि स्वीकार कर लें, जो इन स्कूलों की सहायता तथा इनके नियन्त्रण करने के लिए शिक्षा-विभाग ने बना दिये थे और शिक्षा विभाग की स्वीकृति के बिना इनमें कोई परिवर्तन या पारवधान न करें । इसके साथ यह भी निश्चय किया गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड शिक्षा विभाग द्वारा प्रमाण पत्र पाये हुए अध्यापकों की ही नियुक्ति करें तथा इनकी

तरक्का और घरजास्तगी के मामले में भी शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त किया करें। कमीशन की यह सिफारिश भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहन और उनकी प्रामाणिकता को भी उस हालत में मान लिया था यदि वे किसी प्रकार की लौकिक शिक्षा देते हों।

### हमारे प्रान्त के सम्बन्ध में विशेष सिफारिशें

इस प्रकार यह निश्चित हो गया कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए लोकल फण्ड (स्थानीय कर कोष) का तो सारा रुपया व्यय किया जाय और शिक्षा प्रचार की मदद का प्रांतीय आय का भी अधिकांश भाग इसी पर खर्च हो। इसका शिक्षा क्रम भी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाय और देसी पाठशालाओं को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिले। साथ ही उन जातियों में शिक्षा प्रचार करने के लिए विशेष रूप से चेष्टा की जाय जो कम शिक्षित थीं। कमीशन को इस बात में विश्वास दिलाया गया था कि हमारे प्रान्त की वे जातियाँ जो सदा से प्रजा की दृष्टि में प्रतिष्ठित और उच्च मानी जाती रही हैं, प्रारम्भिक और उच्च दोनों प्रकार की शिक्षा से प्रायः वञ्चित रहती हैं। इसलिए कमीशन के विचार में इन जातियों की शिक्षा में प्रोत्साहन देना परम आवश्यक था।

उनके विचार में हलकावन्दी मदरसे जमींदारों के लड़कों को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए स्थापित हुए थे और इसलिए

य जातियों के जो लड़के इन स्कूलों में पढ़ने जाते थे, उनके फीस देना अनिवार्य होना चाहिए था। इसीलिए उन्होंने बात की सिफारिश की कि कुछ समय के लिए हलकाबन्दी रसों में केवल जमादारों के ही लड़के रखे जाय और जिला मजिस्ट्रेटों की सहायता से जो देसी पाठशालाएँ स्थापित हुई थीं, उनमें जनता को शिक्षा दी जाय। इन मदरसों के विद्यार्थियों को फीस देना आवश्यक था।

यह तो उसी पुरानी पद्धति का अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन था और उन रईसों तथा मुसलमानों के लड़कों के एक विशेष सुविधा प्रस्तुत करनी थी, जो अपने बालकों को घर और बढ़ई के बालकों के साथ बैठा कर पढ़ाना पसन्द करते थे। परिचयी सभ्यता का एकोत्तरण विधान यहाँ के लोगों के लिए अत्यन्त अप्रिय प्रतीत होता था। इसीलिए कमीशन ने फीस शिक्षा के लिए ऐसी सिफारिशों की कि यदि कहीं उनके तुम्हारे काम किया जाता तो अवश्य ही शिक्षा प्रचार को बढ़ावा देनी पहुँचती। हर गाँव में दो दो स्कूलों का खर्च सहन कर देने की शक्ति न थी। यदि हर गाँव में ऐसे दो स्कूल खोले जाते जिनमें से एक स्कूल में रईसों के लड़के और दूसरे में ग्राम अन्य जातीय बालक शिक्षा पाते तो शायद धनाभाव से १० प्रतिशत ही में सभी स्कूल बन्द हो जाते।

कमीशन की सिफारिशों पर पुनः दृष्टिपात करने से हमको यह लगता है कि प्रायः सभी प्रान्तों में उसकी बहुत सी सिफारिशें

लोगों को मालूम थीं। वास्तव में कमीशन ने १९५४ ई० के तरीते की बातों का ही विष्टपेपण किया था, परन्तु उसकी रिपोर्ट से एक लाभ यह अवश्य हुआ कि उससे यह प्रत्यक्ष हो गया कि सर्वसाधारण को शिक्षा से कितना लगाव था। इससे यह भी प्रकट हो गया कि अङ्गरेजी राज्य के आरम्भ से शिक्षा प्रचार के लिए क्या क्या कार्य किये गये थे। ऐसी अवस्था में सारे देश की निरक्षरता का विचार करते हुए क्या यह कुछ कम आश्चर्य की बात है कि इस कमीशन ने सर्वसाधारण में प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा प्रचार के लिए बजट में केवल दस लाख रुपये सालाना बढ़ाने की अनुमति दी थी।

सम्भव है कि इस परिस्थिति में जो उन्नति होती, वह स्थायी होती, परन्तु वह कितनी मन्द हो गयी, इसका परिणाम आज भी प्रत्यक्ष है।

---

## छठा अध्याय

सन् १८८२ वाले कमीशन के बाद की उन्नति

जिला बोर्डों के अधिकार में गाँवों की प्रारम्भिक शिक्षा

सन् १८८२ के कमीशन ने शिक्षा प्रचार के कार्य में एक नयी सृष्टि पैदा कर दी थी। यद्यपि इसकी सिफारिशों बहुत अधिक मान्यकारी परिवर्तन करने के पक्ष में थीं, फिर भी इनके प्रकाशित हो जाने से शिक्षा प्रचार के कार्य की गति में कुछ उन्नति अवश्य हुई। इसी समय १८८३ ई० में लार्ड रिपन का प्रसिद्ध स्वायत्त शासन विधान ( लोकल सैल्व गवर्नमन्ट ऐक्ट ) स्वीकृत हुआ ज्ञानून बन गया और उसके अनुसार प्रत्येक जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को गाँवों की प्रारम्भिक शिक्षा का प्रतिपालक बना दिया गया।

यह जिला बोर्ड १८८५ ई० में पुरानी जिला कमिटियों के स्थान में बनाये गये थे और इनमें हमारे देश के शासन प्रबन्धनाति से अनभिज्ञ बेचारे उदासीन सदस्यों को अंगरेज अफसरों का अभिभावकता में इस नये प्रकार की शासन-विधि सिखाने का पहला ही प्रयत्न था। १८८३ ई० के इस नये कानून के अनुसार गाँवों में स्कूल खोलने, उनका समुचित प्रबन्ध करने तथा उनके सञ्चालन करने का सारा भार इन्हीं जिला बोर्डों के ऊपर



छोड़ दिया गया था। २५ फरवरी १९८५ ई० के मन्तव्य द्वारा सरकार ने उन्हें आदेश दिया था कि स्वायत्त शासन के अधीन करते समय गवर्नमेन्ट ने कई विभागों के सम्बन्ध न समय समय पर जो शासन सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, उनके अनुसार सारा काम होना चाहिए और उनका यथाविधि पालन किया जाना चाहिए। साथ ही इन सब बातों में एक ही नीति का प्रयोग करने के विचार से गवर्नमेन्ट ने इन प्रतिबन्धों के दायरे के भीतर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह भी अधिकार दे दिया था कि वे अपनी स्वेच्छा का ब्यावसर उपयोग करें। इसीलिए गवर्नमेन्ट के लिए यह भी आवश्यक हो गया कि वह इन बोर्डों को इस बात के लिए बाध्य करे कि कुछ आवश्यक मामलों में उनके लिए विभागीय अफसरों की अनुमति लेना बड़ा जरूरी था।

### बोर्डों की धनाभाव सम्बन्धी कठिनाइयाँ

परन्तु इन जिला बोर्डों के पास शिक्षा प्रचार के लिए अलग से कोई निश्चित कोष नहीं था। पुरानी जिला कमिटियों ने प्रान्तीय आय में से शिक्षा प्रचार के लिए कई विशेष मदें मजूर करा लिये थे, परन्तु नये ऐक्ट की धाराओं के अनुसार इन नये बोर्डों के पास शिक्षा प्रचार के लिए केवल स्थानीय और बोर्ड के अधीन लोक-सेवा कार्यों के करों की ही आय थी। इसके अतिरिक्त जो रुपये की कमी रह जाती थी, उसे सरकार प्रान्तीय कोष में से एक मुश्त देकर पूरा कर देती थी। साल में जो रुपया खर्च करने से बच रहता था, वह कमीशन की सिफारिश के प्रतिकूल सरकार

में उत्पन्न हो जाता था। चूंकि व्यापार या कृषि में किसी प्रकार की उत्पत्ति का कोई प्रबन्ध नहीं था इसलिए उनका लगान में भी किसी प्रकार की वृद्धि की आशा नहीं हो सकती थी और इसीलिए निरुद्ध भविष्य में शिक्षा का प्रचार में भी किसी प्रकार की वृद्धि की सम्भावना नहीं थी। परन्तु शिक्षा पर खर्चा तो तुरन्त बढ़ गया था, क्योंकि नाच दरजे का अफसर—डिप्टा और सबडिप्टी इन्स्पेक्टरों का खर्चा भी इन्हीं जिला बोर्डों पर लादा गया था और ऊँच दर्जे का अफसर—इन्स्पेक्टरों और असिस्टेंट इन्स्पेक्टरों का कुछ खर्च भी उनका जिम्मे था।

नये एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्डों पर कुछ उत्तरदायित्व भी रखा गया था। इसलिए शिक्षा का साथ साथ कुछ अन्य विभाग उनका अधिकार में दिये गये थे। उनसे वह आशा भी की गयी थी कि वे प्रयत्न करके शिक्षा की ओर लोगों की अभिरुचि बढ़ायेंगे। इसलिए इस विचार से तो इन जिला बोर्डों का काम अधिक सफल नहीं रहा, क्योंकि इनारे प्रान्त की शिक्षा-विभाग की सन् १८९७ का रिपोर्ट में लिखा है कि शिक्षा में इन जिला बोर्डों का सारा प्रयत्न जिनका कलक्टर या डिप्टी कमिश्नर के रुतब पर निर्भर होता है। वास्तव में सिवाय उस अवसर के जब कि किसानों का कोई नौकरों पिलाना हावी थी, बोर्डों के मेम्बरों को कोई गणना न थी।

इसी वर्ष एटा बोर्ड के चेयरमैन ने एक ऐसा योजना तैयार की थी जिसमें बोर्डों के प्रत्येक मेम्बर के जिम्मे कुछ स्कूल सँप

छोड़ दिया गया था। २५ फरवरी १९५५ ई० क मन्तव्य द्वारा सरकार ने उन्हें आदेश दिया था कि स्वायत्त शासन के अधीन करते समय गवर्नमेन्ट ने कई विभागों क सम्बन्ध म समय समय पर जो शासन सिद्धान्त निर्धारित किये हैं, उनके अनुसार सारा काम होना चाहिए और उनका यथाविधि पालन किया जाना चाहिए। साथ ही इन सब बातों में एक ही नीति का प्रयोग करने के विचार से गवर्नमेन्ट ने इन प्रतिबन्धों के दायरे के भीतर ही डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को यह भी अधिकार दे दिया था कि वे अपनी स्वेच्छा का यथावसर उपयोग करें। इसीलिए गवर्नमेन्ट के लिए यह भी आवश्यक हो गया कि वह इन बोर्डों को इस बात के लिए बाध्य कर कि कुछ आवश्यक मामलों म उनके लिए विभागीय अफसरों की अनुमति लेना बड़ा जरूरी था।

### बोर्डों की धनाभाव सम्बन्धी कठिनाइयाँ

परन्तु इन जिला बोर्डों क पास शिक्षा प्रचार के लिए अलग से कोई निश्चित कोष न था। पुरानी जिला कमिटियों ने प्रान्तीय आय म से शिक्षा प्रचार के लिए कई विशेष मद मजूर करा लिये थे, परन्तु नये ऐक्ट की धाराओं के अनुसार इन नये बोर्डों के पास शिक्षा प्रचार के लिए केवल स्थानीय और बोर्ड के अधीन लोक-सेवा कार्यों के करों की ही आय थी। इसके अतिरिक्त जो रुपये की कमी रह जाती थी, उस सरकार प्रान्तीय कोष में से एक मुस्त देकर पूरा कर देती थी। साल में जो रुपया खर्च करने से बच रहता था, वह कमीशन की सिफारिश के प्रतिकूल सरकार

में जन्म हो जाता था। चूंकि व्यापार या कृषि में किसी प्रकार की उन्नति का कोई प्रबन्ध नहीं था, इसलिए उनका लगान में भी किसी प्रकार की वृद्धि की आशा नहीं हा सकती थी और इसीलिए निकट भविष्य में शिक्षा का प्रचार में भी किसी प्रकार की वृद्धि की सम्भावना नहीं थी। परन्तु शिक्षा पर खर्चा तो तुरन्त बढ़ गया था, क्योंकि नाचें दरजे के अफसर—डिप्टी और सबडिप्टी इन्स्पेक्टरों का खर्चा भी इन्हीं जिला बोर्डों पर लादा गया था और ऊंचे दर्जे के अफसर—इन्स्पेक्टरों और असिस्टेंट इन्स्पेक्टरों का कुछ खर्च भी उनका जन्में था।

नये एक्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर कुछ उत्तरदायित्व भी रखा गया था। इसलिए शिक्षा का साथ-साथ कई अन्य विभाग उनका अधिकार में दिये गये थे। उनसे यह आशा भी की गयी थी कि वे प्रयत्न करके शिक्षा की ओर लोगों की अभिरुचि बढ़ायेंगे। इसलिए इस विचार से तो इन जिला बोर्डों का काम अधिक सफल रहा, क्योंकि हमारे प्रान्त की शिक्षा विभाग की सन् १८९७ की रिपोर्ट में लिखा है कि शिक्षा में इन जिला बोर्डों का सारा प्रयत्न जिले के कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर के रुख पर निर्भर होता है। वास्तव में सिवाय उस अफसर के जो कि किसी को कोई नौकरी दिलानी होती थी, बोर्ड के मेम्बरों की कोई गणना न थी।

इसी वर्ष एटा बोर्ड के चेयरमैन ने एक ऐसी योजना तैयार की थी जिसमें बोर्ड के प्रत्येक मन्बर के जिम्मे कुछ स्कूल सौंप

दिये गये थे। परन्तु यह भी बहुत दिनों तक न चल सकी, क्योंकि वास्तव में यह स्कूल सरकारी उद्योग और सरकारी सरक्षण पर चलने के इतने निर्भर हो गये थे कि जहाँ कहीं इसकी कमी हुई कि इन स्कूलों की अवनति होने लगी। इलाहाबाद के मैजिस्ट्रेट मिस्टर फुलर ने इसीलिए अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इन स्कूलों में लड़कों की कम उपस्थिति और रद्दी पढ़ाई का एक जगदस्त कारण यह भी है कि तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते। इसीलिए जनता भी इनकी ओर से उदासीन होती जाती है।

हमारे यहाँ की जनता के उल्हास का खोपलापन इससे अधिक और किन स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है कि १५ वर्ष तक काम करते रहने पर भी इन जिला बोर्डों में कोई उन्नति न हो सकी। सन् १९०० की शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में भी इन जिला बोर्डों की यही शिकायत देखने को मिलती है, क्योंकि उसके अनुसार यह नहीं कहा जा सकता कि यह जिला बोर्ड शिक्षा में कोई विशेष उत्साह दिखा रहे हैं। सन् १९०१ की रिपोर्ट में तो यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि 'साल के पूरे बारह महीने में शायद ही कोई मेम्बर स्कूल के भीतर पैर रखता हो। लेकिन जब सालाना प्रस्ताव भेजने का समय आता है तो यह मेम्बर अध्यापकों के काम के सम्बन्ध में बड़े खुले शब्दों में अपनी राय प्रकट करने से नहीं शरमाते और इस समय ये लोग शिक्षा विभाग के मुक़ाबिले में अध्यापकों के पक्षपाती और

हिमायती बन कर उनको उचित दण्ड मिलने से बचाने के लिए अपने अपने पद का पूरा-पूरा दाय्य डालने में नहीं हिचकिचाते ।'

वास्तव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरों और शिक्षा विभाग के बीच यह शिक्षा सम्बन्ध उचित और उत्पादक नहीं कहा जा सकता । मेम्बरों के इस प्रकार के व्यवहार का कारण उनकी अधिकार प्रियता ही कही जा सकती है क्योंकि उनकी अपने कर्तव्य पालन का कोई विचार या एहसास नहीं था । ये लोग देहातों में केवल अपनी स्थिति के कारण मन्वर बना दिये गये थे और वास्तव में तो ये स्वयम् ही अधिक शिक्षित थे और न इनको शिक्षा से कोई प्रेम ही था । ऐसी अवस्था में यह कन आशा की जा सकती थी कि वे जनता को शिक्षा की आर ध्यान देगे । ऐसे गैरसरकारी मन्वर जो शिक्षा में कुछ उत्पाद लेते हों, कस्बों के म्युनिसिपल बोर्ड में तो अवश्य पाये जाते थे ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के इस धनाभाव का प्राइमरी स्कूलों पर उलटा प्रभाव पडा । इनके पास रुपये की बहुत कमी थी, परन्तु अध्यापकों का वेतन बढ़ाना भी जरूरी था । इसलिए बहुत से बोर्डों ने यह निश्चय किया कि कुछ हलकायन्दी स्कूला को तोड़ कर जो रुपया बचे, उससे योग्य शिक्षकों की वेतन-वृद्धि की जाय । साथ ही अपर प्राइमरी दरजों की फीस भी बढ़ा दी जाय । इसका परिणाम यह हुआ कि जहाँ १८८६-८७ में ४,९७८ स्कूलों में विद्यावियों की सरया १,७१,८१२ थी, वहाँ सन् १८९१-९२ में ४,१८५ स्कूला में यह सरया घट कर १,४७,७१४ रह गयी । साथ

ही साथ अब एक विद्यार्थी के पढ़ाने का खर्च ३१) से बढ़ कर ४) हो गया ।

सन् १८९४ में हमारे प्रान्त के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर सर एन्टनी मैकडानलड न शिक्षा रिपोर्ट की आलाचना करते हुए लिखा था —

( १ ) हमारे सूबे में प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले सब विद्यार्थियों की सरया हमारे यहाँ की जन सख्या के अनुपात में और सब प्रान्तों से थोड़ी है ।

( २ ) हमारे यहाँ की प्रान्तीय और स्थानीय आय के मुकाविले में सरकारी कोष से शिक्षा पर जो रुपया खर्च हो रहा था, वह बहुत कम था और इस रुपये का भी बहुत बड़ा अंश माध्यमिक और अँगरेजी शिक्षा पर खर्च किया जा रहा था ।

( ३ ) प्रत्येक बालक की शिक्षा पर व्यय का जो औसत आता था वह बहुत अधिक था और

( ४ ) नार्मल स्कूलों में अध्यापकों को जो शिक्षा दी जाती थी, वह बिल्कुल अपर्याप्त थी ।

इसलिए इस रिपोर्ट पर सन् १८९४—९५ के सरकारी मन्तव्य में, हमारे प्रान्त के ऊपर से निरक्षरता का लाब्द्धन मिटाने के लिए, यह सिद्धान्त स्थिर किया गया कि हमारे यहाँ की शिक्षा में व्यय की मात्रा में विकायत करके शिक्षा के प्रचार में अधिक विस्तार किया जाय । इस शुभ इच्छा से प्रेरित होकर उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा के लिए हमारे प्रान्त की समाई के अनुसार सरकारी इमदाद की मात्रा अधिक से अधिक बढ़ा

कर ७५ हजार रुपया सालाना कर दी । यद्यपि यह इमदाद भी बहुत कम थी ता भी जिला बोर्डों को साल भर म सिर्फ इसका दो तिहाई खच करने का अधिकार मिला वा । इसीलिए सरल से सरल प्रारम्भिक शिक्षा का प्रसार करने के विचार से यह निश्चित हुआ कि इस सम्बन्ध में अत्र तक प्राइवेट सस्थाओं द्वारा स्कूल न खोलने देन की जो नीति परती गयी थी उस और न बढ़ने दिया जाय, बल्कि अत्र से जो लोग अथवा जो सस्थाएँ नये स्कूल खोलना चाहें, उन्हें सरकार की तरफ से सहायता भी प्रदान का जाय ।

इस प्रकार इस नयी नीति का शीघ्र ही बड़ा सन्तोषजनक प्रभाव यह हुआ कि अधिकाधिक प्रारम्भिक स्कूल खुलने लगे— यहाँ तक कि १८९७ ई० में इनकी संख्या बढ़ कर ६,०२५ हो गयी । इनके साथ ही साव बोर्ड के स्कूलों में भी वृद्धि हुई और प्राइवेट स्कूल भी सरकारी इमदाद के नियमों का पालन करने लगे । एक इलाहाबाद जिले में ही प्रारम्भिक शिक्षा पाने वाले लड़कों की संख्या में ५० प्रतिशत वृद्धि हो गयी । सन् १८९६ ९७ ई० की शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट में जौनपुर जिले के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की यह रिपोर्ट थी कि इस नयी पद्धति ने एक बड़ी कमी को पूरा कर दिया है । गाजीपुर डिस्ट्रिक्टबोर्ड ने भी इसी प्रकार लिखा वा कि नये स्कूलों के खुल जाने से एक बड़ी आवश्यकता पूरी हो गयी है और बोर्ड ही से खर्च से विद्यार्थियों की संख्या प्रायः दुगुनी हो गयी है ।



इसके बाद १८९८ ई० में सरकार ने इसी नीति के अनुसार ५,४०० रुपये की इमदाद और बढ़ा दी, लेकिन सन् १९०२ तक शिक्षा विभाग के अफसरों को इस बात का विश्वास हो गया था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड इन नये इमदादी स्कूलों को बिना कुछ अधिक समझे-बूझे ही खोल देने में अधिक तत्परता दिखाते थे।

जिन स्कूलों का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वे देसी पाठशालाओं से बिलकुल भिन्न थे, क्योंकि ये पाठशालाएँ तो बोर्ड के स्कूलों की प्रतिस्पर्द्धा में या तो बिलकुल नष्ट हो चुकी थीं, या अपनी कालापवर्तिता के कारण सरकारी इमदाद प्राप्त करने से वञ्चित थीं। ये नये इमदादी मदरस एक प्रकार से बोर्ड के उन घटिया मदरसों के प्रतिरूप थे जिनमें उनके सारे दोषों के साथ-साथ न तो उनका जैसा साध सामान था, न उनको जैसी योग्यता थी और न उनको सी धन सम्बन्धी स्थिति ही ऐसी सन्तोषजनक थी कि जिससे उनकी मर्यादा स्थापित हो सके।

इनमें से अधिकांश तो बिलकुल निरुद्धे थे। न उनमें अधिक लड़के ही पढ़ने जाते थे, न उनके पास मकान ही अन्धे थे, और न उनके अध्यापकों को ही पर्याप्त वेतन मिलता था। इन स्कूलों की आमदनी का मुख्य उरिया केवल ३,४ रुपया मासिक सरकारी इमदाद थी। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि इन स्कूलों की उन्नति करने के लिए इन्हें अधिक इमदाद देने की आवश्यकता थी, ताकि वे अपने यहाँ कम से कम योग्य शिक्षक तो रख सकें।